उनपचासवी

FORTY NINETH

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2008-2009

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का फेडरेशन (लिमिटेड)

NATIONAL COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION (LIMITED)

701, बीएसईएल टेक पार्क,
7वी मंझिल, ए – विंग,
रेल्वे स्टेशन के सामने,
वाशी, नवी मुंबई – 400 703.

टेलीफोन (कार्यालय) : 2781 4224 (एम.डी)
2781 4114
2781 4426 } ईपीबीएक्स
2781 4918
तार : भूमिविकास
गेस्ट हाऊस : 2492 7580
फैक्स : 91-22-2781 4225
इ–मेल : nafcard@bom5.vsnl.net.in
वेबसाईट : www.nafcard.org.

701, BSEL TECH PARK,
7th Floor, A - Wing,
Opp. Railway Station,
Vashi, Navi Mumbai - 400 703.

Telephone (Office) : 2781 4224 (M.D.)
2781 4114
2781 4426 } EPABX
2781 4226
Telegram : BHUMIVIKAS
Guest House : 2492 7580
Fax : 91-22-2781 4225
E-mail : nafcard@bom5.vsnl.net.in
Website : www.nafcard.org.

राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लिमिटेड, मुंबई

संघ की वार्षिक आम बैठक

नोटिस

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि वर्ष २००८.२००९ के लिये राष्ट्रीय सहकारी कशषि एवं ग्रामीण विकास बैंक संघ मर्यादित की वार्षिक आम बैठक बुधवार, ३० सितम्बर २००९ को दोपहर १२ बजे होटल इन्फिनिटी, रिंग रोड, इन्दौर में निम्नलिखित कार्यों के निष्पादन हेतु आहूत की जायेगी:

१. संघ की २८ जुलाई २००८ को होटल सितारा, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद में सम्पन्न वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।

२. वर्ष २००८–०९ के लिये खातों के लेखा परिक्षित वक्तव्यों पर विचार।

३. वर्ष २००८–०९ के लिये अधिशेष का निस्तारण।

४. ३१.३.२००९ को समाप्त हुये वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की सांविधिक रिपोर्ट पर विचार।

५. ३१.३.२००९ को लेखा रिपोर्ट में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर अनुपालन रिपोर्ट पर विचार।

६. वर्ष २००८–०९ के लिये वार्षिक रिपोर्ट पर विचार।

७. वर्ष २००९–१० के लिये सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और लेखा शुल्क का निर्धारण।

८. वर्ष २०१०–११ के लिये वार्षिक बजट पर विचार।

बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, २००२ और संघ के उपनियमों के अनुसार आम समिति में संघ के प्रत्येक सदस्य बैंक का एक प्रतिनिधि शामिल होगा जो सदस्य बैंक के बोर्ड का प्रमुख/अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी या कोई सदस्य होगा जो कि उस बैंक के निदेशक मंडल द्वारा एक संकल्प के माध्यम से नामित किया जायेगा या जहां बोर्ड न हो उस सदस्य बैंक के प्रशासक या जिस किसी भी नाम उसे से पुकारा जाता हो, के द्वारा नामित किया जायेगा। तदनुसार, सदस्य बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे आम समिति के अपने प्रतिनिधि के नाम को बोर्ड के संकल्प के साथ आम समिति की बैठक से कम से कम १० दिन पहले संघ को सूचित करें।

प्रबंध मंडल के आदेश द्वारा

हस्ताक्षरित

(के. के. रविन्द्रन)

प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : २८ अगस्त २००९

NATIONAL CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANKS' FEDERATION LTD., MUMBAI.

ANNUAL GENERAL MEETING OF THE FEDERATION

NOTICE

Notice is hereby given, that the Annual General Meeting of the National Co-operative Agriculture and Rural Development Banks' Federation Ltd., for the year 2008-2009 will be held on Wednesday, September 30, 2009 at 12.00 Noon at Hotel Infinity, Ring Road, Indore to transact the following business.

1. To confirm the proceedings of the Annual General Meeting of the Federation held on 28 July 2008 at Hotel Sitara, Ramoji Film City, Hyderabad.
2. Consideration of Audited Statement of Accounts for the year 2008-09.
3. Disposal of surplus for the year 2008-09.
4. Consideration of the Statutory Report of Auditors for the year ended 31.3.2009.
5. Consideration of Compliance Report on Auditor's remarks in Audit Report as on 31.3.2009.
6. Consideration of Annual Report for the year 2008-09.
7. Appointment of Statutory Auditors for the year 2009-10 and fixing audit fees.
8. Consideration of Annual Budget for the year 2010-11.

In accordance with the provisions of Multi State Cooperative Societies Act, 2002, and the Byelaws of the Federation, the General Body shall consist of one representative of each member bank of the Federation who shall be either Chairman/President or the Chief Executive or a member of the Board of the member bank nominated by the Board of Directors of the respective Bank by a resolution, or the Administrator, by whatever name called, of a member bank where there is no Board. Accordingly, member banks are advised to inform the Federation the name of their representative to the General Body along with the resolution of the Board at least 10 days before the General Body Meeting.

By Order of the Board of Management

sd/-

(K.K. Ravindran)

Managing Director

Place : Mumbai

Date : 28 August, 2009

१. आर्थिक परिदृश्य

भारतीय अर्थ–व्यवस्था २००८–०९ के शुरूआती भाग तक उच्च प्रगति के रास्ते पर अग्रसर थी, जो वैश्विक वित्तीय गिरावट और उसके फलस्वरूप होने वाली मंदी के द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण बाद के भाग में काफी धीमी हो गयी।

केन्द्रीय साँख्यिकी फेडरेशन (सी.एस.ओ.) के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्तमान कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जी. डी.पी.) की कुल वृद्धि २००८–०९ की अर्द्धवार्षिक समीक्षा में तय किये लक्ष्य ७ प्रतिशत के मुकाबले ६.७ प्रतिशत और २००७–०८ व २००६–०७ के लिये क्रमश: ९ प्रतिशत तथा ९.७ प्रतिशत थी। २००८–०९ के दौरान गिरावट, खनन व उत्खनन तथा सामुदायिक सेवाओं व कार्मिक सेवाओं को छोड़कर सभी क्षेत्रों में थी। मुख्यत: २००७–०८ के उच्च बेस प्रभाव और तिलहन, कपास, गन्ना और जूट सहित गैर खाद्य फसलों तथा गेहूँ के उत्पादन में मामूली गिरावट के कारण कृशि और संबंधित क्षेत्रों में विकास दर २००७–०८ के ४.९ प्रतिशत से गिरकर २००८–०९ में १.६ प्रतिशत हो गयी।

निर्माण, बिजली और भवन निर्माण क्षेत्रों में भी० ८.२ प्रतिशत, ५.३ प्रतिशत और १०.१ प्रतिशत से क्रमश: २.४ प्रतिशत, ३.४ प्रतिशत और ७.२ प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गयी।

खाद्यान्न उत्पादन में २००५–०६ से २००७.०८ तक लगातार ३ वर्षों में १० मिलियन टन की सालाना औसत बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। २००७–०८ में कुल खाद्यान्न उत्पादन २३०.७८ मिलियन टन था। इसके मुकाबले २००८–०९ के दौरान अनुमानित उत्पादन २२९.८५ मिलियन टन रहा।

बाहरी व्यापार और बाहरी पूँजी प्रवाह के बढ़ते हुये महत्व के साथ भारतीय अर्थ–व्यवस्था में पिछले १० वर्षों में काफी परिवर्तन आये हैं। सकल घरेलू उत्पाद में ५० प्रतिशत से अधिक की भागीदारी के साथ सेवा क्षेत्र प्रभावी हो गया।

विदेशी पूँजी प्रवाह और शुद्ध पूँजी प्रवाह २०००–०१ में सकल घरेलू उत्पाद के १.९ प्रतिशत से २००७–०८ में ९. २ प्रतिशत हो गया। अगस्त २००७ में सामने आने वाले उप–मूलभूत संकट ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोप के वित्तीय संस्थानों को बुरी तरह प्रभावित किया और इसकी छाया निवेश बैंकों, हेज फण्डों, निजी इक्विटी और संरचित निवेश वाहनों सहित बैंकिंग प्रणाली पर पड़ी। बढ़ी हुयी अनिश्चितता, जो लेहमन ब्रदर्स के पतन के बाद पैदा हुयी, वह जल्द

I. ECONOMIC SCENE

Indian economy continued its journey through the path of high growth till the early part of 2008-09 which however was slowed down significantly in the later part of the year due to roadblocks created by global financial melt down and consequent economic recession.

The overall growth of GDP at current prices as per revised estimates by Central Statistical Organisation (CSO) was 6.7% as against 7% targeted in the mid year review for 2008-09 and 9% and 9.7% in 2007-08 and 2006-07 respectively. The deceleration of growth during 2008-09 was spread across all sectors except mining and quarrying and community social and personnel services. The growth in agriculture and allied sectors decelerated from 4.9% in 2007-08 to 1.6% in 2008-09 mainly due to high base effect of 2007-08 and fall in the production of non food crops including oil seeds, cotton, sugarcane and jute and marginal fall in the output of wheat.

There was also deceleration in manufacturing, electricity and construction sectors to 2.4%, 3.4% and 7.2% from 8.2%, 5.3% and 10.1% respectively.

Foodgrain production recorded average annual increase of over 10 mn tons consecutively for three years from 2005-06 to 2007-08. The total foodgrain production was 230.78 mn tons in 2007-08. Against this the production during 2008-09 was estimated at 229.85 mn tons.

The structure of Indian economy had undergone considerable change in the last 10 years with increasing importance of external trade and external capital flows. The service sector became dominant with a share of over 50% in the GDP.

Foreign capital flows and net capital flows increased from 1.9% GDP in 2000-01 to 9.2% in 2007-08. The sub prime crisis surfaced in August 2007 badly affected financial institutions in United Nations and Europe and shadow banking system comprising interalia investment banks, hedge funds, private equity and structured investment vehicles. The heightened uncertainty that followed

ही न सुधरने के संकेतों के साथ वैश्विक आयामों पर एक संपूर्ण विकसित संकट में परिवर्तित हो गयी। शुरूआत में इस संकट का भारतीय अर्थ–व्यवस्था पर कोई खास प्रभाव नहीं था। अपितु शुरूआती प्रभाव सकारात्मक ही था, क्योंकि देश में सितम्बर २००७ से जनवरी २००८ के दौरान देश में त्वरित विदेशी संस्थागत निवेश प्राप्त हुये, परंतु जैसे–जैसे संकट बढ़ता गया और पूँजी तथा भुगतान संतुलन (बी.ओ.पी.) के चालू खाते के माध्यम से उभरती हुयी अर्थ–व्यवस्थाओं में फैला तो भारत में शुद्ध पोर्टफोलियो का प्रवाह ऋणात्मक हो गया, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने विदेशी नकद भुगतान को पूरा करने के लिये अपने स्टॉक होल्डिंग में कमी कर दी। अर्थ–व्यवस्था ने इस छोटी सी अवधि के दौरान स्टॉक में उतार–चढ़ाव, बाजार की कीमतों, विनिमय दर और मुद्रास्फीति के स्तरों के रूप में अत्याधिक अस्थिरता का अनुभव किया।

विदेशी मुद्रा के बाहरी प्रवाह ने भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों में पलटाव को आवश्यक बनाते हुये अर्थ–व्यवस्था में तरलता की स्थिति को सख्त किया। सी आर आर, रेपो और रिवर्स रेपो दर तथा सांविधिक तरलता अनुपात को तरलता को बनाये रखने के लिये कम किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण नीति उपायों ने विदेशी वित्तीय बाजारों से उत्पन्न दबाव की क्षतिपूर्ति करने और विदेशी मुद्रा की तरलता में सुधार करने के लिये पर्याप्त तरलता उपलब्ध कराने का लक्ष्य बनाया। निर्यात, आवास, सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्रों के लिये क्षेत्र–विशिष्ट ऋण उपाय इन उपायों के पूरक थे।

घरेलू मांग में आयी तीव्र गिरावट ने उद्योगों में और २००८–०९ की तीसरी और चौथी तिमाही में विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में मंदी पैदा कर दी। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को वेतन की बकाया राशि के आंशिक भुगतान और बजट में घोषित पीड़ित किसानों के ऋण दबाव को समाप्त करने के लिये ऋण राहत पैकेज ने घरेलू मांग को काफी हद तक बनाये रखने में मदद की। इनको दिसम्बर २००८ और फरवरी २००९ के दौरान बढ़े हुये योजनागत व्यय, अप्रत्यक्ष करों में कटौती और कपड़ा, आवास, बुनियादी सुविधाओं, स्वचालित वाहन, सूक्ष्म और लघु क्षेत्रों तथा निर्यात क्षेत्रों के लिये विशिष्ट उपायों ने पूरित किया। साथ ही, किये गये वित्तीय उपायों ने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग ३.५ प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया।

बैंक ऋण की मांग में अप्रैल–अक्टूबर २००८ के दौरान बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई, क्योंकि कंपनियों ने महसूस किया कि वैश्विक वित्तीय संकट के कारण ऋण के बाहरी स्त्रोत अभावग्रस्त हो रहे हैं। वैसे, २००८–०९ के आखिरी भाग

the collapse of Lehman Brothers cascaded into a full blown financial crisis of global dimensions with no signs of early recovery. The effect of the crisis was not significant on Indian economy in the beginning. The initial impact was even positive as the country received accelerated foreign institutional investments during September 2007 to January 2008. But as the crisis intensified and spread to emerging economies through capital and current account of balance of payments (BoP), the net portfolio flows to India soon turned negative as foreign institutional investors (FIIIs) offloaded holding of stocks to replenish overseas cash balances. The economy experienced extreme volatility in terms of fluctuations in stock, market prices, exchange rate and inflation levels during a short duration.

The outflow of foreign exchange led to tightening of liquidity situation in the economy necessitating reversal of policies by RBI. The CRR, repo and reverse repo rates and statutory liquidity ratio were brought down to infuse liquidity. The credit policy measures of RBI also aimed at providing adequate liquidity to compensate the squeeze emanating from foreign financial markets and improving foreign exchange liquidity. These measures were supplemented by sector specific credit measures for exports, housing, micro and small enterprises and infrastructure.

The sharp shrinkage in domestic demand led to a downturn in industry and in the services sector especially for the 3rd and 4th quarters of 2008-09. The pay out of a part of arrears to government employees following the 6th pay commission report and the debt relief package to alleviate the debt burden of the distressed farmers announced in the budget helped to sustain domestic demands to a great extent. These were supplemented by further measures during December 2008 and February 2009 including increased plan expenditure, reduction in indirect taxes and sector specific measures for textiles, housing, infrastructure, automobiles, micro and small sectors and exports. The fiscal measures taken together provided a fiscal stimulus of about 3.5% of GDP.

The demand for bank credit increased sharply during April-October 2008 as companies found that external sources of credit were drying up in the wake of global financial crisis. However, towards the later part of 2008-09 credit growth declined abruptly reflecting the slow down of economy in general

में ऋण वृद्धि में बहुत तेजी से कमी आयी जिससे अर्थ–व्यवस्था में सामान्य गिरावट का तथा औद्योगिक क्षेत्र में विशेष गिरावट का संकेत मिला। पूर्ण वर्ष के आधार पर, बैंक ऋण वृद्धि २००७–०८ के २२.३ प्रतिशत से गिरकर २००८–०९ में १७.३ प्रतिशत हो गयी है।

वैश्विक संकट के कारण पूँजी और चालू खातों में दबाव के संकेतों के बावजूद २००८–०९ में भुगतान संतुलन की स्थिति कुल मिलाकर स्थिर रही। २००८–०९ की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान २००७–०८ की इसी अवधि के लिये US$ १५.५ बिलियन (सकल घरेलू उत्पाद का १.८ प्रतिशत) के मुकाबले चालू खाता घाटा US$ ३६.५ बिलियन (सकल घरेलू उत्पाद का ४.१ प्रतिशत) था। २००७–०८ की इसी अवधि के लिये पूँजी खाता भुगतान US$ ८२.६८ बिलियन (सकल घरेलू उत्पाद का ९.८ प्रतिशत) की तुलना में गिरकर US$ १६.०९ बिलियन (सकल घरेलू उत्पाद का १.८ प्रतिशत) हो गया। एक सकारात्मक विकास व्यक्तिगत हस्तांतरण और सॉफ्टवेयर से आमदनी तथा अप्रवासीय जमा प्रवाह तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश था। इसके साथ ही कच्चे तेल की नीची कीमतों और आयात में गिरावट से भुगतान संतुलन पर कुल प्रभाव नगण्य था। इसका संकेत २००८–०९ के दौरान भुगतान संतुलन के आधार पर आरक्षित जमा पूँजी में केवल US$ २०.४ बिलियन की गिरावट से मिलता है।

अंर्तराष्ट्रीय वित्त और व्यापार ऋण तथा वैश्विक मांग में कमी के कारण निर्यात क्षेत्र प्रभावित हुआ। निर्यात में अगस्त २००८–०९ तक अच्छी खासी बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी, परंतु सितम्बर २००८ में उलटा रूझान प्रेक्षित किया गया और अक्टूबर में निर्यात ऋणात्मक हो गये। पूरे वर्ष के लिये, २००८–०९ के दौरान सामानों के निर्यात में वृद्धि US$ के पदों में ३.६ प्रतिशत और रूपये के पदों में १६.९ प्रतिशत थी, जबकि २००७–०८ में यह क्रमशः २८.९ प्रतिशत और १४.७ प्रतिशत थी। इंजीनियरी सामानों, रसायनों तथा संबंधित उत्पादों के निर्यात ने अच्छी खासी वृद्धि दर्ज कराई जबकि पेट्रोलियम उत्पादों और कपड़े के निर्यात ने भी सकारात्मक परंतु कम वृद्धि दर्ज कराई। इसी अवधि के दौरान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हुये निर्यात में १.६ प्रतिशत की कमी आयी जबकि एशिया को निर्यात में ६.९ प्रतिशत तथा यूरोप को निर्यात में १०.२ प्रतिशत की वृद्धि हुयी। दक्षिण एशियाई देशों को भी भारतीय सामान के निर्यात में ५.२ प्रतिशत की कमी आयी। अक्टूबर २००८ से आयात की वृद्धि में भी गिरावट आरंभ हो गयी और जनवरी से मार्च २००९ के दौरान यह ऋणात्मक हो गयी। पूरे साल के लिये, आयात वृद्धि US$ के पदों में १४.४ प्रतिशत और रूपये के पदों में २९ प्रतिशत थी। घरेलू मांग को पूरा करने के लिये उर्वरकों और खाद्य तेलों ने उच्च आयात वृद्धि दर्ज करायी। व्यापार घाटा २००७–०८ में US$ ८८.५ बिलियन से बढ़कर २००८–०९ में US$ ११९.११ बिलियन हो गया। वैश्विक मंदी

and the industrial sector in particular. On a full year basis bank credit growth fell from 22.3% in 2007-08 to 17.3% in 2008-09.

The overall balance of payments situation remained stable in 2008-09 despite signs of strain in the capital and current accounts due to global crisis. During the first three quarters of 2008-09 (April-December) the current account deficit was US $ 36.5 bn (4.1% of GDP) as against US $15.5 bn (1.8% of GDP) for the corresponding period of 2007-08. The capital account balance declined significantly to US$ 16.09 bn (.1.8% of GDP) as compared to US$ 82.68 bn (9.8% of GDP) during the corresponding period in 2007-08. A positive development was higher private transfers and software earnings and increase in non resident deposit flows and foreign direct investment. Together with a lower crude oil prices and decline in imports the overall impact on balance of payments was somewhat neutral. This is reflected in reserve decline of only US$ 20.4 bn on balance of payments basis during 2008-09.

Export sector was affected due to drying up of international financing and trade credit and fall in global demand. Exports registered robust growth till August 2008-09 but a reversal trend was observed in September 2008 with exports becoming negative in October. For the year as a whole the growth in merchandise exports during 2008-09 was 3.6% in US$ terms and 16.9% in rupee terms as against 28.9% and 14.7% respectively in 2007-08. The exports of engineering goods, chemicals and related products showed significant growth while petroleum products and textile exports also registered positive but low growth. Exports to USA declined by 1.6% whereas exports to Asia grew by 6.9% and to Europe by 10.2% during this period. India's merchandise exports to south asian countries also declined by 5.2%. Import growth began to decline from October 2008 and was negative during January to March 2009. For the year as a whole the overall import growth was 14.4% in US$ terms and 29% in rupee terms. Fertilizers and edible oils registered a high import growth to meet domestic demand. The trade deficit increased from US$ 88.5 bn in 2007-08 to US$ 119.11 bn in 2008-09. The impact of global recession was relatively less on India's services exports till December 2008. Growth rate moderated to 6.3% in spite of negative growth in insurance and a sharp fall in the

का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्रों पर दिसम्बर २००८ तक अपेक्षाकृत कम था। बीमा क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि तथा यात्रा सेवाओं में तीव्र गिरावट के बावजूद वृद्धि दर ६.३ प्रतिशत तक संशोधित हो गयी। सॉफ्टवेयर सेवायें २६ प्रतिशत पर बढ़ीं जबकि वित्तीय सेवाओं ने ४५.७ प्रतिशत की जबरदस्त वशद्धि दर्ज करायी। २००७–०८ के ४.७ प्रतिशत के मुकाबले औसत मुद्रास्फीति २००८–०९ में ८.४ प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (सी.पी.आई.) के अर्थों में मुद्रास्फीति की दर में काफी उतार–चढ़ाव आये।

वैश्विक वित्तीय संकट से बेअसर कुछ चुनौतियां जो भारत के सामने हैं, वे अनवरत प्रकृति की हैं। इनमें गरीबी उन्मूलन, वित्तीय और सामाजिक बुनियादी सेवाओं का मजबूतीकरण, शिक्षा और उत्पादकतापरक रोजगार के अवसरों का सृजन शामिल हैं। समग्र विकास और सर्वाधिक तीव्र सामाजिक क्षेत्र विकास को प्राप्त करने तथा आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिये मुख्य पहलों में भारत निर्माण कार्यक्रम, मिड–डे मील योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शामिल हैं। जहां ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि, शायद अर्थ–व्यवस्था मंदी का सबसे बुरा वक्त झेल चुकी है, अर्थ–व्यवस्था के लचीलेपन तथा २००८.०९ के दौरान आरंभ किये गये विभिन्न मौद्रिक और वित्तीय उपायों के कारण परिस्थिति की यह मांग है कि, आर्थिक उत्प्रेरकों के प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय अर्थ–व्यवस्था में हो रहे विकासों सहित विभिन्न आर्थिक सूचकों पर बारीकी से नजर रखी जाये। नीतिगत उपायों की आवश्यकता लघु और दीर्घ अवधि की चुनौतियों का सामना करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये होती है कि अर्थ–व्यवस्था का दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहे।

(संदर्भः आर्थिक सर्वेक्षण २००८.०९)

growth of travel services. Software services grow at 26% while financial services registered a robust growth of 45.7%. The average inflation for 2008-09 was 8.4% as against 4.7% in 2007-08. There was significant variation in inflation rate in terms of Wholesale Price Indux (WPI) and the Consumer Price Indices (CPIs).

Regardless impact of global financial crisis some of the challenges that India faces are of a continuing nature. This include eradicating poverty, strengthening fiscal and social infrastructure, education and creating productive employment opportunities. Some of the major social initiatives for achieving inclusive growth and fastest social sector development and to remove economic and social disparities include the Bharat Nirman programme, Mid-day Meals Scheme, National Rural Health Mission, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and the National Rural Employment Guarantee Scheme. While there are indications that the economy may have weathered the worst of the downturn, due to the resilience of economy and also various monetary and fiscal measures initiated during 2008-09, the situation warrants close watch on various economic indicators including the impact of the economic stimulus and developments taking place in the international economy. Policy measures are required to address the short and long term challenges and to ensure that the outlook of the economy remains positive.

(Ref. Economic Survey 2008-09)

II. सहकारी दीर्घावधि ऋण संरचना – विहंगम दृष्टि

भारत में, ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली अल्पवधि एवं दीर्घावधि ऋण देने के लिए दो विभिन्न प्रवाह कार्यरत है। दीर्घावधि ऋण संरचना की शुरुआत, १९२० की प्रारंभ में हुई, जब किसानों के लिए उनके पहले के ऋण को चुकाने के लिए भूमि बंधक बैंक की स्थापना १९२० में पंजाब में की गई । इसके बाद अन्य प्रान्तों में भी इसकी स्थापना की गई । प्रथम केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक की स्थापना मद्रास में डिबेंचरी को जारी करने एवं प्राथमिक भूमि बंधक बैंक के कार्यो के समन्वय के लिए गई । बम्बई बैकिंग इंक्वायरी कमिटी (१९३०) ने प्राथमिक ऋण सोसायटियों के पास दिर्घावधि ऋण देने के लिए संसाधनों की कमी का उल्लेख किया एवं इसके लिए भूमि बंधक बैक की स्थापना के लिए परामर्श किया । भूमि बंधक बैंक का ३० एवं ४० के दर्शकों में पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह प्रसार हुआ । इसके लिए न कोई आकार तय था न ही उनके कार्य क्षेत्र को तय किया गया था । अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य स्तरीय शीर्ष संस्थान के साथ भूमि बंधक बैंकों का पुनर्गठन किया जाए एवं इससे संबद्ध प्राथमिक भूमि बंधक बैंक तालुका स्तर पर हो । समिति ने कृषि के लिए ऋण में निवेश जैसी भूमिका निर्धारित कर भूमि विकास बैंक के कार्य क्षेत्र को विकासात्मक भूमिका प्रदान की । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केन्द्रिय भूमि बंधक बैंकों की स्थापना प्राय: हर राज्य में की गई ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय कृषि के विकास में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की लघु सिंचाई एवं कृषि यांत्रिकीकारण भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। एआरडीबी ने ६० एवं ७० के दशकों में लघु सिंचाई एवं फार्म मेकेनाइजेशन के द्वारा जमीन की उत्पादकता बढाने में सराहनीय योगदान दिया है।

कृषि कार्य में पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करने के साथ ही इन बैंकों ने ८० एवं ९० के दशकों में ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को भी बड़े पैमाने पर वित्तपोषण करना शुरु किया। इससे, ग्रामीण परिवारों को उनकी आमदनी बढ़ाने में काफी मदद मिली । उनके उत्पादों पर अच्छी कीमतें मिलने के अलावा उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्राप्त हुए ।

३१ मार्च २००८ को १९ एससीएआरडीबी की २४९५ इकाईयॉ कार्यरत थी, जबकी ३१ मार्च २००७ को २४३० इकाइयां कार्यरत थी । जिसमें ७३० शाखाएं एवं ६८४ प्राथमिक एआरडीबी की १०६२ शाखाएं थी ।

३१.३.२००७ को १३.७९ मिलियन के मुकाबले संरचना में व्यक्तिगत सहायकों की संख्या ३१.३.२००८ में १४.३२

II. COOPERATIVE LONG TERM CREDIT STRUCTURE – OVERVIEW

Rural Cooperative Credit System in India evolved into two separate streams for ST credit and LT credit. The Long Term Credit Structure had its beginning in the early 1920s with the establishment of Land Mortgage Banks to provide long term loans to farmers to redeem their prior debts. The first Land Mortgage Bank was established in 1920 in Punjab followed by establishment of large number of such banks in all provinces. The first Central Land Mortgage Bank started functioning in Madras to centralize the issue of debentures and to coordinate the working of Primary Land Mortgage Banks. The Bombay Banking Enquiry Committee (1930) mentioned about the inadequacy of resources of primary credit societies to undertake long term lending and advocated formation of Land Mortgage Banks to meet long term credit needs of farmers. The 30s and 40s witnessed mushroom growth of Land Mortgage Banks throughout the country without any uniform pattern with regard to their size and operations. The All India Rural Credit Survey Committee recommended reorganization of Land Mortgage Banks with a State level apex body and Primary Land Mortgage Banks at taluka level affiliated to it. The Committee also assigned a developmental role to the Land Mortgage Banks by diversifying their operations into investment credit for agriculture. Central Land Mortgage Banks were established in almost all States during the II Five Year Plan.

The contributions of Agriculture & Rural Development Banks to the development of Indian agriculture have been quite significant in the post Independence era. ARDBs played a very important role in improving the productivity of land especially through development of minor irrigation and facilitating farm mechanization in the 60s and 70s. While continuing to promote capital formation in agriculture, these banks started financing rural non farm sector projects in a big way in the 80s and 90s which helped rural families to increase their incomes substantially through value addition to their produce apart from providing opportunities for alternate employment.

As on 31st March 2008, SCARDBs in the country had 2495 operating units comprising of 19 SCARDBs with 730 branches and 684 Primary ARDBs with 1062 branches, as against 2430 operating units as on 31.3.2007.

Aggregate membership of individual cooperators in the structure stood at 14.32 mn as on 31.3.2008

मिलियन रही। कर्ज लेने वालों की सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या की ६६.४ प्रतिशत थी।

३१ मार्च २००७ को रू० ३९२९.९९ करोड़ के मुकाबले स्वामित्व वाले फंडों (एस.सी.समस्त आरक्षित) का बकाया ३१ मार्च २००८ को बढ़कर रू० ४६७१.३२ करोड़ हो गया।

एससीएआरडीबी की उधारी बकाया ३१ मार्च २००७ को रु.१६१९३.६५ करोड़ से बढ़कर ३१ मार्च २००८ को रु. १५,०८९.५१ करोड़ हो गयी । इनमें विशेष विकास डिबेंचर कार्यक्रम (नाबार्ड पुनर्वित) की राशि, रु. १४,२१०.२० करोड़ थी जो कुल उधारी बकाया का ८७.०० प्रतिशत होता हैं ।

वर्ष २००७–०८ के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत संग्रहित जमाराशि, रु. २१७.१५६ करोड़ थी जबकि पिछले वर्ष रु. २७८.३१ करोड़ जमा संग्रहित किये गये थे । इससे, ३१ मार्च २००७ को कुल बकाया जमाराशि बढकर रु. ४२३.६२ करोड़ हो गयी ।

एससीएआरडीबी ने अपने उधारग्रहिताओं को ऋण के रुप में रु. २१६१.१३ करोड़ वर्ष २००७–०८ में दिये गये, जबकि वर्ष २००६–०७ में रु०. २५२४.७५ करोड़ दिये गये थे । यह १४.४ प्रतिशत घाटे को दर्शाता है । शीर्ष स्तरपर ऋण बकाया ३१ मार्च २००७ के रु. १५९४६.४० करोड़ से बढकर वर्ष २००८ को रु. १७८९३९८ करोड़ हो गये । लघु एवं सीमान्त किसानों को वर्ष २००७–०८ के दौरान कुल ऋण का ३९.५ प्रतिशत ऋण दिए गये।

फार्म मेकेनाइजेशन ग्रामीण गृह संस्थान एवं लघु सिंचाई को प्रमुख रुप से ऋण देना जारी रहा, जो कुल ऋण का क्रमश: १८.०७ प्रतिशत १३.७४ प्रतिशत एवं ८.४३ प्रतिशत था । उसके बाद गैर कृषि क्षेत्र (९.१० प्रतिशत) और प्लांटेशन एवं हार्टिकल्चर (५.६७ प्रतिशत), थे । एआरडीबी ने वर्ष १९९० से अपने कार्यकलाप में विविधता लायी एवं ग्रामीण गृह संस्थान को भी शामिल किया ।

एससीएआरडीबी एवं पीसीएआरडीबी तथा राज्य एवं प्राथमिक एआरडीबी के निर्वाचित बोर्ड सदस्यों के लगभग २५,००० कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं को, एससीएआरडीबी द्वारा नाबार्ड के वित्तीय सहायता से संचालित जेएलटीसीएस, राज्य स्तरीय सहकारी प्रबंधक संस्थानों एवं स्तरीय सहकारी प्रबंधक संस्थान (ICMs & RICM) जिसका संचालन भारत सरकार के सहयोग से एनसीसीटी एवं नाबार्ड द्वारा संचालित क्षेत्रिय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा पूरा किया जाता

as against 13.79 mn as on 31.3.2007. The borrowing membership constituted 66.4 percentage of total membership.

The owned funds (sc + all reserves) outstanding increased from Rs.3929.99 crores as on 31st March 2007 to Rs.4671.32 crores as on 31st March 2008.

The borrowings outstandings of the SCARDBs constituted at Rs.15089.51 crores as on 31.3.08 as against Rs.16193.65 crores as on 31.3.2007. Of this, Special Development Debenture Programme accounted for Rs.13278.60 crores constituting 88% of the total..

During the year 2007-08 the SCARDBs mobilized deposits under the scheme approved by RBI/ NABARD amounting to Rs.217.16 crores as against Rs.278.31 crores mobilized during 2006-07 with total deposits outstanding reaching Rs.423.62 crores as on 31st March 2008.

SCARDBs disbursed at the ultimate borrowers' level loans amounting to Rs.2161.13 crores during the year 2007-08 as against Rs.2524.75 crores during 2006-07 indicating a decline in disbursement equal to 14.4% over the previous year. The loans outstanding at the apex level increased from Rs.15946.40 crores as on 31st March 2007 to Rs.17893.98 crores as on 31st March 2008. Small and Marginal farmers accounted for 39.5% of total loans issued during 2007-08.

Rural Housing, Farm Mechanisation and Minor Irrigation were the major sectors financed accounting for 18.07%, 13.74% and 8.43% of total advances respectively followed by Rural Non-Farm Sector (9.10%) and Plantation & Horticulture (5.67%%). The ARDBs are financing rural housing in a big way since 1990.

The training needs of about 25000 personnel of SCARDBs & PCARDBs as well as elected Board Members of the State & Primary ARDBs are largely met by JLTCS run by SCARDBs with financial support from NABARD, Institutes of Co-operative Managements and Regional Institutes of Co-operative Management (ICMs and RICMs) run by NCCT with funding support from GOI & Regional

है । मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के अधिकारीयों को मुख्यत: वॅमनिकॉम एवं कॅब (VAMNICOM & CAB) पुणे तथा बर्ड (BIRD), लखनऊ एवं राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकिंग संस्थान, बेंगलोर में प्रशिक्षित किया जाता है । जबकि, सभी एसीएआरडीबी द्वारा एमआईएस को कम्प्यूटरीकृत किया । अन्य बड़ी एससीएआरीबीओं द्वारा परिचालन को कम्प्यूटरीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चालू है ।

जब एमआईएस लगभग सभी एससीएआरडीबी द्वारा कम्प्यूटराइज़ किया जा रहा था, केरल व पंजाब के एससीएआरडीबी द्वारा पूरे परिचालन सभी स्तरों पर कम्प्यूटराइज़ कर दिये गये थे । प्रगति के विभिन्न स्तरों पर परिचालनों के कम्प्यूटराइज़ेशन अन्य बड़े एससीएआरडीबी को ध्यान में रखकर हो रहे हैं ।

एलटी स्ट्रक्चर ने कृषि के क्षेत्र में पूंजी निर्माण को गति देने में सराहनीय काम किया है । लेकिन, एआरडीबी की कार्यकुशलता, ९० के बाद के हिस्से से कम होनी शुरू हो गई है जिसका मुख्य कारण है अंतर्निहित कमियां जो ग़ैर–संसाधन आधारित विशेषज्ञता अवधि कर्ज़ एजेन्सियों के रूप में, उनके डिज़ाइन से जुड़ी हैं, जो अन्य ग्रामीण वित्तीय संस्थानों से स्पर्धा में पर्याप्त तीव्रता से वित्तीय सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार चलने की उनकी क्षमता को रोकती है ।

इन कमियों के साथ, इस प्रणाली में कुछ आंतरिक एवं बाहय अशक्तता एवं दोषों के कारण पिछले १० वर्षो में इनकी आर्थिक स्थिति एवं उनकी कार्यक्षमता में अत्यधिक हानि हुई ।

३० जून २००८ को सर्वोच्च स्तर पर उगाही का प्रतिशत ६५.५७ प्रतिशत तथा अनंतिम उधारकर्ताओं के स्तर पर ८६.८ प्रतिशत था। बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में एन.पी.ए., जो ३१ मार्च २००७ को ३५.९१ प्रतिशत थे, ३१ मार्च २००८ को बढ़कर ४०.३५ प्रतिशत हो गया। १५ एस.सी.ए.आर.डी.बी. में से केवल १२ एस.सी.ए.आर.डी.बी. के पास शुद्ध धन संपत्ति है। ४ एस.सी.ए.आर.डी.बी. ने आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये हैं। ७ एस.सी.ए.आर.डी.बी. (बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पाँडिचेरी, उत्तर प्रदेश और जम्मू व कश्मीर) को २००६–०७ में ६ एस.सी.ए.आर.डी.बी. के मुकाबले २००७–०८ में घाटा हुआ।

फरवरी २००८ में ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना की घोषणा के बाद क्षेत्र में ऋण उगाही बुरी तरह प्रभावित हुयी। बार–बार होने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने फसलों को प्रभावित किया, ऋण उगाही की प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप के कारण बकाया और एन.पी.ए. की बढ़ोत्तरी के रूझान में योगदान मिला।

Training Centres run by NABARD. Middle and Senior level personnel are trained mainly at VAMNICOM & CAB, Pune & BIRD, Lucknow and National Institute for Rural Banking, Bangalore.

While MIS has been computerized by almost all SCARDBs, entire operations at all levels have been fully computerized by Kerala & Punjab SCARDBs. Computerization of operations is at varying stages of progress with regard to other major SCARDBs.

The LT Structure has done commendable work in speeding up capital formation in agriculture. The performance of ARDBs, however, started declining since the latter part of 90s mainly due to inherent deficiencies associated with their design as non-resource based specialized term lending agencies, severely restricting their ability to meet the financial services needs of members adequately in competition with other rural financial institutions.

These deficiencies, coupled with impairments and infirmities in key areas of their working due to factors internal as well as external to the system resulted in drastic deterioration of the financial health and viability of these institutions during the last 10 years or so.

The recovery percentage was 65.57% at Apex level and 86.8% at ultimate borrowers' level as on 30th June 2008. NPAs as percentage of loans outstanding which stood at 35.91% as on 31st March 2007 increased to 40.35% as on 31st March 2008. Of the 15 SCARDBs, only 12 SCARDBs are having positive networth. 4 SCARDBs have not reported the data. 7 SCARDBs (Bihar, Karnataka, Maharashtra, Orissa, Pondicherry, Uttar Pradesh & Jammu & Kashmir) incurred losses in 2007-08 as against 6 SCARDBs in 2006-07.

Loan recovery in the sector has been badly affected after the announcement of ADWDR Scheme in February 2008. Frequent natural calamities affecting crops, govt interferences in the recovery process have also contributed to the trend of increasing overdues and NPAs.

राज्य स्तर और ए.आर.डी.बी. के प्राथमिक स्तर पर प्रशासन कई कारणों से बाधित होता है। स्वतंत्रता और आजाद संचालन की कमी, अधिकांश संस्थाओं में चुने गये बोर्ड की अनुपस्थिति, बिना किसी नियुक्ति प्रक्रिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चयन, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का बार–बार परिवर्तन, विभिन्न संचालनीय क्षेत्रों में व्यायसायिक लोगों की कमी, अपर्याप्त प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास प्रयास, बैंकों के प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप इत्यादि खराब प्रशासन के लिये जिम्मेदार मुख्य कारण हैं।

इन कमियों के बावजूद, इसकी सतर्कता बनी रहे एवं कृषि के कुल ऋण में आनुपातिक निवेश में इन कमियों को रोकना होगा । अत: इसकी सुदृढकीकरण योजना में इसे सदस्यों द्वारा संचालित स्वायत्त संस्थान के रुप में विकसित करने की आवश्यकता है जिससे कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवायें प्रभावी रुप से प्रदान कर सके । खासकर के आज स्पध र्ात्मक वातावरण में कृषि हेतु पूँजी निर्माण की बहुत आवश्यकता है ।

III. २००७–०८ के दौरान विकास–खास बातें

सहकारी दीर्घकालीन ऋण ढांचे के लिए नवजीवन संचार पैकेज

पृष्ठभूमि

ढांचागत मजबूती के लिए सरकार के हस्तक्षेप के वास्ते बैंकिंग क्षेत्र द्वारा चलाए गए अभियान को देखते हुए, वैद्यनाथन कार्यबल प्प की सिफारिशों पर आधारित एलटीसीसीएस में संस्थाओं के लिए नवजीवन संचार पैकेज के क्रियान्वयन हेतु २००८–०९ के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा का एक विशेष महत्व है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फेडरेशन द्वारा एक दशक तक किए गए लंबे प्रयासों की महत्वपूर्ण घटनाएं नीचे दी गई हैं:–

- सहकारी ग्रामीण ऋण ढांचे में संस्थाओं के पुन: पूंजीकरण के संबंध में २१ मार्च, १९९९ को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा के साथ एनसीएआरडीबी फेडरेशन तथा राज्य सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय फेडरेशन के प्रतिनिधियों की बैठक।
- अप्रैल, १९९९ में भारतीय रिजर्व बैंक के उप–गवर्नर, श्री जगदीश कपूर की अध्यक्षता में सहकारी ऋण ढांचे को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा उच्च स्तर के कार्यबल की नियुक्ति।

Governance at State and Primary level ARDBs are impaired by a host of factors. Lack of autonomy and operational freedom, absence of elected board in majority of institutions, appointment of CEOs by Government without proper selection process, frequent change of CEOs, lack of professionals in various operational disciplines, inadequate training & HRD efforts, Government interferences in the management of the banks etc. are the major factors, responsible for poor governance.

In spite of these deficiencies, the structure continues to be relevant and needs to be revived to arrest the rapid fall in the proportion of investment credit in the total flow of farm credit. The revitalization of the structure, involves transformation of SCARDBs and PCARDBs into self reliant autonomous member driven organizations, capable of delivering financial services to the rural sector effectively, in a competitive environment, with focus on capital formation in agriculture.

III. DEVELOPMENTS DURING 2008-09 - HIGHLIGHTS

Revitalization Package for Cooperative Long Term Credit Structure

Background

The announcement in the Union Budget 2008-09 to implement a revival package for institutions in the LTCCS based on the recommendations of Vaidyanathan Task Force II marks an important phase in the campaign undertaken by the sector for the intervention of the Government to strengthen the structure. The important events in the decade long efforts by the Federation towards this end are listed below:-

* Meeting of representatives of NCARDB Federation and National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB) with Shri Yashwant Sinha, Union Finance Minister on 21 March 1999 regarding recapitalization of institutions in the cooperative rural credit structure.

* Appointment of high level Task Force by Govt of India to suggest measures to strengthen the cooperative credit structure under the chairmanship of Shri Jagdish Capoor, Deputy Governor, Reserve Bank of India in April 1999.

- १६–१८ अगस्त, १९९९ को एआरडीबी में ढांचागत सुधारों पर फेडरेशन द्वारा काठमांडू में सेमीनार का आयोजन जिसमें मुख्य वक्ताओं के रूप में क्रमश: कार्यबल के अध्यक्ष और सदस्य श्री जगदीश कपूर और श्री वाई.सी.नंदा ने हिस्सा लिया।
- एआरडीबी की बेलैंस शीटों के संशोधन के लिए एकमुश्त बजटीय सहयोग की आवश्यकता के संबंध में २१ जनवरी, २००० को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री बालासाहेब विखे पाटील के साथ फेडरेशन के प्रतिनिधियों की बैठक।
- 'एआरडीबी की बेलैंस शीटों के संशोधन के लिए एकमुश्त सहयोग के संबंध में' प्रस्तुतिकरण के लिए २७ जनवरी, २००० को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री बालासाहेब विखे पाटील के साथ दूसरी बैठक।
- पुन:पूँजीकरण की मांग करते हुए ढांचे में सभी यूनिटों द्वारा फैक्स/टेलीग्राम के माध्यम से १० फरवरी, २००० को प्रधानमंत्री को संदेश भेजे गए।
- सहकारी ऋण ढांचे के पुन:पूँजीकरण के मुद्दे पर १० फरवरी, २००० को दिल्ली में अध्यक्ष, एनसीएआरडीबीएफ और अध्यक्ष, एनएएफएससीओबी द्वारा संयुक्त संवाददाता सम्मेलन।
- १३वीं लोकसभा में कॉपरेटिव्स के लिए सांसदों के फोरम की स्थापना और मंत्री श्री सांसद येरेन नायडू इसके संयोजक बने।
- सांसदों के फोरम की पहली बैठक २ मार्च, २००० को नई दिल्ली में हुई जिसमें सहकारी ऋण ढांचे की बेलैंस शीटों के संशोधन के लिए संस्थाओं को एकमुश्त सहयोग प्रदान करने की जरूरत के बारे में इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- २ मार्च, २००० को आयोजित सांसदों के फोरम की बैठक के फैसलों से अवगत कराने के लिए ३ मार्च, २००० को अध्यक्ष, एनसीएआरडीबीएफ और अध्यक्ष, एनएएफएससीओबी की प्रधानमंत्री के साथ बैठक।
- फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली में १५ मई, २००० को सांसदों के फोरम की बैठक आयोजित। इस बैठक मे संसद के दोनों सदनों के राजनीतिक दलों के सांसदों के अलावा, श्री सी.एम.जी.बालयोगी, लोकसभाध्यक्ष, श्री यशवंत सिन्हा, केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय रसायन मंत्री, श्री बालासाहेब विखे पाटील, वित्त राज्य मंत्री और श्री एस. बी.पी.बी.के. सत्यनारायण राव, कृषि राज्य मंत्री ने भी हिस्सा लिया।
- भारत सरकार, राज्य सरकारों और कॉपरेटिवों के सदस्यों के आर्थिक सहयोग से सहकारी ग्रामीण ऋण संस्थानों हेतु पुर्नउद्धार संचार पैकेज की अनुशंसा करते हुए जुलाई, २००० में जगदीश कपूर कार्य बल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

- Seminar organized by the Federation on Structural Reforms in ARDBs from 16-18 August 1999 in Kathmandu, which was attended by Shri Jagdish Capoor and Shri Y.C. Nanda, Chairman and Member of the Task Force respectively, as main speakers.
- Meeting of representatives of the Federation with Shri Balasaheb Vikhe Patil, Union Minister of State for Finance on 21 January 2000 regarding the need for one time budgetary support for cleansing the balance sheets of ARDBs.
- Second meeting with Shri Balasaheb Vikhe Patil, Minister of State for Finance on 27 January 2000 to make a presentation on 'case for one time support for cleansing the balance sheets of ARDBs'.
- Sending messages to Prime Minister on 10 February 2000 by fax/telegram by all units in the structure demanding recapitalization.
- Joint press meeting by Chairman NCARDBF and Chairman NAFSCOB on 10 February 2000 in Delhi on the issue of recapitalization for cooperative credit structure.
- Constitution of Parliamentarians Forum for cooperatives in the 13th Lok Sabha with Shri Yerran Naidu, MP as Convenor.
- First Meeting of the Parliamentarians Forum on 2 March 2000 in New Delhi which decided to take up with the Govt the need to provide one time support to institutions in the cooperative credit structure for cleansing their balance sheets.
- Meeting of Chairmen of NCARDBF and NAFSCOB with Prime Minister along with Shri Yerran Naidu, MP on 3 March 2000 to apprise the decisions of the meeting of Parliamentarians Forum held on 2 March 2000.
- Meeting of Parliamentarians Forum organized by the Federation on 15 May 2000 in New Delhi. This meeting was attended by Shri C.M.G. Balayogi, Speaker of Lok Sabha, Shri Yashwant Sinha, Union Finance Minister, Shri Suresh Prabhu, Union Minister for Chemicals, Shri Balasaheb Vikhe Patil, Minister of State for Finance, Shri S.B.P.B.K. Satyanarayana Rao, Minister of State for Agriculture apart from Parliamentarians across political parties from both Houses of Parliament.
- Submission of report by Jagdish Capoor Task Force in July 2000 recommending a revitalization package for cooperative rural credit institutions with financial support from Govt of India, State Govts and the members of the cooperatives.

- जगदीश कपूर कार्य बल की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में दिसंबर, २००० में भारत सरकार द्वारा परामर्श सम्मेलन का आयोजन। बैठक में वित्तीय सहयोग के बंटवारे के तरीके पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आम सहमति नहीं बन सकी।
- २५ अगस्त, २००१ को जगदीश कपूर की अध्यक्षता वाले कार्य बल की रिपोर्ट लागू करने के बारे में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन जिसमें इस मुद्दे पर सिफारिशों के लिए श्री बालासाहेब विखे पाटील की अध्यक्षता में मंत्रियों की संयुक्त समिति के चयन का प्रस्ताव आया जिस पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में आम सहमति नहीं बन सकी।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नवजीवन संचार सहायता मामले में ६० : ४० के बंटवारे के पैटर्न की अनुशंसा करते हुए दिसंबर, २००१ में मंत्रियों की संयुक्त समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति। समिति ने यह भी सिफारिश की मजबूत एससीएआरडीबी को पूरी तरह से बैंकों के रूप में कार्य कराने हेतु लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
- फेडरेशन ने १८ दिसंबर, २००१ को चंडीगढ़ में एआरडीबी के समक्ष चुनौतियां और अवसर विषय पर एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया।
- चुनौतियां और अवसर पर एक राष्ट्रीय सेमीनार के बाद, एआरडीबी के समक्ष चुनौतियां और अवसर विषय पर पूर्वी क्षेत्र के लिए १३–१४ अप्रैल, २००२ को कलकत्ता में, उत्तर क्षेत्र के लिए २०–२१ अप्रैल, २००२ को दिल्ली में, दक्षिण क्षेत्र के २९–३० अप्रैल, २००२ को बंगलौर में और पश्चिम क्षेत्र के लिए ६–७ मई, २००२ को पुणे में चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- श्री पी.बी.माथुर, कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एआरडीबी को पूरी तरह से बैंकों के रूप में परिवर्तित करने के लिए मई, २००२ को रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्यसमूह की नियुक्ति। यह कार्यसमूह बाद में श्रीमती उषा थोराट, कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पुन: गठित किया गया। तथापि, कार्यसमूह ने अपनी रिपोर्ट पेश किए बिना अपना कार्य छोड़ दिया।
- १०० करोड़ रूपए के सांकेतिक आबंटन के साथ २००२–०३ के केंद्रीय बजट में नवजीवन संचार पैकेज की घोषणा। तथापि, राज्य सरकारों को योजना के बारे में जानकारी तथा राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति का गठन करने की सरकार द्वारा बाद में घोषणा नहीं की गई जैसा कि योजना में परिकल्पित था।
- यूपीए सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारी ऋण प्रणाली को फिर से जीवनदान देने का आश्वासन और सहकारी ऋण प्रणाली को पुनर्जीवन देने की दिशा में नई पहल करते हुए २००५ में वैद्यनाथन कार्य बल की नियुक्ति।

- Consultation Meet convened by Govt of India in December 2000 regarding implementation of the report of Jagdish Capoor Task Force. Consensus on sharing pattern of financial support between Centre and State Govts was not reached in the meeting.

- Chief Ministers' Conference on 25 August 2001 regarding implementation of report of the Task Force headed by Shri Jagdish Capoor which resulted in the appointment of Joint Committee of Ministers under the chairmanship of Shri Balasaheb Vikhe Patil to make recommendations on issues on which consensus could not be reached in the Chief Ministers' Conference.

- Submission of the report of Joint Committee of Ministers in December 2001 recommending a sharing pattern on revitalization assistance of 60:40 by Central and State Govts. The Committee also recommended that the process of licensing strong SCARDBs to function as fullfledged banks should be expedited.

- Federation organized National Seminar on Challenges and Opportunities before ARDBs on 18 December 2001 in Chandigarh.

- The National Seminar on Challenges and Opportunities was followed by four Zonal Seminars on Challenges and Opportunities before ARDBs for east zone at Calcutta on 13-14 April 2002, for north zone at Delhi on 20-21 April 2002, for south zone at Bangalore on 29-30 April 2002 and for west zone at Pune on 6-7 May 2002.

- Appointment of a Working Group by RBI in May 2002 for conversion of ARDBs into fullfledged banks under the chairmanship of Shri P.B. Mathur, Executive Director. The Working Group was later on reconstituted under the chairpersonship of Mrs. Usha Thorat, Executive Director. The Working Group, however, abandoned its work without submitting a report.

- Announcement of revitalization package in the Union Budget 2002-03 with a token allocation of Rs.100 crores. However, the announcement was not followed up by the Govt by circulating the Scheme to State Govts and constituting the National level Coordination Committee as envisaged in the Scheme.

- Assurance in the National Common Minimum Programme of UPA Government, to nurse the rural cooperative credit system back to health and appointment of Vaidyanathan Task force in 2005 marked fresh initiative in the direction of reviving cooperative credit system.

- तथापि, वैद्यनाथन कार्य बल ने यह देखते हुए कि दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे में शामिल मुद्दों की प्रकृति भिन्न है और कार्यबल को दोनों ढांचों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं था, अपनी सिफारिशों से दीर्घकालीन ऋण ढांचे को हटाने और अपना विचार–विमर्श अल्पकालीन ऋण ढांचे पर ही सीमित रखने का फैसला किया।
- फेडरेशन के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप, सरकार ने दीर्घकालीन ऋण ढांचे के लिए पुनरूद्धार पैकेज सुझाने हेतु कार्यबल द्वारा अल्पकालीन ऋण ढांचे पर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, जनवरी, २००५ में उसी कार्यबल को नियुक्त किया।
- तथापि, दीर्घकालीन ऋण ढांचे पर वैद्यनाथन कार्य बल II के विचारार्थ विषयों में वित्तीय सहायता के मूल्यांकन और पुनरूद्धार के लिए किसी ऐसी लागू की जा सकने वाली कार्रवाई योजना का सुझाव देने की बात शामिल नहीं की गई जो पुनरूद्धार के लिए अपेक्षित हो' जबकि पिछले कार्यबल के विचारार्थ विषयों की यह मुख्य शर्त थी लेकिन उसने अपनी सिफारिशों को अल्पकालीन ऋण ढांचे तक ही सीमित रखा था।
- फेडरेशन ने पिछले कार्य बल को सौंपे गए कार्यों की तर्ज पर सरकार के सामने विचारार्थ विषयों में संशोधन की आवश्यकता का मुद्दा उठाया।
- फेडरेशन ने स्वयं को उस समय तक कार्यबल से अलग रखने का भी निर्णय लिया जब तक कि इसके विचारार्थ विशयों में उन उद्देश्यों को शामिल करते हुए संशोधन नहीं किया जाता जिसके लिए इसका गठन किया गया था।
- तत्पश्चात, सरकार ने अपने दिनांक २५ अप्रैल, २००५ के आदेश के जरिए कृषि और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देने वाली एआरडीबी को पुनर्जीवित करने के लिए लागू हो सकने वाली कार्रवाई योजना की सिफारिश और ऐसे पुररूद्धार के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता, इसके तरीके, बंटवारे के पैटर्न और चरण का मूल्यांकन करने' के अतिरिक्त विचारार्थ विषय शामिल किया।
- कार्यबल ने अगस्त, २००६ में सरकार को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में संचित नुकसानों की भरपाई के लिए एक वित्तीय पैकेज और ४८३९ करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ कम्प्यूटरीकरण और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करने की सिफारिश की। कार्यबल ने एआरडीबी के संस्थागत एवं कार्यात्मक पुनर्गठन के लिए व्यापक आधार वाले कानूनी और नीतिगत सुधारों की भी सिफारिश की।
- फेडरेशन को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात पुनरूद्धार पैकेज को अंतिम रूप देगी जैसा कि उसने अल्पकालीनऋण ढांचे के मामले में किया था। लेकिन सरकार ने अगस्त, २००६

- However, the Vaidyanathan Task force decided to exclude long term cooperative credit structure from their recommendations and confine their deliberations to short term credit structure taking a view that the nature of issues involved in the long term credit structure is different and also that the time given to the Task Force was not sufficient to address the issues in both the structures.

- As a result of persistent efforts by the Federation, the Government appointed the same Task Force in January 2005 after they submitted their report on short term credit structure, to suggest a revival package for long term credit structure.

- However, the original terms of reference of the Task Force on revival of long term credit structure did not include 'suggesting an implementable action plan for revival and the assessment of financial assistance that may be required for revival' which were the central terms of reference of the earlier Task Force which confined their recommendations to short term credit structure.

- The Federation took up with the Government the need to modify the terms of reference on the lines of those assigned to the earlier Task Force.

- The Federation also decided to disassociate with the Task Force till its terms of reference were modified consistent with the objective for which it was set up.

- Subsequently, the Government vide order dt. 25 April 2005 included the additional terms of reference of "recommending an implementable action plan for reviving ARDBs engaged in long term lending for agriculture and rural development and make an assessment of the financial assistance required for such revival, its mode, sharing pattern and phasing".

- The Task Force submitted its report to Government in August 2006. The Task Force recommended a financial package to wipe off accumulated losses and to provide technical assistance in the areas of computerization and training with an outlay of Rs.4839 crores. The Task Force also recommended wide ranging legal and policy reforms for institutional and functional restructuring of ARDBs.

- The Federation was expecting Central Govt to finalise a revival package in consultation with State Govts as was done in the case of short term credit structure. However, Govt did not take any action on the report for nearly 15 months since it was submitted in August 2006. Lack of

में रिपोर्ट पेश किए जाने से लेकर करीब १५ महीनों तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी का कारण कार्यबल की सिफारिशों पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त न होना बताया गया। यह सूचित किया गया कि यद्यपि कार्यबल की रिपोर्ट को सितंबर, २००६ में ही राज्य सरकारों की टिप्पणियों के लिए उन्हें परिचालित कर दिया गया था लेकिन अप्रैल, २००७ के अंत तक एक दो राज्यों ने ही सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

- फेडरेशन ने बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित कार्यबल की सिफारिशों पर मदवार टिप्पणियों के साथ ४ नवंबर, २००६ को राज्यों को इस अनुरोध के साथ पत्र लिखा कि वे रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजें। इसके बाद जनवरी, २००७ में कॉपरेशन के मंत्रियों को अध्यक्ष की ओर से पत्र लिखा गया। एससीएआरडीबीएफ भी इस मामले पर राज्य सरकारों से निरंतर बातचीत करते रहे।
- फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने पुररूद्धार पैकेज को जल्द अंतिम रूप देने के सिलसिले में वित्त मंत्री की सलाह पर २४ अप्रैल, २००७ को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार और ८ मई, २००७ को सचिव (वित्तीय क्षेत्र) श्री विनोद राय से मुलाकात की। फेडरेशन ने वित्त मंत्रालय को सलाह दी कि वह रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के विचार जानने के लिए उनकी एक बैठक बुलाए जैसा कि और अल्पकालीन ऋण ढांचे से संबंधित कार्यबल की रिपोर्ट के मामले में किया था।
- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूद्धार पर वैद्यनाथन कार्यबल ए की सिफारिशों पर विचार–विमर्श करने के लिए १० अक्तूबर, २००७ को नई दिल्ली में राज्य के वित्त/कॉरपोरेशन मंत्रियों की बैठक बुलाई। बैठक में एलटीसीसीएस में संस्थानों के लिए पुनर्पूंजीकरण और ढांचागत सुधारों समेत पुनरूद्धार पैकेज को लागू करने पर व्यापक तौर पर सहमति बन गई। बैठक में दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे रखने वाले सभी २० राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। राज्यों ने एकमत से एलटीसीसीएस के लिए पुनरूद्धार पैकेज लागू करने की कार्यबल की सिफारिशों का समर्थन किया। राज्यों ने कार्यबल की कुछ सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित सुझाव भी दिए:–

    १) पुनरूद्धार सहयोग हेतु पीसीएआरडीबी/एससीएआरडीबीएफ की शाखाओं के चयन के लिए पात्रता मानदंडों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पुनरूद्धार योजना में ३० प्रतिशत से ज्यादा वसूली के साथ सभी शाखाओं/पीसीएआरडीबी को शामिल किया जा सके।

    २) एआरडीबी को पूरी तरह बैंकिंग संस्थानों में बदलने के लिए मापदंड विकसित किए जाएं।

response to the recommendations of the Task Force by State Govts was cited as the reason for the delay in taking action on the report by the Central Govt. It was informed that though the report of the Task Force was circulated to the State Govts for their remarks in September 2006, by end of April 2007 only a couple of States responded to the recommendations.

- The Federation had written to the States on 4 November 2006 with itemwise remarks on the recommendations of the Task Force as finalized by the Board with a request to send their response on the report to the Central Govt at the earliest. The matter was followed up through Chairman's communication to Ministers of Cooperation in January 2007. The SCARDBs were also continuously interacting with the State Govts on this matter.

- The representatives of the Federation met Shri Sharad Pawar, Union Minister for Agriculture on 24 April 2007 and Shri Vinod Rai, Secretary (Financial Sector) on 8 May 2007 as advised by Finance Minister regarding early finalization of the revival package. The Federation has also suggested to Ministry of Finance to convene a meeting of State Govts to obtain their views on the report as was done in the case of Task Force Report relating to the short term credit structure.

- The Government of India, Ministry of Finance convened a meeting of the Finance/Cooperation Ministers of States on 10 October 2007 in New Delhi to consider the recommendations of Vaidyanathan Task Force II on Revival of Long Term Cooperative Credit Structure. The meeting reached broad consensus on implementing a revival package comprising of recapitalization and structural reforms for institutions in the LTCCS. The meeting was attended by the representatives of all the 20 States having long term cooperative credit structure. The States unanimously endorsed the Task Force recommendations for implementing a revival package for LTCCS. States also have made the following suggestions relating to some of the recommendations of the Task Force:-

  (i) Eligibility criteria for selection of PCARDBs/branches of SCARDBs for revival support should be modified so as to include all branches/PCARDBs with recovery more than 30% in the revival scheme.

  (ii) Norms should be evolved for conversion of ARDBs into fullfledged banking institutions.

३) एससीएआरडीबीएफ की शाखाओं को पीसीएआरडीबी में बदलना पुनरूद्धार सहयोग की पूर्व शर्त होने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। इसे पांच वर्षों की अवधि के भीतर लागू किए जाने के लिए समझौता ज्ञापन में शामिल किया जा सकता है।

४) पीसीएआरडीबी को किसी भी एजेंसी की सेवाएं लेने और अपनी पसंद के ढांचे से जुड़ने या हटने की खुली छूट नहीं दी जानी चाहिए।

५) कार्यबल की यह सिफारिश लागू नहीं की जानी चाहिए कि एससीएआरडीबी के अलावा अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीसीएआरडीबी को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए नाबार्ड को अनुमति देने हेतु नाबार्ड अधिनियम में संशोधन किया जाए।

६) अल्पकालीन ऋण ढांचे की योजना की परिकल्पना के अनुसार, २५ प्रतिशत से अधिक राज्य इक्विटी को अनुदान में बदलने और राज्यों के बोर्ड में एक सरकारी नामजद व्यक्ति को रखने के प्रावधान के साथ, राज्यों को एलटीसीसीएस के संस्थानों में कुल इक्विटी का २५ प्रतिशत तक बनाए रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने नवंबर, २००७ में एलटीसीसीएस के लिए मसौदा पैकेज तैयार किया और इसे टिप्पणियों के लिए राज्य सरकारों को परिचालित किया। प्रस्तावित पैकेज की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है:–

१) संचित नुकसानों की परिगणना की अंतिम तिथि ३१ मार्च, २००७ होगी।

२) पैकेज के तहत वित्तीय सहायता में संचित नुकसानों की भरपाई के पश्चात, पीसीएआरडीबी और एससीएआरडीबी द्वारा न्यूनतम ७ प्रतिशत सीआरएआर तक पहुंचने के लिए अपेक्षित धनराशि भी शामिल है।

३) एससीएआरडीबी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामजद एक व्यक्ति के साथ २५ प्रतिशत तक राज्य इक्विटी रखी जा सकती है। राज्य इक्विटी को ध्यान में रखे बिना पीसीएआरडीबी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामजद कोई व्यक्ति नहीं होगा। यदि कोई एससीएआरडीबी या सरकार राज्य इक्विटी को और घटाना चाहते हैं तो यह संभव होना चाहिए।

४) तकनीकी सहायता में स्टाफ तथा बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण की लागत और मानकीकृत लेखाकरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण की लागत भी शामिल होगी।

५) पीसीआरएडीबी के लिए पात्रता मानदंड जून, २००७ को ५० प्रतिशत वसूली होगा।

(iii) Conversion of branches of SCARDBs into PCARDBs should not be insisted as a pre condition for revival support. This can be included in the memorandum of understanding for implementation within a period of five years.

(iv) PCARDBs should not be given unrestricted freedom to borrow from any agency and to affiliate or deaffiliate with a structure of their choice.

(v) The recommendation of the Task Force that NABARD Act should be amended to allow NABARD to provide refinance to PCARDBs either directly or indirectly through financial institutions other than SCARDBs should not be implemented.

(vi) The States should be allowed to retain equity upto 25% of total equity in the institutions in the LTCCS with provision for one government nominee in their board and to convert State equity in excess of 25% into a grant as envisaged in the scheme for short term credit structure.

· Government of India, Ministry of Finance circulated a draft scheme for revival of LTCCS in November 2007. The salient features of the proposed package were as follows:-

1. Cut off date for calculating accumulated losses will be 31st March 2007.

2. Financial assistance under the package also includes amount required to reach minimum CRAR of 7% by PCARDBs and SCARDBs after making good accumulated losses.

3. State equity can be retained upto 25% with one government nominee in the board of SCARDB. No government nominee in the board of PCARDB irrespective of state equity. If any SCARDB or Govt wants to reduce state equity further, that should be possible.

4. Technical assistance will include cost of training and capacity building for staff and board members as well as cost of computerization of standardized accounting system.

5. Eligibility criteria for PCARDBs will be 50% recovery as on June 2007.

६) ३० जून, २००७ को ३० से ५० प्रतिशत तक की वसूली के साथ पीसीआरएडीबी को जून, २००९ तक १० प्रतिशत बेहतरी दर्शाने पर एक तिहाई सहयोग मिलेगा और बची हुई धनराशि २०१० तक या उससे पहले ५० प्रतिशत वसूली तक पहुंचने पर मिलेगी।

७) ३० जून, २००७ को ३० प्रतिशत से कम की वसूली होने पर, पीसीएआरएडीबी को सहयोग तभी मिलेगा जब वे ३० जून, २०१० या इससे पहले ५० प्रतिशत वसूली पर प हु ंच जाएंगे। जून, २०१० तक ५० प्रतिशत वसूली तक पहुंच पाने में विफल पीसीएआरडीबी को अन्य पीसीआरएडीबी के साथ विलय कर दिया जाएगा।

८) अकेले एससीएआरडीबी को सहायता उपर्युक्त के तर्ज पर ही मिलेगी। जो जून, २०१० तक ५० प्रतिशत वसूली में नाकाम रहेंगे, उन्हें बंद करना होगा।

९) एकात्मक एससीएआरडीबी को पैकेज स्वीकार करने की तारीख से पांच वर्षों के भीतर संघीय ढांचे में बदल दिया जाना चाहिए।

१०) मार्च, २००७ को समाप्त पिछले तीन सालों के दौरान बेलैंस शीट आकार के १० प्रतिशत से कम का वार्षिक कारोबार करने वाले एससीएआरडीबी या पीसीएआरबीडी को पुनरूद्धार सहयोग के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

११) तरलता आदेशों के अंतर्गत कोई भी राज्य या प्राथमिक एआरडीबी सहयोग के लिए पात्र नहीं होगा।

१२) ढांचे के संस्थानों को अगले पांच वर्षों में कम–से–कम ८५ प्रतिशत का वसूली स्तर प्राप्त करना चाहिए।

- रू० १५०० करोड़ की आकस्मिक निधि सहित पैकेज का कुल अनुमानित प्रावधान रू० ४६८४ करोड़ था।
- ड्राफ्ट पैकेज में सुझाये गये विधिक और संस्थागत सुधार काफी हद तक एस.टी.सी.सी.एस. पैकेज से भिन्न थे।
- फेडरेशन ने एल.टी.सी.सी.एस. ईकाइयों को उगाहियों के ५० प्रतिशत के कट–ऑफ स्तर पर पहुंचने के लिये अधि ाक समय उपलब्ध कराने के लिये, योग्यता की अतिरिक्त शर्त कि औसत सालाना लेनदेन एल.टी.सी.सी.एस. ईकाइयों की पिछली तीन सालों के दौरान की बैलेंस–शीट के आकार के १० प्रतिशत से अधिक होना चाहिये इत्यादि के लिये ड्राफ्ट में संशोधन सुझाये।
- २९ जनवरी २००८ को वित्त मंत्रालय द्वारा बुलायी गयी राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक ने भी ड्राफ्ट योजना में इन संशोधनों का सुझाव दिया, जिनमें मुख्यत: उगाहियों के कट ऑफ स्तर पर पहुंचने के लिये एस.सी.ए.आर. डी.बी. और पी.सी.ए.आर.डी.बी. को अधिक समय देना, पिछले तीन वर्षों के दौरान हुये औसत सालाना लेन–देन

6. PCARDBs with recovery in the range of 30-50% as on 30 June 2007, will get one third of support on showing 10% improvement by June 2009 and the balance amount on reaching 50% recovery by 2010 or before.

7. PCARDBs with recovery less than 30% as on 30 June 2007 will receive assistance only if they reach 50% recovery on or before 30 June 2010. The PCARDBs failing to reach 50% recovery by June 2010 will be wound up or merged with another PCARDB.

8. The assistance to unitary SCARDB also will be on similar lines as above. Those who are failing to reach 50% recovery by June 2010 would have to be wound up.

9. Unitary SCARDBs should be converted into federal structure within five years from the date of acceptance of the package.

10. A SCARDB or PCARDB with yearly transactions less than 10% of their balance sheet size during the last three years ending March 2007 will not be eligible for revival support.

11. Any state or primary ARDB under liquidation orders will not be eligible for support.

12. The institutions in the structure should achieve recovery level of at least 85% in the next five years.

- The total outlay of the package was estimated at Rs.4684 crores including contingencies of Rs.1500 crores.

- The legal and institutional reforms suggested in the draft package were more or less on the same lines as in the package for STCCS.

- The Federation suggested modifications in the draft for giving more time to LTCCS units to reach the cut off level of 50% recoveries, for relaxing the additional eligibility condition that the average yearly transactions of LTCCS units during the last three years should be more than 10% of its balance sheet size etc.

- The meeting of representatives of States convened by Ministry of Finance on 29 January 2008 also suggested these modifications in the draft scheme especially regarding giving more time for

से संबंधित शर्तों में छूट देना और पी.सी.ए.आर.डी.बी. के बोर्ड में एक सरकारी नामिती की आवश्यकता इत्यादि शामिल थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ड्राफ्ट योजना को ठीक प्रकार से संशोधित किया जायेगा और फरवरी २००८ में होने वाली कुछ चुने हुये राज्यों के प्रतिनिधियों की बैठक में अंतिम रूप दिया जायेगा।

- कुछ चुने हुये राज्यों के प्रतिनिधियों की २१ फरवरी २००८ को हुयी बैठक में संशोधित ड्राफ्ट योजना को राज्यों के प्रतिनिधियों की पिछली बैठक में दिये सुझावों के आधार पर अनुमोदित किया। हालांकि इस सुझाव का कड़ा विरोध हुआ कि एल.टी.सी.सी.एस. फसलों के ऋण नहीं जारी कर सकते। फेडरेशन ने सरकार को इसका का काफी मजबूत निवेदन दिया कि ए.आर.डी.बी. द्वारा अपने सदस्यों को फसलों के ऋण अग्रेसित करने में रोक को हटाया जाये।
- २९ फरवरी २००८ को बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पैकेज को वर्ष २००८–०९ से लागू किये जाने की घोषणा की। पैकेज का कुल प्रावधान रू. ३०७३ करोड़ इंगित किया गया है जो कि रू. १५०० करोड़ की आकस्मिक निधि सहित रू. ४५७३ करोड़ तक जा सकता है। यह घोषणा की गयी कि कुल राशि का ८६ प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी और बकाया १४ प्रतिशत बराबर हिस्सों में राज्य सरकारों और एल.टी.सी.सी.एस. में संस्थाओं द्वारा वहन किया जायेगा।
- वैसे, पैकेज के कुल प्रावधान पर ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना के प्रभाव को दशष्टिगत करने पर सरकार के निर्णय और ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना में शामिल नहीं ए.आर.डी.बी. द्वारा १९९७ से पूर्व दिये गये कशषि ऋणों के संदर्भ में अधिदेयता की फंडिंग के लिये पैकेज में प्रावधान करने के फेडरेशन के निवेदन के कारण योजना को अंतिम रूप दिये जाने में देरी हुयी।

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एल.टी.सी.सी.एस.के पुनरुत्थान के लिये पैकेज

२६ फरवरी २००९ को एल.टी.सी.सी.एस. के पुनर्जीवन के लिये पैकेज को मंजूरी दी। पैकेज का लक्ष्य एल.टी.सी.सी.एस. का पुनरुत्थान करना और इन्हें अच्छी प्रकार प्रबंधित, सदस्य केन्द्रित और जोशपूर्ण बनाना है। पी.सी.ए.आर.डी.बी. और एस.सी.ए.आर.डी.बी. को वित्तीय स्वास्थ्य के एक स्वीकार्य स्तर पर लाने के लिये वित्तीय सहायता, पी.सी.ए.आर.डी.बी. को सुविधा देने के लिये विधिक और संस्थागत सुधार और एस.सी.ए.आर.डी.बी. को स्वायत्त केन्द्रित संस्थानों के रूप में कार्यशीलता तथा इन संस्थानों में प्रशासन को सुधारने के लिये कदम इस पैकेज के तीन मुख्य भाग हैं। पैकेज

SCARDBs and PCARDBs to reach the cut off for recovery level, relaxing the condition regarding the average yearly transactions during the last three years, need for one govt nominee in the board of PCARDB etc. It was decided in the meeting that the draft scheme would be suitably revised and finalized in the meetings of representatives of select States being convened in February 2008.

- The meeting of representatives of select States held on 21 February 2008 approved the revised draft based on the suggestions in the earlier meetings of State representatives. However, there was strong opposition to the suggestion in the draft that LTCCS may not issue crop loans. The Federation has also strongly requested the Government to remove any kind of restriction in advancing crop loans by ARDBs to their members.

- The Finance Minister in the budget speech on 29 February 2008 announced the implementation of the package from the year 2008-09. The total outlay of the package has been indicated as Rs.3073 crores which may go upto Rs.4573 crores including contingency provision of Rs.1500 crores. It was announced that 86% of the amount shall be borne by the Central Govt and the balance 14% is being shared equally by State Govts and institutions in the LTCCS.

- However, the finalisation of the scheme was delayed due to the decision of the Govt to factor in the impact of ADWDR scheme on the total outlay of the package and also the request of the Federation to include a provision in the package for funding the overdues in respect of pre 1997 agricultural loans issued by ARDBs which were not covered in the ADWDR scheme.

Package for revival of LTCCS as approved by Government of India

The Union Cabinet cleared the Revival Package for LTCCS on 26 February 2009. The package aims at reviving the LTCCS and making it well managed, member centric and vibrant. Financial assistance to bring PCARDBs and SCARDBs to an acceptable level of financial health, introducing legal and institutional reforms to facilitate PCARDBs and SCARDBs to function as autonomous member centric institutions and steps to improve governance in these institutions are the three main

में ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना में शामिल नहीं ए.आर.डी.बी. द्वारा १९९७ से पूर्व दिये गये कृषि ऋणों के संदर्भ में अधिदेयता की फंडिंग के लिये विशेष प्रावधान है।

वित्तीय पैकेज

- ३१.३.२००८ तक पी.सी.ए.आर.डी.बी. और एस.सी.ए.आर.डी.बी. के संचित नुकसानों की फंडिंग।
- ए.आर.डी.बी. को ३१.३.१९९७ से पहले जारी किये गये ऋणों, जो कि पैकेज की घोषणा तक उगाहे नहीं जाते हैं, के लिये निम्न प्रकार से अधिदेयता प्रदान की जायेगी–
  - छोटे और मध्यम किसानों के लिये १०० प्रतिशत।
  - दूसरे किसानों के लिये २५ प्रतिशत।
  - बैंकों को दूसरे किसानों से बकाया ७५ प्रतिशत को उगाहना होगा।
- संचित नुकसान की भरपाई को सी.आर.ए.आर. के ७ प्रतिशत पहुंचने तक करने के बाद यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त फंड।
- पैकेज का अनुमानित प्रावधान लगभग रू० ३०७० करोड़ है। वैसे, नुकसान की सही राशि नाबार्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत किये जाने वाले लेखा परीक्षण के बाद आंकी जायेगी।
- भारत सरकार खाता प्रणाली, मानव संसाधन विकास व विशेष लेखा परीक्षण के कंप्यूटरीकरण पर आने वाली लागत को भी वहन करेगी।
- राज्य सरकारों को भारत सरकार तथा नाबार्ड के साथ ३०.९.२०१० से पहले समझौता–ज्ञापन पर सहमति करनी चाहिये।
- पैकेज में राज्य सरकारों का हिस्सा निम्न प्रकार होगा–
  - १९९७ से पूर्व के ऋणों की अधिदेयता का २० प्रतिशत
  - प्रत्यक्ष कृषि को छोड़कर ऋण व्यवसाय में होने वाले कुल नुकसान का एक तिहाई
  - राज्य सरकारों द्वारा घोषित कर्ज माफी या ब्याज छूट योजनाओं के अंतर्गत बैंकों भुगतान किये जाने वाले देय, यदि कोई हों तो।
  - संस्थाओं को प्रत्यक्ष कृषि, जालसाजी और घपले इत्यादि को छोड़कर ऋण व्यवसाय में होने वाले कुल नुकसान का एक तिहाई हिस्सा वहन करना पड़ेगा।

components of the package. The package includes a special provision for funding the overdues under pre 1997 farm sector loans issued by the LTCCS which were not covered under the ADWDR Scheme 2008.

Financial package

- Funding accumulated losses of PCARDBs and SCARDBs upto 31.3.2008.
- ARDBs will also be given the overdues upto 31.3.2008 under loans issued before 31.3.1997 which remain uncollected till the announcement of the package as below:-
  - 100% in respect of small farmers and medium farmers.
  - 25% in respect of other farmers.
  - Banks have to collect the balance 75% in respect of other farmers.
- Additional funds required if any after providing accumulated losses for reaching 7% CRAR shall also be given.
- Approximate outlay of the package is estimated at Rs.3070 crores. However, the exact amount of losses will be assessed in the special audit to be carried out under guidelines being issued by NABARD.
- Government of India will also meet the cost of computerization of accounting system, human resources development and special audit.
- State Govts should enter into MoU with Government of India and NABARD before 30.9.2010.
- The share of State Govts in the package shall be as below:-
  - 20% of overdues under pre 1997 loans.
  - One third of accumulated losses in loan business other than direct agricultural.
  - Existing dues if any payable to the banks under debt waivers or interest subsidy schemes etc announced by the State govt.
  - The institutions have to bear 1/3rd of losses under loan business other than direct agricultural and amount involved in frauds, embezzlements etc.

- पी.सी.ए.आर.डी.बी. की प्रत्यक्ष सहायता को प्राप्त करने की योग्यता से बेअसर, संपूर्ण संरचना का संचित नुकसान पैकेज में शामिल किया जायेगा।
- अयोग्य पी.सी.ए.आर.डी.बी. के संचित नुकसान को इन पी.सी.ए.आर.डी.बी. को बंद कर देने के बाद एस.सी. ए.आर.डी.बी. को दे दिया जायेगा।

सहायता प्राप्त करने के योग्यता

- पी.सी.ए.आर.डी.बी./ऐकिक एस.सी.ए.आर.डी.बी., जिनकी उगाही ३०.६.२००८ को ५० प्रतिशत या अधिक है, वे पूर्ण पूँजीकरण प्राप्त करेंगे।
- जिनकी उगाही ३०.५० प्रतिशत की सीमा में है, वे ३०.६.२००८ की स्थिति से १० प्रतिशत का सुधार होने पर एक तिहाई पूँजीकरण सहायता प्राप्त करेंगे। ऐसी इकाईयां यदि ३०.६.२००८ तक उगाही में ५ प्रतिशत का सुध ार करती हैं तो वे इस राशि का आधा प्राप्त करेंगी। बकाया राशि ३०.६.२०११ तक किसी भी साल में ५० प्रतिशत दी जायेगी, जिसको कि नेशनल इंप्लीमेंटिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी (एन.आई.एम.सी.) द्वारा ३०.६.२०१२ तक के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- कोई इकाई जिसकी उगाही ३०.६.२००८ को ३० प्रतिशत से कम है, वह भी सहायता प्राप्त करने के लिये योग्य हो जायेगी, यदि वे ३०.६.२०११ तक किसी साल में ५० प्रतिशत उगाही तक पहुंच जाती हैं और इसको एन. आई.एम.सी. द्वारा एक साल के लिये बढ़ाया जा सकता है।
- कोई पी.सी.ए.आर.डी.बी. जो ३०.६.२०११ या ३०.६.२०१२ तक योग्य होने में असफल हो जाती है तो उसे बंद होना होगा या किसी दूसरी पी.सी.ए.आर.डी.बी. में विलय करना होगा।
- ऐकिक एस.सी.ए.आर.डी.बी. के लिये योग्यता के आधार पी.सी.ए.आर.डी.बी. के समान ही होंगे। अतः सहायता प्राप्त करने के लिये उनको जून २०१२ तक ५० प्रतिशत उगाही प्राप्त करनी होगी।
- अयोग्य पी.सी.ए.आर.डी.बी. या ऐकिक एस.सी.ए.आर.डी.बी. को बंद होना होगा, बशर्ते राज्य सरकारें उनको ५० प्रतिशत उगाही में पड़ने वाली कमी को पूरा करने के लिये अनुदान न दें।
- राज्य सरकारों को इस पैकेज की स्वीकृति के दिनांक से ५ सालों के भीतर एकात्मक एस.सी.ए.आर.डी.बी. को संघीय रूप में परिवर्तित करने के लिये उद्घोषणा देनी चाहिये।
- ३१.३.२००८ को समाप्त होने वाले तीन सालों में एस.सी.ए.आर.डी.बी. का औसत सालाना व्यवसाय लेन–देन इसकी बैलेस शीट का कम से कम १० प्रतिशत होना चाहिये। वैसे, एन.आई.एम.सी. के पास इस शर्त में छूट

- Accumulated losses of the entire structure will be covered in the package irrespective of eligibility of PCARDBs to receive the assistance directly.
- Accumulated losses of ineligible PCARDBs will be given to SCARDBs after winding up of such PCARDBs.

Eligibility to receive support

- PCARDBs/unitary SCARDBs with recovery of 50% or more as on 30.6.2008 will receive capitalization in full.
- Those in the range of 30-50% recovery will receive 1/3rd of capitalization assistance on improvement of 10% from the position as on 30.6.2008. Such units will receive half of this amount if they improve recovery by 5% by 30.6.2009. The balance amount will be given after reaching 50% on any year upto 30.6.2011 which can be extended upto 30.6.2012 by the National Implementing and Monitoring Committee (NIMC).
- Any unit with recovery less than 30% as on 30.6.2008 will also become eligible to receive assistance if they reach 50% recovery in any year till 30.6.2011 which also may be extended by one year by the NIMC.
- Any PCARDB which failed to become eligible by 30.6.2011 or 30.6.2012 will have to be wound up or merged with another PCARDB.
- The eligibility criteria for unitary SCARDBs will be similar to that of PCARDBs. Accordingly, they will have to achieve 50% recovery latest by June 2012 to receive assistance.
- Ineligible PCARDBs or unitary SCARDBs will have to be wound up unless State Govts provide them the shortfall in recovery to reach 50% as a grant.
- State Govts should give an undertaking to convert unitary SCARDBs into federal structure within 5 years from the date of acceptance of the package.
- The average yearly business transactions of SCARDBs should be at least 10% of its balance sheet size in the three years ending 31.3.2008. However, NIMC will have the discretion to relax this condition. The State Govt in such cases will propose concrete measures and action plan for

देने का विकल्प होगा। राज्य सरकार ऐसी अवस्था में इस प्रकार की इकाईयों के व्यवसाय में सुधार के लिये ठोस उपाय और कार्य योजना का प्रस्ताव देगी और उगाही में सुधार करने के लिये फण्ड प्रदान कर सकती हैं।

- ३१.३.२००८ की कट–ऑफ दिनांक को परिसमापन के अंतर्गत आने वाले ए.आर.डी.बी. पर पुनरुत्थान पैकेज लागू नहीं होगा।

कानूनी और संस्थागत सुधार

वित्तीय सहायता कानूनी व संस्थागत सुधारों व पैकेज की अन्य स्थितियों पर निर्भर करेगी जैसे कि

- जमाकर्ताओं समेत सभी प्रयोक्ताओं को पूर्ण सदस्यता का अधिकार।
- सीईओ की नियुक्ति समेत स्टाफ के मामलों, अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ काम करने, उधार लेने और निवेश संबंधी रिश्तों के निर्णयों समेत वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप खत्म करना। एससीएआरडीबी के सीईओ को आरबीआई या नाबार्ड द्वारा सुझाई गई उपयुक्त व समुचित कसौटियों के अनुरूप करना होगा।
- एससीएआरडीबी के मंडल में राज्य सरकार के एक निदेशक के प्रावधान के साथ राज्य इक्विटी की अधिकतम सीमा २५ प्रतिशत और एक निदेशक पीसीएआरडीबी में राज्य सरकार की इक्विटी के साथ।
- राज्य सरकार या एआरडीबी राज्य की इक्विटी कम करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- एआरडीबी की संचालन व वित्तीय स्वायत्तता को सीमित करने के रूकावटी आदेश नहीं होंगे।
- एससीएआरडीबी व पीसीएआरडीबी को वैकल्पिक वित्तीय अनुदेशों की एक श्रेणी के जरिए स्वतंत्र रूप से कर्ज़ लेने/देने संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वात्तता होनी चाहिए।
- लम्बी अवधि का सहकारी कर्ज ढांचा कृषि क्षेत्र में निवेश कर्ज उपलब्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है लेकिन आवश्यकता व पूर्वानुभव के आधार पर इसके सदस्यों को लघु अवधि के कर्ज या फसली कर्ज उपलब्ध हो सकते हैं।
- पीसीएआरडीबी को स्वयं को अन्य सहकारी संघीय ढांचों, व्यावसायिक बैंकों या आरआरबी, भले ही वे एससीएआरडीबी के सदस्य न हों, के साथ परिवर्तनीय होने व उनसे लेनदेन के लिए स्वतंत्र रखना चाहिए।
- एससीएआरडीबी एससीबी या अन्य बैंकों से इसका शेयरधारक सदस्य बनकर, यदि आवश्यक हो, संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- बोर्डों का स्थान लेने के लिए राज्य सरकारों की शक्तियों को सीमित करना केवल विशेष स्थितियों में जो एसटीसीसीएस पैकेज की समता पर सुझाई गई हैं।

improving the business of such units and also may infuse funds to notionally improve the recovery.

- The revival package would not be applicable to ARDBs under liquidation on the cut off date of 31.3.2008.

Legal and institutional reforms

- The financial assistance will be subject to fulfillment of legal and institutional reforms and other conditionalities of the package such as
- Full membership rights to all users including depositors.
- Removing State intervention in financial and administrative matters including decisions on operational areas such as borrowing and investment relationships with other financial institutions, staff matters including appointment of CEO etc. The CEO of SCARDB will have to conform to the fit and proper criteria prescribed by RBI or NABARD.
- A cap of 25% on State Govt equity with maximum one director in the SCARDB with State Govt equity and one director in the PCARDB with State Govt equity.
- State Govt or ARDB wishing to reduce the State equity would be free to do so.
- There shall be no restrictive orders limiting the operational and financial autonomy of ARDBs.
- SCARDBs and PCARDBs should have autonomy to make independent borrowing/credit related decisions through a range of alternative financial instruments.
- Long term cooperative credit structure may concentrate on providing investment credit in the agriculture sector but based on necessity and past experience may provide short term loans or crop loans to its members.
- PCARDBs should be free to convert themselves with other cooperative federal structures and transact business with them, commercial banks or RRBs, irrespective of their membership in the SCARDB.
- SCARDBs should also be free to access resources from the SCB or other banks by becoming its share holder member, if necessary.
- Limiting powers of State Govts to supersede boards only under specific conditions prescribed on par with STCCS package.

- मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले समय से चुनाव सुनिश्चित करना।
- एआरडीबी का मंडल अधिक्रमित किया गया होने के मामले में समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम छह महीने का समय दिया जा सकता है ।
- जब कभी नाबार्ड और रिजर्व बैंक द्वारा सुझाव दिया जाए, सीआरएआर समेत विवेकपूर्ण मानदंड अंगीकार कराना।
- एससीएआरडीबी का ऑडिट नाबार्ड से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउंटेंट से करवाना सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकार को एक अध्यादेश के जरिए या कानूनी प्रक्रिया के जरिए कानून में परिवर्तन करने चाहिए।
- एससीएआरडीबी को जनता से विभिन्न तरह के जमा गतिमान करने की अनुमति होनी चाहिए।
- जनता से जमा स्वीकार करने या स्वीकार करना जारी रखने से पूर्व नाबार्ड नियम व शर्तों का सुझाव देगा जो एआरडीबी द्वारा पूरी की जाएंगी।
- जिन नियम व शर्तों पर एससीएआरडीबी जनता के जमा तक पहुंच बनाएगा नाबार्ड आगे उनका परीक्षण करेगा और उन्हें जमा सुरक्षा योजना के तहत ला सकता है।
- कोई भी वित्तीय संस्थान जिसमें नाबार्ड भी शामिल है किसी एआरडीबी को किसी भी स्तर पर आरबीआई या संघीय सहकारी के जरिए नियमित वित्तीय संस्थान द्वारा वैकल्पिक वित्तीय अनुदेशों का प्रयोग कर और अपने नियम व शर्तों पर राज्य सरकार से बिना आवश्यक प्रश्रय लिए अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए।
- **प्रशासन**
  - एस.सी.ए.आर.डी.बी. में व्यावसायिक व विवेकपूर्ण प्रशासन को सहज बनाने के लिये, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एल.टी.सी.सी.एस. में सहकारी बैकों के बोर्डों के चुनावों और व्यवसायिककरण के लिये समय–समय पर निर्धारित सटीक व उचित आधार एस.सी.ए.आर.डी.बी. के बोर्ड के लिये भी लागू होंगे।
  - नाबार्ड को उन एस.सी.ए.आर.डी.बी. की जांच करने के लिये सक्षम बनाने हेतु, जिनको जनता का जमा स्वीकार करने की अनुममि प्रदान की गयी है, नाबार्ड अधिनियम के साथ–साथ संबद्धितत राज्य अधिनियमों में संशोधन किये जायेंगे।
  - समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, विशेष लेखा परीक्षण करने, मानव संसाधन पहलों और कंम्प्यूटरीकृत खाता प्रणाली के लिये अनुदान जारी किया जायेगा।

- Ensuring timely elections before expiry of term of the existing boards.
- Maximum six months time may be given to ensure timely elections in case of boards of ARDBs which have been superseded.
- Adoption of prudential norms including CRAR as and when suggested by NABARD.
- Ensuring audit of SCARDBs by chartered accountants from the panel to be approved by NABARD.
- The State Govts should bring in all the amendments through an ordinance or through the legislative process.
- SCARDBs to be allowed to mobilize a variety of deposits from the public.
- NABARD to prescribe terms and conditions which must be fulfilled by ARDBs before accepting or continue to accept deposits of any form from the public.
- NABARD would further examine the terms and conditions on which SCARDBs accessing public deposits could be brought within the scope of a deposit protection scheme.
- Any financial institution including NABARD should be free to provide resources to an ARDB in any tier directly or indirectly through any financial institution regulated by RBI or a federal cooperative using alternative financial instruments and on its own terms and conditions without necessarily resorting to State Govt guarantee.
- **Governance**
  - To facilitate professional and prudent governance in SCARDBs the fit and proper criteria prescribed by RBI from time to time for elections and professionalisation of boards of cooperative banks in the STCCS would be adopted for the boards of SCARDBs as well.
  - Amendments will be carried out in the NABARD Act as well as relevant State Acts to empower NABARD to inspect SCARDBs which are permitted to accept public deposits.
  - On signing MoU, grants will be released for conduct of special audit, HRD initiatives and installation of computerized accounting system.

● वित्तीय सहायता को जारी करना

– अध्यादेश या विधिक प्रक्रिया के द्वारा अधिनियम में संशोधन पर, संचित नुकसानों के लिये भारत सरकार का ७५ प्रतिशत हिस्सा दिया जायेगा। बोर्डों के चुनाव तथा अधिनियम में संशोधन के तहत बोर्डों में व्यावसायिक लोगों की प्रविष्टी के बाद संचित नुकसानों के लिये भारत सरकार का बकाया २५ प्रतिशत हिस्सा दिया जायेगा।

लागू करने की प्रक्रिया

– सैद्धांतिक रूप से नाबार्ड लागू करने वाली एजेंसी होगी। राष्ट्रीय, राजकीय और जनपद स्तरीय इंप्लीमेंटिंग एण्ड मॉनिटरिंग कमैटी लागू करने पर दिशा–निर्देश देंगी और नजर रखेंगी। राज्य स्तर एस. टी.सी.सी.एस. पैकेज के लिये एल.टी.सी.सी.एस. के प्रतिनिधियों को वर्तमान कमैटियों में नामित किया जायेगा।

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना (ADWDR) ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर.

भारत सरकार ने २९ फरवरी २००८ को प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय बजट में ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. क्वॅक्त योजना २००८ की घोषणा की। तत्पश्चात, योजना को अन्तिम रूप दिया गया और २३ मई २००८ को इसे प्रचारित किया गया।

इस योजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार थे:–

– अल्पकालिक ऋणों की दशा में, ऋण माफी में छोटे किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष कशषि ऋणों को शामिल किया गया।

– संबंधित गतिविधियों की दशा में मूल धनराशि रू० ५०००० से कम होनी चाहिये।

– ऋणों को ३१.३.१९९७ से ३१.३.२००७ तक जारी किया होना चाहिये।

– अल्पकालिक ऋणों की दशा में ऋण माफी उपरोक्त के अनुसार योग्य ऋणों के संदर्भ में उन किश्तों तक ही सीमित थी जो ३१ दिसम्बर २००७ को अधिदेय थीं और उनका भुगतान २९ फरवरी २००८ तक नहीं किया गया था।

– योजना में ३१.३.१९९७ से पहले जारी किये गये ऋण भी शामिल किये गये, बशर्ते यह ऋण प्राकृतिक आपदाओं के कारण केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार घोषित पैकेजों के अंतर्गत २००४ और २००६ में बैंकों द्वारा पुनर्गठित और पुर्ननिर्धारित किये गये हों।

- **Release of financial assistance**

  - On Act amendment through ordinance or legislative process, 75% of Govt of India share of funding accumulated losses will be given. After elections to the board and induction of professionals in the board under the amended provisions of the Act, the balance 25% of GOI's share of funding accumulated losses will be disbursed.

Implementation mechanism

- NABARD will be the principal implementing agency. National, State and District level Implementing and Monitoring Committees will guide and monitor implementation. The representatives of LTCCS to be nominated to existing committees for STCCS package at the State level.

Agriculture Debt Waiver & Debt Relief (ADWDR) Scheme

Government of India announced ADWDR Scheme 2008 in the Union Budget presented on 29 February 2008. Subsequently the scheme was finalized and circulated on 23 May 2008.

Following were the salient aspects of the Scheme:-

- Debt waiver in the case of LT loans covered direct agricultural loans to small farmers.

- In the case of allied activities, principal amount should have been below Rs.50000.

- Loans should have been issued between 31.3.1997 to 31.3.2007.

- In the case of LT loans waiver was limited to instalments in respect of eligible loans as above which were overdue as on 31 December 2007 and remained unpaid until February 29, 2008.

- The scheme covered loans issued before March 31, 1997also, if such loans were restructured and rescheduled by banks in 2004 and 2006 under the special packages announced by the Central Govt or as per RBI guidelines on account of natural calamities.

– दूसरे किसानों की दशा में एक–बारीय समाधान योजना भी उपलब्ध कराई गई जिसमें योग्य धनराशि पर २५ प्रतिशत छूट इस शर्त पर प्रस्तावित की गई कि बकाया ७५ प्रतिशत का भुगतान किसान स्वयं करेगा। DPAP, DAP और प्रधानमंत्री के विशेष राहत पैकेज में सम्मिलित २३७ जिलों में यह राहत २५ प्रतिशत या रू० २०००० में से जो भी अधिक हो, वह हो सकती है।

फेडरेशन ने योजना में वर्णित ऋण माफी/राहत के योग्यता मानकों के संदर्भ सरकार के समक्ष निम्न मुद्दे उठाये हैं:

(क) ३१.३.१९९७ से पहले जारी किये गये ऋणों का अपवर्जन, जो कि अभी भी काफी संख्या में हैं।

(ख) ऋण की मूल धनराशि के उपर ब्याज का अपवर्जन।

(ग) मूल धनराशि के सालाना किस्तों में होने की दशा में ब्याज के घटक का अपवर्जन।

(घ) एन.पी.ए. ऋण खातों में संचित ब्याज का अपवर्जन।

उपरोक्त मुद्दों पर सरकार ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किये हैं:

(क) चूंकि भारत सरकार के विशेष पैकेज के अंतर्गत सभी अधिदेय ऋणों को पुनर्गठित किया जाना था, अत: १९९७ से पहले जारी किये ऋण भी माफी के लिये योग्य होंगे क्योंकि पुनर्गठित ऋणों को इस योजना के अंतर्गत योग्य बनाया गया है।

(ख) किस्तों के ब्याज के घटक का भी दावा किया जा सकता है, बशर्ते ब्याज का कुल दावा ऋण की मूल धनराशि से अधिक न हो।

(ग) एन.पी.ए. ऋणों में केवल लागू न किये गये ब्याज को ही अयोग्य बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि चूंकि ए.आर.डी.बी. एन.पी.ए. ऋण खातों सहित इस प्रकार के सभी खातों पर ब्याज लगाती है, अत: वह योग्य हैं।

(घ) बैंकों को दंडात्मक ब्याज शुल्कों तथा प्राप्ति योग्य ब्याज को प्रथम किरत के भुगतान के दिनांक तक छोड़ना होगा।

इसके पश्चात वित्त मंत्रालय ने फेडरेशन को सूचित करने के लिये अलग से यह संदेश भेजा कि सरकार सक्रियता के साथ एल.टी.सी.सी.एस. के पुनरुत्थान के लिये प्रस्तावित पैकेज के अंतर्गत ए.आर.डी.बी. द्वारा विशेष घटक के रूप में १९९७ से पूर्व जारी किये गये कृषि ऋणों के संदर्भ में अधिदेयों की निधि पर विचार कर रही है। तदैव, कृषि क्षेत्र में १९९७ से पूर्व जारी किये गये ऋणों के अंतर्गत १०० प्रतिशत तथा अन्य किसानों के लिये २५ प्रतिशत निधी किया जायेगा।

- In the case of other farmers, one time settlement scheme was offered with a rebate of 25% of the eligible amount subject to the condition that the farmer pays the balance amount of Rs.75%. The relief could be 25% or Rs.20000 whichever is higher in 237 districts covering DPAP, DDP and PM's special relief package.

The Federation had taken up with the Government the following issues in the eligibility norms for waiver/relief prescribed in the scheme.

(i) Exclusion of loans issued before 31.3.1997, substantial number of which are still current.

(ii) Exclusion of interest in excess of principal amount of loan.

(iii) Exclusion of interest component in cases of principal component in yearly instalments.

(iv) Exclusion of interest accrued in NPA loan accounts.

Government had issued the following clarifications on the above issues.

(i) Since all overdue loans were to be restructured under the special packages of GOI, loans issued before 1997 also would become eligible for waiver as all restructured loans are made eligible under the scheme.

(ii) Interest component of instalments can be claimed provided the total interest claims do not exceed principal amount of loan.

(iii) Only unapplied interest in NPA loans are made ineligible implying that since ARDBs apply interest in all such accounts including NPA loan accounts the same is eligible.

(iv) Banks have to forego penal interest charges as well as interest receivable till the date of reimbursement of first instalment.

Subsequently, the Ministry of Finance had sent a separate communication to the Federation informing that the Govt was actively considering funding of overdues in respect of pre 1997 agricultural loans issued by ARDBs as a special component under the proposed package for revival of LTCCS. Accordingly, the overdues under pre 1997 farm sector loans shall be funded under the revival package for LTCCS @ 100% in respect of small farmers and 25% in respect of other farmers.

फेडरेशन ने अपने सदस्य बैंकों को सरकार द्वारा दिये गये उपरोक्त स्पष्टीरण के मद्देनजर अपने दावे जमा करने की सलाह दी है। इस बात का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है कि एन.पी.ए. ऋणों के संदर्भ में ब्याज का दावा किया जा सकता है क्योंकि यह खाते में लगाया गया था और ऋण लेने वालों से मांगा गया था।

बैंक अब तक दावे की कुल रकम रू० ७७९७.४० करोड़ में से रू० ४३३७.४० करोड़ प्रथम किरत के रूप में प्राप्त कर चुके हैं, जो कि कुल दावों का ५६ प्रतिशत है। बकाया राशि को सरकार द्वारा अगले तीन सालों में दिये जाने की आशा है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि बकाया राशि पर दिये जाने तक के दिनांक की अवधि का ब्याज भी दिया जायेगा। बैंकों के अनुसार कुल दावों तथा प्राप्त की गयी प्रथम किरत का विवरण नीचे दिया गया है:–

½

d Ø -	, e r I k zh	id he ;kr xFj zd i
१.	आन्ध्र प्रदेश	३९२८.६३	२१९२.६१
२.	असम	०.५१	०.५१
३.	बिहार	३६.६९	२०.५४
४.	छत्तीसगढ़	२१.३७	११.८४
५.	गुजरात	१११.१२	६२.२४
६.	हरियाणा	१९४.९६	१०९.१७
७.	हिमाचल प्रदेश	४३.३१	२४.२६
८.	जम्मू व कश्मीर	४.८७	—
९.	कर्नाटक	९०.५७	५०.९९
१०.	केरल	१९४.२९	१०८.८०
११.	मध्य प्रदेश	३३७.००	१८८.७६
१२.	महाराष्ट्र	४४२.१७	२४७.६२
१३.	उड़ीसा	१४२.०८	७९.५६
१४.	पांडिचेरी	१.७२	०.९६
१५.	पंजाब	२२५.५५	१२६.३१
१६.	राजस्थान	२९०.४१	१५५.७४

The Federation had advised member banks to submit their claims taking into account the above clarifications by the Govt. It was also specifically mentioned that interest in respect of NPA loans could be claimed as the same was applied in the account and demanded from the borrower.

Banks have so far received Rs.4337.40 crores as 1st instalment, out of total claims of Rs.7797.40 crores which comes to 56% of the total claims. Balance amount is expected to be disbursed by the Govt during the next three years. Govt had also announced that interest would be paid for the balance amount till the date of disbursement. A statement showing bankwise details of total claims and 1st instalment received is furnished below:-

(Rs. in crores)

Sr. No.	Name of the SCARDB/SCB	Total claims	1st instalment received
1.	Andhra Pradesh	3928.63	2192.61
2.	Assam	0.51	0.51
3.	Bihar	36.69	20.54
4.	Chhattisgarh	21.37	11.84
5.	Gujarat	111.12	62.24
6.	Haryana	194.96	109.17
7.	Himachal Pradesh	43.31	24.26
8.	Jammu & Kashmir	4.87	-
9.	Karnataka	90.57	50.99
10.	Kerala	194.29	108.80
11.	Madhya Pradesh	337.00	188.76
12.	Maharashtra	442.17	247.62
13.	Orissa	142.08	79.56
14.	Pondicherry	1.72	0.96
15.	Punjab	225.55	126.31
16.	Rajasthan	290.41	155.74

d Ø -	, e r	I k zh	id he ;kr xFj zd i
१७.	तमिलनाडु	—	—
१८.	त्रिपुरा	२.५५	१.४३
१९.	उत्तर प्रदेश	१६२७.४०	८९८.८३
२०.	पश्चिमी बंगाल	९१.७६	५१.३९
२१.	दिल्ली	—	—
२२.	गोवा	५.२९	२.९६
२३.	मेघालय	५.१५	२.८८
	dy	**7797-40**	**4337-40**

ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना का एस.टी.सी.सी.एस. पर प्रभाव

ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना ने ए.आर.डी.बी. को छोटे किसानों को कृषि ऋणों के कारण अपने लंबे समय से चले आ रहे अधिदेयों से मुक्ति पाने में मदद की। वैसे, ऋण माफी योजना में उन किसानों को कोई लाभ न देने जिन्होंने परेशानियों के बावजूद किरतों का भुगतान किया, दिशा–निर्देशों में लगाई गयीं विभिन्न प्रकार की बंदिशों और कट–ऑफ दिनांको के कारण काफी बड़ी संख्या में किसानों के माफी/राहत योजनाओं के दायरे से बाहर रह जाने और दूसरे किसानों के लिये बनी OTS योजना में अपर्याप्त प्रोत्साहन होने के कारण ऋण माफी योजना ने उगाहियों को ऋणात्मक रूप से प्रभावित किया है। फरवरी २००८ में योजना की घोषणा के बाद ३० जून २००८ को समाप्त हुये चार महीनों की अवधि के दौरान ऋण उगाही ने क्षेत्र में १० प्रतिशत का सार्वकालिक निम्न स्तर दर्ज किया है।

योजना के लागू होने से बैंकों द्वारा अपने रोजमर्रा के खर्चों को चलाने हेतु भी पर्याप्त उगाही न होने के बावजूद नाबार्ड द्वारा ब्याज के भुगतान हेतु दबाव बनाये जाने के कारण क्षेत्र में तरलता का संकट बन गया है।

ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना के दिशा–निर्देशों में निम्नलिखित प्रावधानों ने ऋण योजनाओं और बैंक की **बॉटमलाइन** पर दूरगामी प्रभाव डाले:–

(क) दिशा–निर्देशों के अनुसार, ब्याज की जो राशि एक ऋण खाते से वसूली जा सकती है वह किसी भी समय पर ऋण की मूल धनराशि से अधिक नहीं हो सकती। ए.आर.डी.बी. को जारी किये गये अधिकांश ऋण १० साल से

Sr. No.	Name of the SCARDB/SCB	Total claims	1st instalment received
17.	Tamil Nadu	-	-
18.	Tripura	2.55	1.43
19.	Uttar Pradesh	1627.40	898.83
20.	West Bengal	91.76	51.39
21.	Delhi	-	-
22.	Goa	5.29	2.96
23.	Meghalaya	5.15	2.88
	TOTAL	**7797.40**	**4337.40**

Impact of ADWDR Scheme 2008 on LTCCS

ADWDR scheme helped ARDBs to shed most of their chronic overdues under agricultural loans to small farmers. However, the debt waiver scheme impacted negatively on recoveries due to denial of any kind of benefit under the scheme to farmers who managed payment of instalments in spite of distress, exclusion of sizeable number of farmers from the purview of waiver/relief schemes due to various kinds of ceilings and cut off dates incorporated in the guidelines and insufficient incentives under OTS scheme meant for other farmers. Loan recoveries in the sector registered an all time low of 10% during the 4 months period ending 30 June 2008 after the announcement of the scheme in February 2008.

Implementation of the scheme also caused liquidity crisis in the sector due to insistence of NABARD to pay interest even when banks were not getting enough collections to meet their routine expenses.

The following clauses in the guidelines of the ADWDR scheme had far reaching implications on the lending policies and bottomlines of the bank.

(i) As per the guidelines, the amount of interest that can be charged to a loan account should not exceed the principal amount of loan at any time. The majority of loans issued to ARDBs are for

भी अधिक अवधि के हैं। बैंकों को इन ऋणों के कारण काफी घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि ऋण की मूल धनराशि पर ऋण की पूरी अवधि में ऋण खाते में वसूला जाने वाला पूरा ब्याज ऋण की मूल धनराशि से भी अधिक हो जाता है।

(ख) दिशा–निर्देशों में इस शर्त के कारण कि मांग की किसी किरत में ब्याज का घटक मूल धनराशि के घटक से अधिक नहीं होना चाहिये, बैंकों को घाटा हो रहा है। पुनर्भुगतान की सालाना बराबर किरत प्रणाली में, जो कि ए. आर.डी.बी. द्वारा दीर्घकालिक ऋणों की दशा में अपनायी जाती है, ब्याज का घटक ऋण अवधि के आरम्भ के सालों में किरत के मूल धनराशि के घटक से अधिक हो जाता है।

(ग) दिशा–निर्देशों में दंडात्मक ब्याज को भी वसूलने को प्रतिबंधित किया गया है। दरअसल, दंडात्मक ब्याज बकायेदारों से वसूली जाने वाली जोख़िम लागत को दर्शाती है। दंडात्मक ब्याज पर बंदिश लगाने से अचेतन जोखिम लागत के कारण बैंको को हानि हुई है।

एस.सी.ए.आर.डी.बी. यो के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की १६वीं बैठक

नाबार्ड ने ८ मई एसएआरडीबी यों २००८ को लखनऊ में के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की १६वीं बैठक आहूत की। फेडरेशन तथा सदस्य बैंकों द्वारा बैठक में उठाये जाने मुख्य मुद्दे ए.डी.डब्ल्यू.डी.आर. योजना का ऋण उगाहियों पर विपरीत प्रभाव और बैंकों तरलता स्थिति से संबंधित थे। एस.सी.ए.आर.डी.बी. ने ऋण माफी की घोषणा के फलस्वरूप उगाही में आई बाधाओं के कारण उत्पन्न तरलता संकट से निपटने के समाधान के रूप में नाबार्ड के देयों को उगाहियों में सुधार आने तक पुर्निधारित करने का सुझाव दिया। फेडरेशन ने पुनर्वित्तीय योग्यता की सामान्य शर्तों में उपयुक्त छूटों के द्वारा किसानों की ऋण मांगों को पूरा करने के लिये तरलता सहयोग तथा बढ़े हुये पुनर्वित्तीय प्रावधानों का सुझाव दिया।

२००८–०९ के लिये योजनाबद्ध ऋण नीति तहत नाबार्ड से पुनर्वित्त निकासी के लिये मानदंड

साल २००८–०९ के लिये ए.आर.डी.बी. के संदर्भ में नाबार्ड की पुनर्वित्त नीति के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:–

- पुनर्वित्तीय योग्यता ३० जून २००७ को एस.सी.ए.आर.डी.बी. की उगाहियों के आधार पर होगी।
- एस.सी.ए.आर.डी.बी. जिनकी उगाही ३० जून २००७ को ३० प्रतिशत से कम होती है तो वे पुनर्वित्त के लिये योग्य नहीं होंगे।

period exceeding 10 years. Banks incur substantial losses under these loans as total interest chargeable in the loans account during the entire duration exceeds the principal amount of loan.

(ii) The stipulation in the guidelines that the interest component in any instalment of demand should not exceed the principal component results in losses to banks. Under equated annual instalment system of repayment which is generally followed by ARDBs in the case of long term loans, the interest portion exceeds the principal component of the instalment in early years of loan period.

(iii) The guidelines also prohibited collection of penal interest. In fact penal interest represents the risk cost charged from defaulters. By disallowing penal interest banks have suffered losses on account of unrealized risk cost.

XVI Meeting of CEOs of SCARDBs

NABARD convened XVI Meeting of CEOs of SCARDBs on 8 May 2008 at Lucknow. Main issues raised by Federation and member banks in the meeting related to adverse impact of ADWDR scheme on loan recoveries and liquidity position of banks. The SCARDBs suggested reschedulement of dues to NABARD till recoveries are improved as a solution to overcome the liquidity crunch on account of set-back to recovery in the aftermath of loan waiver announcement. The Federation also suggested liquidity support and enhanced refinance allocations to meet credit demand from farmers by suitable relaxations in the usual norms for refinance eligibility.

Eligibility Criteria for drawal of refinance from NABARD under schematic lending – Policy for 2008-09

Following are the highlights of NABARD's refinance policy in respect of ARDBs for the year 20008-09.

- Refinance eligibility will be based on recovery of SCARDBs as on 30th June 2007.
- SCARDBs with recovery less than 30% as on 30 June 2007 will be ineligible for refinance.

- उगाही में ३० जून २००८ को हुये सुधार पर योग्यता के लिये विचार किया जायेगा।
- पुनर्वित्तीय सहायता उगाही, वित्तीय रख–रखाव और आंतरिक प्रणालियों व नियंत्रणों के क्षेत्र में सुधारों को लागू किये जाने के लिये नाबार्ड के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने के अधीन होगी।
- वर्ष २००६–०७ के लिये लेखा परीक्षण पूरा कर लिया जाना चाहिये और एसएआरडीबी यों का लेखा वर्गीकरण । या B तथा पीसीएआरडीबी यों का A, B या C होना चाहिये।
- वर्ष २००८.०९ के दौरान पुनर्वित्त की नीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि एसएआरडीबी यों के उन अल्पकालिक ऋण ग्राहकों को फसल ऋण के विरूद्ध पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाना थी जो निवेश ऋण के लिये लागू योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं

वित्तीय समावेशन – वित्तीय समावेशन फंड और वित्तीय समावेशन तकनीक निधि

सरकार द्वारा डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित वित्तीय समावेशन समिति ने प्रत्येकी रू ५०० करोड़ के कोष वाले दो फंडों, वित्तीय समावेश सुनिश्चित करने हेतु विकास और प्रोत्साहन उपायों की लागत के लिये वित्तीय समावेशन फंड (Financial Inclusion Fund FIF) तथा तकनीक को अपनाने के लिये वित्तीय समावेशन तकनीक फंड (Financial Inclusion Technology Fund FTIF) की संस्तुति की। इन फंडों का उद्देश्य और अधिक वित्तीय समावेशन को सहज बनाना और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाना है। समिति ने वित्तीय समावेशन को कमजोर तबकों और कम आय वाले समूहों को सस्ती लागत पर समय से तथा पर्याप्त ऋण व वित्तीय सेवायें सुनिश्चित करने के रूप में परिभाषित किया है। समिति ने व्यापार सहायकों और व्यापार संवाददाताओं के माध्यम से वित्तीय और बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराने में NGOs, SHGs, MFIs तथा अन्य नागरिक समाज के संगठनों को मध्यस्थ के रूप में प्रयोग करने की अनुमति बैंकों को प्रदान करने की भी संस्तुति की है। FIF और FTIF के दिशा–निर्देश नाबार्ड द्वारा मई २००८ में जारी किये गये।

१५ वां भारतीय सहकारिता सम्मेलन

एनसीयूआई ने २१–२२ जनवरी, २००८ को नई दिल्ली में १५वां भारतीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया था। सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों की समीक्षा की गई और ९ बिजनेस सत्रों में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया। देश में सहकारिता के सही क्रियान्वयन के लिए इस बहस के आधार पर सम्मेलन में कई सिफारिशें निर्धारित कीं। सामान्य तौर पर सहकारिता और खासकर दीर्घावधि सहकारी कर्ज संरचना के संबंध में बडी सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

- Improvement in recovery as on 30 June 2008 being considered for eligibility.
- Refinance support will be subject to execution of MoU with NABARD regarding implementation of reforms in the areas of recovery, financial house keeping and internal systems and controls.
- Audit for the year 2006-07 should have been completed and audit classification of SCARDBs should be either A or B and that of PCARDBs should be A, B or C.
- A significant development in the refinance policy during the year 2008-09 was the decision to extend refinance against crop loans issued to LT credit clients of SCARDBs which fulfill the eligibility norms applicable for investment credit.

Financial Inclusion - Financial Inclusion Fund and Financial Inclusion Technology Fund

The Committee on Financial Inclusion set up by Govt of India under the chairmanship of Dr. C. Rangarajan had recommended establishment of two funds viz., Financial Inclusion Fund (FIF) for the cost of developmental and promotional interventions for ensuring financial inclusion and the Financial Inclusion Technology Fund (FITF) to meet the cost of technology adoption with a corpus of Rs.500 crores each. The objects of the funds are to facilitate greater financial inclusion and increasing the outreach of banking sector. The Committee defined financial inclusion as the process of ensuring access to timely and adequate credit and financial services by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at affordable cost. The Committee also recommended permitting banks to use the services of NGOs, SHGs, MFIs and other civil society organizations as intermediaries in providing financial and banking services through the medium of business facilitators and business correspondents. The guidelines of FIF and FIFT were issued by NABARD in May 2008.

15th Indian Cooperative Congress

NCUI convened the 15th Indian Cooperative Congress during 21-22 January 2008 in New Delhi. The Congress reviewed the achievements of cooperative sector and discussed various prudent issues in nine business sessions. Based on discussions, the Congress resolved a number of recommendations for proper functioning of cooperatives in the country. Major recommendations relating to cooperatives in general and cooperative long term credit structure in particular are listed below:-

१ निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के लिए सहकारी संस्थाओं को काम के लिए स्तरीय क्षेत्र उपलब्ध करवाया जाना जरूरी है। सरकार विभिन्न प्रोत्साहनों के जरिये निजी क्षेत्र को तो सहारा दे रही है, वहीं अब तक सहकारी क्षेत्र को दी जा रही रियायतें जैसे आयकर से छूट इत्यादि भी वापस ले ली गई हैं। सम्मेलन में इस बात की जोरदार सिफारिश की गई कि उपयुक्त कानूनी सुधार, वित्तीय सुधार, सस्ते भाव में जमीन का आवंटन, आयकर से छूट और अन्य प्रोत्साहनों को फिर से शुरू करके सहकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।

२ ग्रामीण ऋण में सहकारी बैंकों की भागीदारी अनवरत रूप से गिरती जा रही है। वर्तमान में यह लगभग २० प्रतिशत है। हाल फिलहाल सहकारी बैंक अपने सीमित कोष से होने वाली गतिविधियों और नाबार्ड से पुनर्वित्त प्रबंध पर निर्भर हैं। पर्याप्त पुनर्वित्तीय सहायता और लघु अवधि मौसमी कृषि कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड को भी आज्ञा नहीं है। अपनी गतिविधियों के लिए नाबार्ड जनरल लाइन ऑफ क्रेडिट (जीएलसी) सहायता और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सहित बाह्य उधारियों पर निर्भर रहता आया है। चूंकि जीएलसी सहायता भारतीय रिजर्व बैंक ने अब वापस ले ली है, इसलिए पर्याप्त पुनर्वित्तीय सहायता के लिए नाबार्ड पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कई सहकारी बैंक कमजोर हैं और बाजार से पैसा उठाने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए निधि संघटित करने और सहकारी ऋण व बैंकिंग संरचना के बीच फासला पाटने के लिए एक वैकल्पिक संघटनात्मक ढांचा तैयार करने की बहुत जरूरत है। वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन जोरदार आग्रह करता है कि पहले से ही समाष्टित भारतीय सहकारी बैंक (सीओबीआई) को जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

३ पूँजी की कमी सहकारी बैंकों के विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, मूल्य वर्धित और अधिक पूंजी लागत वाली परियोजनाओं में तो और ज्यादा। अधिकतर सदस्य छोटे स्तर पर काम करने वाले ही होते हैं, जिनके पास निवेश के लिए लघु बचतें ही होती हैं। इक्विटी का कम स्तर ऋण उठान में कम उत्तोलन के रूप में परिणित होता है। सहकारी संस्थाओं की इक्विटी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक सहकारी इक्विटी/विकास फंड स्थापित करना जरूरी है। इसे छोटे और मझोले उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए गठित नेशनल इक्विटी फंड (एनईएफ) की तर्ज पर बनाया जा सकता है। शेयरधारकों के प्रतिनिधियों सहित उपयुक्त राष्ट्र स्तरीय संस्थान में गठित एक कमेटी इस फंड का संचालन कर सकती है।

४ ऋण एवं बैंकिंग संस्थानों की समस्याओं और समाज के किसानों और गरीब कामगारों की ऋण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी ऋण एवं बैंकिंग संस्थानों को पुनर्जीवित करना अति महत्वपूर्ण है। प्रो. विद्यानाथन टास्क

1. For Co-operatives to compete with private sector, they need to be enabled with a level playing field. While the government through various incentives is supporting the private sector, even hitherto prevailing concessions to cooperative sector such as exemption from Income-Tax etc. have been withdrawn. The Congress strongly recommends that cooperatives be strengthened through appropriate legal reforms, financial reforms, allocation of land at concessional rates, restoration of exemption from income-tax and such other incentives.

2. The share of co-operative banks in rural credit has been steadily declining and presently is around 20%. Co-operative Banks presently depend on their activities on their own funds which are very limited and refinance from NABARD. NABARD does not have the mandate to provide adequate refinance support and concessional rate of interest for short-term seasonal agricultural operations. For its activities, NABARD has been depending on external borrowings including General Line of Credit (GLC) support from Reserve Bank of India (RBI). Since GLC support has now been withdrawn by the RBI, adequate refinance through NABARD cannot be relied upon.

   Many of the Cooperative Banks are weak and would not be in a position to raise funds from the market. There is, therefore, a strong need for an alternative organizational set up to mobilize funds and to bridge the systematic gap in the cooperative credit and banking structure. Keeping in view the present day requirements, the Congress strongly urges that the already incorporated Cooperative Bank of India (COBI) may be given the license to operate at the earliest.

3. Lack of capital is a key constraint to the development of cooperatives, more so in the case of capital intensive, value added projects. Most members are marginal and small operators and hence have only small savings to invest. Low levels of equity in turn imply low leverage in raising debt. To meet the equity needs of cooperatives; a Cooperative Equity / Development Fund along the lines of the National Equity Fund (NEF) for small and medium industries needs to be set up. A Committee with representatives of stakeholders, set up in the appropriate National Level Institution identified for this purpose could administer such a fund.

4. Considering the problems of the credit and banking institutions and credit needs of farmers and the poorer workers of the community, revitalizing the cooperative credit and banking institutions is of utmost importance. The progress of the implementation of the financial packages drawn

फोर्स १ और २ की सिफारिशों की तर्ज पर लघु और दीर्घ अवधि सहकारी ऋण संरचना के पुनर्पूंजीकरण और उसे मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा लाए गए वित्तीय पैकेजों को अमल में लाने की प्रक्रिया फिलहाल काफी ध ीमी चल रही है। जब तक इस प्रक्रिया को गति प्रदान नहीं की जाती और वित्तीय पैकेजों का लाभ सहकारी संस्थाओं तक नहीं पहुंचता, परिणाम उत्पादकता प्रतिकारी हो सकते हैं। सम्मेलन में सिफारिश करता है कि पुनर्जीविकरण पैकजे, जिनमें कि पुनर्पूंजीकरण सहायता भी शामिल है, उन्हें समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए और निगरानी व लागू करने की प्रक्रिया में संबंधित सहकारी बैंकिंग फेडेरशनको सक्रियता से शामिल किया जाए।

५ ऋण सहकारिताओं को मुसीबत के समय मदद करने के लिए एक सतत सहायता प्रणाली स्थापित की जाए। ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए जर्मनी में प्रचलित संस्थान रक्षा प्रणाली को मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें सरकार और विभिन्न शेयरधारकों का भी सहयोग हो सकता है। इसलिए सम्मेलन सिफारिश करता है कि सीसीआई को मजबूत करने के लिए ऐसा आईपीएस गठित किया जाना चाहिए।

६ बैंकिंग संरचना के संदर्भ में फिलहाल दिए गए नियम और मानक सीसीआई की समस्याओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहते। सहकारी ऋण संरचना की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन नियमों को फिर से तैयार करने की जरूरत है। सम्मेलन सिफारिश करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को सिर्फ सीसीआई की समस्याओं का परीक्षण करना चाहिए और उपयुक्त नियम, मानक, नियमन और नियमावली इजाद करें जैसे कि ऋण पात्रता नियम, पुनर्वित्तीय दरें, एसएलआर, विवेकपूर्ण नियम, शासन पद्धति, सीएआर, लाइसेंसिंग नियम आदि जो कि सहकारी संस्थाओं की संरचनात्मक समस्याओं में सहायक हों।

७ सहकारी ऋण संस्थानों को योजनाएं बनाने में स्वायत्ता और अपने प्रमुख कार्यों के संदर्भ में फैसले लेने की आजादी दिए जाने की जरूरत है। यद्यपि बैंकिंग सेक्टर विनियमित हो चुका है और विशिष्ट ब्याज दरों पर किसानों को ऋण देने के लिए सहकारी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। कृषि को सब्सिडी देना सीसीआई के ऋण संचालन की व्यावहारिकता की कीमत पर नहीं हो सकता। साथ ही किसानों के कर्ज, अतिदेय, ब्याज आदि माफ करने जैसे राजनीति से प्रेरित निर्णयों का सीसीआई पर बुरा प्रभाव पड़ा है, साथ ही उगाही का माहौल भी खराब हुआ है। सम्मेलन सिफारिश करता है कि अपने ऋण संचालन की व्यावहारिकता के मद्देनजर सीसीआई को अपनी ऋण नीतियां खुद बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर सहकारी संस्थाओं को सरकार निर्देशित हस्तक्षेप या सामाजिक योजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इनके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई भी सरकार द्वारा की जानी चाहिए।

up by the government for recapitalization and strengthening of the short-term and long-term cooperative credit structure on the lines of recommendations of Prof. Vaidyanathan Task Forces I & II is presently very tardy. Unless the process is accelerated and the benefits of the financial packages reach the cooperatives, the results could be counter productive. The Congress recommends that the revival packages, which include recapitalization assistance, should be implemented in a time bound manner and that the respective Cooperative Banking Federations should be actively involved in the monitoring and implementation process.

5. A continuing support system for helping credit cooperatives as and when in distress needs to be set up. The Institution Protection System prevalent in Germany may provide a model for setting up such a system with contribution towards the corpus from the government and various stakeholders. The Congress therefore recommends that such an IPS for strengthening CCI should be set up.

6. The norms and standards presently laid down in respect of the banking structure do not address the problems of CCI. There is a need for re-modeling these norms, keeping in view the special requirements of the cooperative credit structure. The Congress recommends that the RBI and NABARD should examine the problems of CCI exclusively and evolve appropriate norms, standards, regulations and discipline such as credit eligibility norms, refinance rates, SLR, CRR, prudential norms, governance pattern, CAR, licensing norms etc., conducive to the structural problem of cooperatives.

7. Cooperative Credit Institutions need to be given autonomy to formulate plans and take independent decisions regarding their lending operations. Although, the banking sector has been de-regulated, cooperative banks are directed to lend to farmers at specified rates of interest. Subsidizing agriculture cannot be at the cost of viability of credit operations of the CCI. Also politically motivated decisions such as writing off loans, overdues, interest etc. of farmers have serious repercussions on the CCI, besides vitiating the recovery climate. The Congress strongly recommends that the CCI should be allowed to formulate their own lending policies, keeping in view the viability and sustainability of their credit operations. If cooperatives are called upon to undertake Government directed interventions or social schemes, the losses arising as a result of these operations should be fully compensated by the government.

८ दीर्घावधि संरचना को पर्याप्त पुनर्वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के अलावा एआरडीबी को बैंक में परिवर्तित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड को मानक इजाद करने चाहिए। इन मानकों को पूरा करने वाले एआरडीबी को पूरी तरह बैंक में परिवर्तित करने की सम्मेलन सिफारिश करता है।

एससीएआरडीबी का ऋणपत्र कार्यक्रम — केन्द्र सरकार के योगदान की लागत

केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने दिनांक ६ मई, २००८ को जारी पत्र के माध्यम से वित्त वर्ष २००८—०९ के दौरान एससीएआरडीबी के ऋण पत्रों में ५८ करोड़ का योगदान करने के लिए भारत सरकार की प्रशासनिक मंजूरी के बारे में सूचित किया था। एससीआरडीबी में भारत सरकार का योगदान राज्य सरकारों द्वारा बराबर योगदान करने की शर्त का विषय है। ऋण पत्रों में बराबर का योगदान करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों को आवश्यक बजटीय प्रावधान करने की सलाह दी है। और यदि बजट में किए गए प्रावधान कम पड़ते हैं तो पूरक अनुदान के जरिये उसे उपलब्धा करवाने को भी कहा गया है। एससीएआरडीबी के ऋण पत्रों के लिए वार्षिक गारंटी की जगह ब्लॉक गारंटी जारी करने के लिए भी राज्य सरकारों से आग्रह किया गया, ताकि ऋणपत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल हो सके और समय बचे।

भारत सरकार का डेयरी व्यापारिक जोखिम पूँजी कोष स्थापित

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग ने वित्त वर्ष २००८—०९ के दौरान लागू करने के लिए डेयरी व्यापारिक जोखिम कोष स्थापित किया है। इसके लिए ४० करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया है।

यह योजना तीन लाख रुपए की अधिकतम लागत के साथ दस पशुओं तक छोटे डेयरी फार्म की स्थापना, १५ लाख रुपए तक की लागत के साथ दूध निकालने की मशीन की खरीद, देशी दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए १० लाख रुपए प्रति इकाई की अधिकतम कीमत वाले दुग्ध प्रसंस्करण उपकरणों की खरीद, दुग्ध उत्पादों की स्थापना, परिवहन सुविधाएं जिसमें कि २० लाख रुपए प्रति इकाई की अधिकतम कीमत वाली कोल्ड चेन भी शामिल है, २० लाख रुपए प्रति इकाई की अधिकतम लागत की परियोजना के साथ दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोर सुविधा, निजी पशु अस्पतालों की स्थापना जिसमें २ लाख रुपए की अधिकतम लागत के साथ चलायमान अस्पताल और डेढ़ लाख की अधिकतम लागत के साथ स्थायी अस्पतालों की स्थापना शामिल है।

सहायता इस आधार पर दी जाएगी। परियोजना लागत का दस फीसदी उद्यमी को अपनी तरफ से देना होगा। बाकी ९०

8. Besides ensuring adequate refinance support to the L.T. Structure, RBI and NABARD should evolve norms for converting ARDB into Banks. The Congress recommends that such ARDB that fulfill these norms should be converted to full-fledged banks.

Debenture programme of SCARDBs – outlay of Central Govt's contribution

Government of India, Ministry of Agriculture vide letter dt. 6 May 2008 communicated administrative approval of GOI for contributing Rs.58 crores in the debentures of SCARDBs during the financial year 2008-09. The contributions of GOI to the debentures of SCARDBs are subject to the condition of matching contributions by State Govts. Govt of India also suggested to State Govts to make required budget provision towards matching contribution to the debentures and in case the provision made in the budget falls short, to provide the amount through supplementary grants. State Govts were also requested to issue block guarantee, in the place of annual guarantee, for debentures floated by SCARDBs in order to save time and simplify procedure for debenture issues.

Dairy Venture Capital Fund set up by Govt of India

The Department of Animal Husbandry, Dairy and Fisheries under Ministry of Agriculture, GOI set up the Dairy Venture Capital Fund for implementation during the year 2008-09 with a budgetary provision of Rs.40 crores.

The scheme covers establishment of small dairy farms upto 10 animals with a maximum cost of Rs.3 lakhs, purchase of milking machines at a cost of upto Rs.15 lakhs, purchase of dairy processing equipments for manufacturing indigenous milk products at a maximum cost of Rs.10 lakhs per unit, establishment of dairy products, transportation facilities including cold chain at a maximum cost of Rs.20 lakhs per unit, cold storages facility for milk and milk products with project cost upto Rs.20 lakhs per unit and establishment of private veterinary clinics with project cost upto Rs.2 lakh for mobile clinics and upto Rs.1.5 lakhs for stationary clinic.

According to the pattern of assistance, entrepreneurs' contribution shall be 10% of the project cost

फीसदी में से ब्याज मुक्त ऋण के तौर केन्द्र सरकार ५० फीसदी योगदान देगी। शेष ४० फीसदी बैंक ऋण के तौर पर मिलेगा, जिस पर कृषि गतिविधियों पर लगने वाली दर से ब्याज वसूला जाएगा।

देश के कठोर पहाड़ी क्षेत्रों में कुओं की खुदाई से भूमिगत जल के कृत्रिम पुनर्भरण की योजना

भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन के चलते देशभर में भूमिगत जल की नाजुक स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने पहाड़ी क्षेत्रों में कुओं की खुदाई के जरिये भूमिगत जल के कृत्रिम पुनर्भरण की योजना तैयार की है। वर्ष २००७–०८ और २००९–१० के बीच विभिन्न चरणों में यह योजना सात राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में लागू की गई।

पुनर्भरण संरचना स्थापित करने के लिए योजना की कुल लागत १८७१.१० करोड़ रुपए होगी, जिसे लाभपात्र किसानों को सब्सिडी मुहैया करवाने के लिए नाबार्ड के साथ रखा जाएगा। छोटे और सीमांत किसान सौ फीसदी सब्सिडी के पात्र होंगे, जबकि अन्य किसानों को पचास फीसदी सब्सिडी मिलेगी। नाबार्ड ने सभी बैंकों को इस योजना के विस्तृत दिशानिर्देश भी भेजे हैं। इस योजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं:–

- योजना में भूमिगत जल पुनर्भरण करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों के लाभपात्र किसानों के मौजूदा खुले सिंचाई के कुओं में पुनर्भरण संरचना स्थापित करने का विचार रखा गया है।
- पुनर्भरण इकाई में २ बाई २ वर्ग मीटर का एक पुनर्भरण गड्ढ़ा होता है, जिसकी गहराई २.५ मीटर होती है। खेत के स्रोतों से आने वाला बारिश का पानी मिट्टी/कंकड़ फिल्टर से निर्मित डिसिल्टिंग चैम्बर से होते हुए पीवीसी की पाइप के जरिये मौजूदा कुएं में गिरेगा।
- यह संरचना तैयार करने की अनुमानित लागत प्रति कुआं ३६०० से ५७०० के बीच है।
- उपर बताए गए सात राज्यों में अति दोहन वाले नाजुक और अर्ध नाजुक खंडों में यह योजना लागू की जाएगी। योजना के तहत सिंचाई के मौजूद ४४.५५ लाख कुओं को कवर करने की संभावना जताई गई है। परियोजना की कुल लागत १८७१.१० करोड़ में से १४९९.२७ करोड़ रुपए सब्सिडी का हिस्सा रहेगा।
- दो साल तक के लिए २.५ प्रतिशत की दर पर पुनर्भरण संरचना के रखरखाव की कीमत भी योजना के तहत वित्तीय सहायता में कवर की गई है।
- इस योजना के जरिये वांछित क्षेत्रों जैसे कि खेतों में मौजूद कुओं के माध्यम से भूमिगत जल के पुनर्भरण और अकाल के वक्त में भी कुओं को कायम रखने की उम्मीद है। यह पुनर्भरण योजना भूमिगत जल की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी।

and out of the remaining 90%, 50% to be financed by Government of India as interest free loan and balance 40% as bank loan at interest as applicable for agricultural activities.

Scheme on Artificial Recharge of Groundwater through Dugwells in Hard Rock Areas of the Country

In view of the critical situation in many parts of the country on account of overuse of ground water, the Ministry of Water Resources, Government of India has formulated a scheme for artificial recharge of groundwater through dugwells in hard rock areas. The scheme is being implemented in 7 States viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Tamil Nadu in phases between 2007-08 and 2009-10.

The total cost of the scheme for installation of recharge structures will be Rs.1871.10 crores which will be placed with NABARD for administration of subsidy to beneficiary farmers through banks. Small and marginal farmers will be eligible for 100% subsidy and other farmers 50%. NABARD has also communicated the detailed guidelines of the scheme to all banks. The salient features of the scheme are as follows:-

- The scheme envisages installation of recharge structures in the existing irrigation open wells of the beneficiary farmers in the affected areas to facilitate ground water recharge.
- The recharge unit comprises of a recharge pit of 2m x 2m dimension at a depth of 2.5m. Rainwater from field channels will enter the pit through a desilting chamber made of sand/ gravel filter and will flow to the existing dugwell through a PVC pipe.
- The cost of the structure is estimated to range from Rs.3600 to Rs.5700 per well.
- The scheme will be implemented in over exploited, critical and semi critical blocks in the 7 States mentioned above. The scheme is expected to cover 44.55 lakh existing irrigation dugwells with a subsidy component of Rs.1499.27 crores out of the total cost of Rs.1871.10 crores.
- The financial assistance under the scheme also covers maintenance cost of the recharge structure @ 2.5% of the cost for two years.
- The scheme is expected to facilitate groundwater recharge through existing dugwells in favourable catchments like agricultural fields and will increase the sustainability of wells during lean period. The recharge programme will also help improving the quality of groundwater.

- संबंधित राज्यों सरकारों द्वारा राज्य स्तरीय परिचालन समिति और जिला स्तरीय अमल एवं निगरानी समितियों के माध्यम से इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस काम में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, राज्य भूमिगत जल बोर्ड और जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान की ओर से तकनीकी सहयोग मुहैया करवाया जाएगा।
- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल की गई एजेंसियों के मार्फत प्रभाव आंकलन अध्ययन करवा कर इस योजना की फलोत्पादकता का मूल्यांकन किया जाएगा।

सभी सात राज्यों में, जहां यह योजना लागू की जा रही है, एससीआरडीबी ने बड़े पैमाने पर कुओं का वित्तीय प्रबंध किया था। वहां पर सूखे मौसम में भी कुओं को चालू रखने और भूमिगत जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का उन्मुक्त इस्तेमाल करते हुए कृत्रिम पुनर्भरण संरचना की स्थापना के लिए एससीआरडीबी लाभपात्रों को प्रोत्साहित कर सकता है। (छोटे और सीमांत किसानों के लिए सौ फीसदी सब्सिडी और अन्य किसानों के लिए पचास फीसदी।)

18 ea 9 ,0 k r 2 k 0 l i d 2 a f s l k s d k . q a i s

एससीएआरडीबी के मुख्य कार्यकारियों और वित्त प्रबंधकों के लिए फेडरेशनने इस संगोष्ठी का आयोजन पुणे स्थित VAMNICOM में किया था। इसमें उगाही प्रबंधन में बैंकों के उगाही प्रदर्शन और पूंजीकरण एवं रिसोर्स मोबिलाइजेशन संबंधी मुद्दों की समीक्षा की गई। ऋण उगाही में आ रही गिरावट को उलटने के लिए संगोष्ठी में निम्नलिखित कदम सुझाए गए:

- ऋण की वक्त पर अदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज संबंधी लाभ देना। यदि वक्त पर ऋण की अदायगी होती है तो बैंक भुगतान में देरी से होने वाले नुकसान से बच जाएगा। इसका लाभ वक्त पर भुगतान करने वाले को भी दिया जाना चाहिए।
- तुरंत भुगतान के लिए ब्याज संबंधी लाभ की योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के पास जाएं।
- भुगतान और ऋण गुणवत्ता सुधारने की खातिर दीर्घावधि कर्ज लेने वालों की लघु अवधि ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सरल प्रक्रिया और कागजी कार्यवाही के तहत संयुक्त देनदारी ऋण योजना आरम्भ की जाए।
- कई राज्यों में प्रायोगिक तौर पर सफलतापूर्वक लागू संयुक्त देनदारी समूहों की प्रणाली के तहत समूह को उधार देने का सहारा लिया जाए।
- किसान क्लब, ग्राम स्तरीय ऋण कैम्प और सेमीनार इत्यादि के माध्यम से समय पर कर्ज अदायगी की जरूरत और फायदों के बारे में किसानों को संवेदनशील बनाना।

- The scheme will be implemented by respective State Govts in the identified blocks through a State level Steering Committee and District level Implementation and Monitoring Committees with technical support from Central Groundwater Board, State Groundwater Board and Water & Land Management Institutes.
- The efficacy of the scheme will be evaluated through impact assessment studies to be undertaken by agencies empanelled by the Ministry of Water Resources.

The SCARDBs who have financed large number of dugwells in all the 7 States where the scheme is being implemented may encourage the beneficiaries to avail financial support for constructing artificial recharge structures in order to improve the sustainability of wells in dry seasons and to improve the quality of water by making use of the liberal financial support under the scheme (100% subsidy for small and marginal farmers and 50% for others).

Conference of CEOs and Financial Managers of SCARDBs during 29-30 September 2008 at Pune

The Conference of CEOs and Financial Managers of SCARDBs convened by the Federation at VAMNICOM, Pune reviewed the recovery performance of banks in recovery management and also issues relating to capitalization and resource mobilization. The Conference suggested following measures to reverse the declining trend in loan recovery.

- Offering interest incentives to encourage timely repayment by passing on to the borrowers a portion of the cost on account of delayed repayment saved by banks when loans are repaid on time.
- Approach State Govts to introduce interest incentive scheme for prompt repayment.
- Introducing Joint Liability Credit Scheme under simple procedure of processing and documentation for meeting the short term credit needs of long term borrowers to improve credit quality and repayment.
- Resorting to group lending under the system of joint liability groups which was successfully implemented in some States on pilot basis.
- Sensitizing farmers on the need and advantages of timely repayment of loan through farmers' clubs, village level credit camps, seminars etc.

- भुगतान के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर ऋण लेने वालों को प्रथम और उप प्रथम की दो श्रेणियों में विभाजित किया जाए। प्रथम श्रेणी में आने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं।
- पीसीएआरडीबी/शाखाओं को ऋण लेने वालों की अलग–अलग विस्तृत जानकारी का रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिसमें उनकी संपत्ति, आय के स्रोत और उनकी अवधि इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- कर्ज लेने वाले व्यक्ति की भुगतान संबंधी वास्तविक क्षमता पर फील्ड ऑफिसर काम करें और भुगतान संबंधी क्षमता और वित्तीय स्थिरता के बारे में उसे अलग से एक प्रमाण–पत्र जारी करें। ऋण मंजूर करने के लिए यह प्रमाण–पत्र एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
- ऋण की अनुशंसा करने वाले फील्ड ऑफिसर को भी ऋण के भुगतान/उगाही के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।
- गुणवत्ता पूर्वक कर्ज देने और ऋण उगाही में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले फील्ड अफसरों को अवश्य प्रोत्साहन दिया जाए।
- उगाही प्रबंधन के लिए हर शाखा/पीसीएआरडीबी में कमेटियां गठित की जाएं, जो कि महीने में कम से कम एक बार बैठक करके शाखा/पीसीएआरडीबी के समग्र उगाही प्रदर्शन की समीक्षा करें। साथ ही दिए गए उगाही लक्ष्य के संदर्भ में हर फील्ड अफसर के काम का भी मूल्यांकन किया जाए।
- संगोष्ठी ने यह भी सुझाया कि उपयुक्त परियोजनाएं विकसित करके जमा राशि को गतिशील बनाने के प्रयास तीव्र किए जाएं। संसाधन बढ़ाने के लिए पांच और दस साल की सदस्यता संबंधी नकद प्रमाण–पत्र योजना और ऋण संबंधी जमा योजनाओं की भी संगोष्ठी में सिफारिश की गई।

पुर्निवित्तीयन पर ब्याज की दर

वर्श २००८–०९ आर.बी.आय द्वारा गिरावट हेतु किये गये उपायों का गवाह है जिसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने प्रवृत्ति सम्मिलित है।

नाबार्ड ने आरोप लगाया कि नाबार्ड पर ब्याज की दर को साल के दौरान पांच बार संशोधित किया जा चुका है। ५० अंकों की बढ़ोत्तरी के प्रभाव से ब्जाज की दर जो साल के आरम्भ में ८.५ प्रतिशत थी, २६.५.०८ को बढ़कर ९ प्रतिशत हो गई। २ जुलाई २००८ को ब्याज दर एक बार फिर बढ़ कर ९.७५ प्रतिशत हो गई जो दुर्भाग्य से पिछले तीन सालों में सबसे अधिक थी। यद्यपि मुद्रास्फीति की दर और बैंक दर सितम्बर २००८ से निरंतर कम होती रही हैं नाबार्ड

- Classifying borrowers into prime and sub prime on the basis of track record of repayment with special facilities to prime customers.

- PCARDBs/branches to maintain borrowerwise profile with details about their assets, sources and seasonality of incomes etc.

- Field officers to work out repaying capacity realistically and give a separate certificate regarding repaying capacity and financial stability of the borrower which should be the main criterion for sanctioning the loans.

- Making field officers who recommend the loan responsible for timely repayment/recovery of the loan.

- Mandatory incentives to field officers for outstanding performance in quality lending and loan recovery.

- Constituting committee for recovery management in each branch/PCARDB which should meet at least once a month to review the overall recovery performance of branch/PCARDB and evaluate the performance of individual field officers with regard to recovery targets given to them.

- The Conference also suggested intensifying efforts to mobilize deposits by developing suitable projects. Membership Linked Cash Certificate Scheme of 5 years and 10 years and Credit Linked Deposit Schemes were also recommended by the Conference to augment resources.

Rate of interest on refinance

The beginning of the year 2008-09 witnessed a slew of measures by RBI including revisions in the key rates to contain inflationary trend.

The rate of interest on refinance to SCARDBs charged by NABARD has undergone five revisions during the year. The rate which was 8.5% in the beginning of the year was revised to 9% on 26.5.08 by effecting an increase of 50 basis points. The rate was again revised to 9.75% on 2 July 2008 which incidentally was the highest rate in the last three years. Though the rate of inflation and the

पुनर्वित्तीयन पर ब्याज दर १ जनवरी २००९ तक ९.७५ प्रतिशत के उसी स्तर पर बनी रही। ब्याज दर में गिरावट का एक संशोधन १ जनवरी २००९ को हुआ जिसमें ५० अंकों की गिरावट के प्रभाव से ब्याज दर ९.२५ प्रतिशत कर दी गई जिसे फिर से २.२. २००९ को संशोधित कर ९ प्रतिशत और १८.२.२००९ को ८.५ प्रतिशत कर दिया गया। रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख दरों में कटौती की घोशणा के बाद आगे इन ब्याज दरों के घटने की आशा जताई गई। फेडेरेशन ने भी नाबार्ड से एआरडीबीज द्वारा जारी आवास ऋण पर ८ प्रतिशत की कम ब्याज दर या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रू. ५ लाख के आवास ऋणों पर लिये जाने वाली ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुये कम ब्याज दर पर विचार करने का अनुरोध किया।

कार्बन क्रेडिट पर आईबीए समूह

कार्बन क्रेडिट कम्पनियों और देशों को प्रदान किये जाने वाले वे प्रोत्साहन हैं जो कार्बन उज्सर्जन को कम करते हैं। देशों और कम्पनियों के लिये कुल वार्षिक उज्सर्जन कर हो जाता है। कोई कम्पनी जो अनुमति से अधिक उज्सर्जन करती है इसे नियमित किया जा सकता है उनसे कार्बन क्रेडिट खरीदकर जो इस प्रकार के क्रेडिट मूल्य की खातिर अनुमति से की अपेक्षा कम उज्सर्जन अर्जित करती है। साल २००८ में कार्बन क्रेडिट व्यापार का अनुमान ५ बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत और चीन की कार्बन क्रेडिट का सबसे बड़े विक्रेता और यूरोप का सबसे बड़े खरीदार होने की सम्भावना है। वे परियोजनायें जो कार्बन क्रेडिटों के अर्जन की पूर्ति करती हैं, स्वच्छ विकास तकनीक [CDM, परियोजनायें कहलाती हैं। भारत में बैंक [CDM, परियोजनाओं के वित्तीयन में सम्मिलित होना बढता जा रहा है। हालांकि, भारत ने अभी तक कार्बन क्रेडिट पर कोई उचित नियामक व्यवस्था और नोडल ऐजेंसी का कार्बन क्रेडिट के विकास हेतु किसी राष्ट्रीय नीति विकसित नहीं की है।

इस संदर्भ में रिजर्व बैंक ने इन मुद्दों को भारत सरकार के समक्ष उठाने हेतु आईबीए से अनुरोध किया था। आईबीए ने इन मुद्दों को भारत सरकार के समक्ष उठाने हेतु विचार करने के लिये एक कार्य समूह का गठन किया। कार्य समूह ने भारत सरकार द्वारा कार्बन क्रेडिट पर और कार्बन क्रेडिट के विकास के लिये एक नोडल ऐजेंसी के गठन हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया।

वित्तीयन साझा देयता समूह हेतु दिशानिर्देश

किरायेदार किसानों, लघु किसानों और भूमिहीन किसानों को स्व–सहायता समूह के गठन के माध्यम से नाबार्ड द्वारा उनको

bank rate have been steadily falling since September 2008 the rate of interest on NABARD refinance remained at the peak level of 9.75% till January 2009. A downward revision of the rate took place on 1st January 2009 fixing at 9.25% by effecting a reduction of 50 basis points which was further revised to 9% on 2.2.2009 and to 8.5% from 18.2.2009. These rates are expected to be brought down further in response to the subsequent reductions in the key rates announced by RBI. The Federation has also requested NABARD to consider a lower interest rate on refinance against housing loans issued by ARDBs in view of the lower interest rate of 8% or less charged by commercial banks on housing loans upto Rs.5 lakhs.

IBA Working Group on Carbon Credit

Carbon credits are incentives given to companies or countries that emit less carbon. The total annual emissions are capped for countries and companies. A company which exceeds permitted emissions can regularize it by buying carbon credits from those who earns such credits by achieving lower emissions than permitted, for a price. The global carbon credit trading during 2008 was estimated at US$5 billion. India and China are likely to emerge as the biggest sellers and Europe is likely to be the biggest buyers of carbon credit. The projects which satisfy the requirements of earning carbon credits are called Clean Development Mechanism [CDM] projects. Banks in India are increasingly involved in financing CDM projects. However, India so far has not evolved a National Policy on Carbon Credit with appropriate regulatory arrangements and a nodal agency for development of carbon credit.

RBI in this context requested IBA to take up these issues with the Government of India. The IBA has constituted a Working Group to consider these issues for taking up with Government of India. The Working Group recommended for formulating a national policy on carbon credit and constituting a nodal agency for development of carbon credit, by GOI.

Guidelines for Financing Joint Liability Groups

The concept of financing tenant farmers, small farmers and landless farmers through formation of

वित्तीय संस्थानों से जोड़कर वित्तीयन की अवधारणा को प्रोन्नत किया गया जैसे वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक। यद्यपि SHG. ऋण देना बहुत ही आसान था और अधिकांश छोटे समूह की गतिविधियों को संचालित करने हेतु क्रेडिट मांग की मात्रा साथ स्वंतत्र थी। अंतत:, इस तकनीक ने मध्य वर्गीय ऋण लेने वालों को त्याग दिया जिनकी क्रेडिट मांगें प्रति. ऋण प्राप्तकर्ता के लिये रू १००००–५०००० की दर से ऊंची थी।

नाबार्ड ने साल २००४–०५ में देष के ७ राज्यों साझा देयता समूहों की तकनीक के माध्यम से कुछ वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकए आर आर बी और एक पीसीआरडीबी (केरल में इरिनरालाकुडा पीसीआरडीबी) के माध्यम से इस वर्ग के ऋण प्राप्तकर्ताओं के इस वर्ग के वित्तीयन की अवधारणा को जांचने का प्रयोग किया।

एनसीआरडीबी फेडेरशनने नाबार्ड द्वारा संचालित कार्यक्रम के रूप में इरिनजाकुडा में लागू जेएलजी कार्यक्रम के अध्ययन का काम हाथ में लिया और पाया पाया कि नाबार्ड बाधाओं के बावजूद किसानों और ग्रामीण उद्योगपतियों की सहायता कर चुका है ऐसे समूहों के गठन में और उनको साल २००४–०५ और २००७–०८ के दौरान एक औसत वसूली दर ८.५ प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की। इस बैंक के अनुभव के आधार पर, फेडेरशन ने पूरे देश में एआरडीबीज द्वारा किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के साझा देयता समूहों के वित्तीयन हेतु दिशानिर्देश तैयार किये हैं। जेएलजी वित्तीयन के मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं।

- योजना का लक्ष्य है किरायेदार किसानों, मौखिक पट्टाधारियों, भूमिहीन श्रमिकों आदि को ऋण उपलब्ध कराना जिनके पास भूमि अधिग्रहण नहीं है या अपनी साझा देयता समूहों के गठन के माध्यम से उनके पास भूमि का उचित नाम नहीं है। योजना में सम्भावना है जेएलजी तकनीक के माध्यम से लक्षित ग्राहकों को साथ साथ नि:शुल्क ऋण उपलब्ध कराना।
- जेएलजी एक सूचनात्मक समूह है जिसमें ४–१० व्यक्ति बैंक से ऋण लेने की प्रक्रिया में एक साथ होते हैं या तो अकेले या समूह तकनीक के माध्यम से पारस्परिक गारंटी के एवज में। समूह के सदस्यों के पास समान आर्थिक स्तर होना चाहिये और वरीयता में समान गतिविधि होनी चाहिये (उदाहरण के लिये, कॉयर बनाना, फसल उगाना, कृषि उत्पाद बेचना आदि)। सदस्यों को उसी क्षेत्र आवास होना आवशयक है और सामूहिक/व्यक्तिगत ऋणों के लिये साझा देयता लेने हेतु एक दूसरे पर भरोसा होना आवश्यक है। समूह के सदस्यों को किसी वित्तीय संस्थान का बकायादार नहीं होना चाहिये।

self-help groups was promoted by NABARD by linking them to financial institutions like commercial banks, cooperative banks and rural banks. Though the SHG lending was so simple and mostly collateral free the quantum of credit requirement for taking up the activity within the group was small. Consequently, this mechanism left out the mid segment borrowers whose credit requirements were higher in the range of Rs.10000-50000 per borrower.

NABARD test piloted the concept of financing this segment of borrowers through the mechanism of joint liability groups during the year 2004-05 in 7 States of the country through some commercial banks, state cooperative banks, RRBs and one PCARDB (Irinjalakuda PCARDB in Kerala).

The NCARDB Federation undertook a study of the JLG programme implemented in Irinjalakuda as part of the pilot programme of NABARD and found that the PCARDB despite facing hurdles has helped farmers and rural entrepreneurs in forming such groups and financed them with an average recovery rate of 85% during the period 2004-05 and 2007-08. Based on the experience of this Bank, the Federation has prepared the guidelines for financing joint liability groups of farmers and rural entrepreneurs by ARDBs all over the country. Salient aspects of the JLG financing are as follows.

- The object of the scheme is to provide credit to tenant farmers, oral lessees, landless labourers etc. who do not have land holding or do not have proper title to their land holding through formation of joint liability groups. The scheme envisages to provide collateral free loans to target clients through JLG mechanism.

- The JLG is an informal group comprising 4-10 individuals coming together for the performance of availing bank loan either singly or through the group mechanism against mutual guarantee. Group members should possess the same economic status and preferably undertake same activity (for example, coir making, crop cultivation, selling agricultural produce etc). The members should be residing in the same area and should trust each other to take up joint liability for the group/individual loans. The group members should not be defaulters to any other financial institutions.

- जेएलजी एक ही परिवार के लोगों द्वारा न बनाया गया हो और समूह में एक परिवार का एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल नहीं होना चाहिये।
- समूह का एक सक्रिय सदस्य नेतृत्व की भूमिका सम्भालने के लिये तैयार होना चाहिये। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिये कि बेनामी कर्ज का उपयोग समूह का नेता ही न कर ले, सावधानी रखनी जरूरी है।
- डेयरी इकाई, नारियल जटा/ब्रॉयलर मुर्गी फार्म, केला उत्पादन, धान उत्पादन, प्लास्टिक/बेंत की कुर्सी बनाना, रेडीमेड कपड़े, दर्जीगिरी, चावल, सालन ऊर्जा, आयुर्वेदिक दवाएं तैयार करना, बेकरी इत्यादि इरींजालाकुडा में जेएलजी द्वारा संचालित की गई कुछ गतिविधियां हैं।
- वित्त प्रबंध करने वाले बैंक को एक जैसी सोच वाले लोगों की पहचान करके समूह निर्माण की पहल करनी होगी। ऐसे लोगों की बैठक बुलाकर उन्हें जेएलजी के सिद्धांत और समूह के सदस्यों को होने वाले फायदों के बारे में समझाना होगा।
- हरेक समूह को एक संख्या और नाम दिया जाना चाहिये और समूह नेता का चुनाव किया जाना चाहिये।
- वित्त प्रबंध दो तरीकों से किया जा सकता है। मॉडल ए के तहत, पुनर्भुगतान की आधारभूत देनदारी अलग–अलग व्यक्तियों की होगी। हालांकि सभी सदस्य संयुक्त रूप से एक इंटर–से दस्तावेज का क्रियान्वयन करेंगे, जिसमें कि समूह के किसी भी व्यक्ति द्वारा लिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान के लिए हरेक को संयुक्त और सख्त तौर पर देनदार बनाया जाएगा। मॉडल बी के तहत कर्ज पूरे समूह को दिया जाएगा और उसे उधार लेने वाली एक इकाई के तौर पर ही माना जाएगा।
- मॉडल ए के तहत, जेएलजी अपने विभिन्न सदस्यों के लिए ठोस योजना तैयार करके इसे बैंक के पास जमा करवाएगा। कर्ज अलग–अलग व्यक्तियों के नाम पर मंजूर किए जाएंगे। मॉडल बी के तहत समूह द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही योजना के लिए कर्ज की आवश्यकता पर काम किया जाएगा और सभी सदस्यों की अनुपातिक देनदारी तय की जाएगी।
- दोनों ही मॉडल्स के तहत हर व्यक्ति के लिए कर्ज की अधिकतम राशि ५०,००० रुपए होगी।

ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी – ९– १० फरवरी, २००९

फेडरेशन ने पंजाब सरकार के संयुक्त तत्वावधान में ९–१० फरवरी, २००९ को चंडीगढ़ में ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना पुनरुद्धार विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था।

- The JLG should not be formed with members of the same family and more than one person from the same family should not be included in the group.

- One active member of the group should be ready to take up leadership role. However, care should be taken to ensure that binami loans are not availed by the group leader.

- Dairy units, coir making/broiler poultry, banana cultivation, paddy cultivation, plastic/cane chair making, readymade garments, tailoring, rice, curry power, ayurvedic medicine preparations, bakery shop etc were some of the activities undertaken by the JLGs in Irinjalakuda.

- Financing bank to take the initiative to facilitate group formation by identifying like minded people and calling them to a meeting to explain the principles of JLG and the benefits to the members of the group.

- Each group formed should be given a number and name and a group leader should be elected.

- The financing can be done in two ways. Under model A, the basic liability of repayment lies with the individuals. However, all members jointly execute one inter-se document making each one jointly and severally liable for repayment of loan taken by all individuals in the group. Under model B, the financing is given to the group as a whole and treating the entire group as one borrowing unit.

- Under model A, the JLG will prepare concrete plan for its individual members and submit it to the bank. The loans will be sanctioned in the name of individual members. Under model B, the credit requirement of the project jointly carried out by the group will be worked out with proportionate liability to individual members.

- The maximum amount of loan per individual will be Rs.50000 under both the models.

National Conference on Revival of Rural Cooperative Credit Structure – 9-10 February 2009

The Federation in collaboration with Government of Punjab organized the National Conference on Revival of Rural Cooperative Credit Structure during 9-10 February 2009 at Chandigarh.

भारतीय सहकारिता आंदोलन का सबसे पुराना और सबसे बड़ा क्षेत्र ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना वर्तमान में ठोस सुधारों और पुनर्संरचना से गुजर रहा है। लघु अवधि ग्रामीण कर्ज संरचना के पुनरुद्धार की योजना वैद्यनाथन टास्क फोर्स – १ की सिफारिशों पर आधारित है, जो कि उत्साहजनक परिणामों के साथ २५ राज्यों में लागू की जा रही है। इसी प्रकार वैद्यनाथन टास्क फोर्स –२ की सिफारिशों के आधार पर प्राथमिक और द्वितीयक स्तर पर सहकारिता को शामिल करते हुए दीर्घ अवधि सहकारी कर्ज़ संरचना की योजना को भी भारत सरकार के स्तर पर अंतिम रूप दिया जा चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इसे शीघ्र ही लागू करने के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाएगा। ग्रामीण सहकारी कर्ज़ संरचना के पुनरुद्धार कार्यक्रम में पुनर्पूंजीकरण, कानून, नीति और व्यवस्था के सभी भागीदारों अर्थात सदस्यों, सहकारी कर्ज संस्थानों का प्रबंधन, राज्य और केन्द्र सरकारें, नाबार्ड आरबीआई आदि के समन्वित प्रयासों से संस्थागत सुधार शामिल हैं। उपरोक्त पृष्ठभूमि के आधार पर ही ग्रामीण सहकारी कर्ज संरचना का पुनरुद्धार विषय पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन एनसीएआरडीबी फेडेरशन और पंजाब सरकार ने संयुक्त तौर पर किया था।

संगोष्ठी की तैयारियां पंजाब सरकार के सहकारिता मंत्री कैप्टन कंवलजीत सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोजन समिति ने की। इसमें डॉ. बीसी गुप्ता, वितायुक्त (सहकारिता) और सहकारी समितियां, पंजाब के रजिस्ट्रार डॉ. जी वरजलिंगम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम, सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ कार्यकारियों और पंजाब राज्य सहकारी बैंक व अन्य राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं का भी सहयोग रहा।

संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह ९ फरवरी, २००९ को दोपहर बाद चंडीगढ़ के सीआईआई हॉल में हुआ। आईसीए के अध्यक्ष श्री इवानो बारबेर्नी ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने संगोष्ठी की अध्यक्षता की। संगोष्ठी का व्यवसाय सत्र १० फरवरी को चंडीगढ़ के होटल माउंट व्यू के कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुआ। व्यवसाय सत्र का पूर्ण सत्र दोपहर से पहले हुआ। दोपहर बाद एक समूह चर्चा और विदाई सत्र का आयोजन हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों खासकर छोटे और सीमावर्ती किसानों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए निवेश उपलब्ध करवाने में ग्रामीण सहकारी कर्ज संरचना की भूमिका को संगोष्ठी ने मान्यता प्रदान की। ग्रामीण सहकारी कर्ज संरचना में संस्थान जिस कानूनी और नीतिगत माहौल के तहत काम कर रहे हैं, उसकी संगोष्ठी के दौरान समीक्षा की गई। साथ ही संरचना में सुधार और

The rural cooperative credit structure which is the oldest and largest sector of Indian cooperative movement is currently undergoing substantial reforms and restructuring. The scheme for revival of short term rural credit structure based on the recommendations of Vaidyanathan Task Force I is under implementation in 25 States with encouraging results. A similar scheme for long term cooperative credit structure comprising of cooperatives at state and primary levels based on the recommendations of Vaidyanathan Task Force II has been finalized at the level of Government of India and expected to be circulated to State Govts for implementation shortly. The revival programme for rural cooperative credit structure involved recapitalisation, legal, policy and institutional reforms involving coordinated efforts by all stakeholders in the system viz. members and management of cooperative credit institutions, State and Central Govts, NABARD, RBI etc. It was on the above background that the two-day National Conference on Revival of Rural Cooperative Credit Structure was jointly organized by the NCARDB Federation and Govt of Punjab.

The preparations for the Conference were made by an Organising Committee under the chairmanship of Capt. Kanwaljit Singh, Hon'ble Minister for Cooperation, Govt of Punjab with the able support of Dr. B.C. Gupta, Financial Commissioner (Coopn) and a a team of officers led by Dr. G. Vajralingam, Registrar of Cooperative Societies, Punjab and Senior Officers of Department of Cooperation and Chief Executive Officers and Senior Executives of Punjab State Cooperative Agricultural Development Bank and Punjab State Cooperative Bank as well as other state level apex cooperatives.

The opening ceremony of the Conference was held in the afternoon of 9th February 2009 at CII Hall, Chandigarh. Mr. Ivano Barberini, President, ICA inaugurated the Conference at a function presided over by Sardar Parkash Singh Badal, Hon'ble Chief Minister of Punjab. The business sessions of the Conference were held on 10th February 2009 at the Conference Hall of Hotel Mount View, Chandigarh. The business sessions consisted of plenary session in the forenoon, followed by panel discussions and valedictory session in the afternoon.

The Conference recognized the significant role of rural cooperative credit structure in making available investment and production credit in the rural sector especially to small and marginal farmers as well as other weaker sections. The Conference reviewed the legal and policy environment in which the institutions in the rural cooperative credit structure are functioning and also assessed the progress of

पुनर्जीवन के लिए चालू कार्यक्रमों और योजनाओं का भी मूल्यांकन किया गया। प्रस्तुतिकरण और बहस के दौरान सहकारिता मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के सहकारिता सचिवों और अन्य विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर संगोष्ठी ने संबंधित अधिकारियों के विचारार्थ निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

१. संगोष्ठी में सुझाया गया कि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रियों का एक स्थायी मंच बनाया जाए, जो कि ग्रामीण सहकारी कर्ज प्रणाली के साझे मुद्दों पर विचार करे और नीतिगत मसलों पर संबंधित राज्य और राष्ट्र स्तरीय अधिकारियों के साथ बातचीत करे। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि पंजाब के सहकारिता मंत्री इस मंच के संयोजक होंगे और एनसीएआरडीबी फेडेरशन इसे सचिविय सहायता उपलब्ध करवाएगा। (राज्य सरकारें, NCARDBF)

२. दीर्घावधि सहकारी कर्ज संरचना के पुनरुद्धार के लिए पिछले केन्द्रीय बजट (२००८–०९) में घोषित योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर संगोष्ठी में चिंता व्यक्त की गई। साथ ही केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया कि और अधिक विलम्ब किए बिना तय की गई योजना लागू करने के लिए राज्य सरकारों के पास भेजें। (भारत सरकार)

३. पूर्ण प्रलेखित राष्ट्रीय कृषि कर्ज़ नीति की जरूरत है, जिसमें कि ग्रामीण कर्ज प्रणाली में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिका परिभाषित हो। जोख़िम न्यूनीकरण और विभिन्न स्तरों पर वांछित न्यूनतम ब्याज हिस्सों जैसे महत्वपूर्ण मसले भी इसमें शामिल हों। (एमओए/एमओफ)

४. १९८२ में नाबार्ड का आदेश प्रारम्भ होने के बाद से अब तक इन २७ वर्षों के दौरान आए बड़े बदलावों के मद्देनजर इस पर फिर से दृष्टिपात करना जरूरी है। ग्रामीण सहकारी कर्ज संरचना के संदर्भ में नाबार्ड की नियामक और विकासात्मक भूमिकाएं और पुनर्वित्तीय प्रबंधन एवं सीधे वित्तीय प्रबंधन की भूमिकाएं आपस में टकराती हैं। इससे सहकारी संस्थाओं की विकास एजेंसी के तौर पर नाबार्ड की भूमिका भी कमजोर पड़ती है। (GOI)

५. पंजाब सरकार द्वारा आईसीए के तकनीकी सहयोग के साथ इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ को–ऑपरेटिव्स स्थापित करने के प्रस्ताव का संगोष्ठी में स्वागत किया गया और इसकी स्थापना के लिए नाबार्ड सहित सभी राष्ट्र स्तरीय सहकारी संघों से समर्थन मांगा गया। (पंजाब सरकार, आईसीए, सभी राष्ट्र स्तरीय सहकारी फेडेरशनऔर नाबार्ड)

६. दीर्घावधि सहकारी कर्ज संरचना को मजबूत करने और कानूनी, संस्थागत और नीतिगत सुधारों की प्रक्रिया तेज करने के लिए संगोष्ठी ने सभी राज्य सरकारों से राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने की सिफारिश की। (राज्य सरकारें)

७. एआरडीबी को संसाधन आधारित संस्थान और अपने सदस्यों की कर्ज और अन्य वित्तीय सेवाओं संबंधी जरूरतें

on-going programmes and schemes to revitalize and reform the structure. Based on the views expressed by Ministers for Cooperation and Secretaries of Cooperation from various States as well as experts and practitioners in rural credit during their presentations and discussions the Conference made the following recommendations for consideration of authorities concerned.

1. The Conference suggested facilitating a permanent Forum of Cooperation Ministers at the national level to consider common issues in the cooperative rural credit system and for advocacy with the concerned state and national level authorities on policy matters and resolved that Minister for Cooperation, Punjab shall act as the Convenor of this forum and NCARDB Federation shall provide secretarial support to it. (State Govts, NCARDBF)

2. The Conference expressed concern over the long delay in commencing the implementation of the revival scheme for long term cooperative credit structure which was announced in the last union budget (2008-09) and requested Government of India to circulate the finalized scheme to State Govts for implementation, without further delay. (GOI)

3. There is need for a well documented National Agricultural Credit Policy defining the role of various agencies involved in the rural credit system, covering critical issues such as risk mitigation and minimum required interest margins at various levels. (MoA/MoF)

4. There is a need to re-look into the mandate of NABARD in view of the drastic changes that have taken place in the environment of rural credit during the last 27 years since its inception in 1982. The regulatory and developmental roles of NABARD with regard to rural cooperative credit structure as well as its role of refinancing and direct financing are conflicting with each other, diluting its effectiveness as the developmental agency for cooperatives. (GOI)

5. The Conference welcomed the proposal to set up International Centre for Promotion and Development of Cooperatives by the Govt. of Punjab with technical support from ICA and sought support of all National Level Cooperative Federations as well as NABARD for its' establishment. (Govt. of Punjab, ICA, all National level Federations and NABARD)

6. The Conference recommended State Govts to set up State Level Task Force to strengthen the long term cooperative credit structure and to speed up the process of legal, institutional and policy reforms. (State Govts)

7. ARDBs need to be converted into fullfledged banks in order to make them resource based

पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें पूरी तरह बैंक में बदलना आवष्यक है। संगोष्ठी में आरबीआई से अनुरोध किया गया कि एआरडीबी को बैंक में बदलने के लिए पर्याप्त नियम विकसित किए जाएं। (MoF, RBI)

८. भारत सरकार सहकारी बैंकों को धारा ८० पी के तहत आयकर में छूट पुनः शुरू करने पर विचार कर सकती है, सरप्लस केवल सहकारी बैंकों की पर्याप्त पूंजी के नियम को पूरा करने के लिए हो। (MoF)

९. तीन लाख रुपए तक के फसली कर्ज़ की ब्याज दर १.४.२००६ से ७ प्रतिशत करने की भारत सरकार की नीति की प्रशंसा करते हुए संगोष्ठी में महसूस किया गया कि लघु और दीर्घ अवधि के कृषि कर्जों की ब्याज दर घटाकर ४ प्रतिशत करने की जरूरत है। फसली कर्जों पर केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान बढ़ाया जाना चाहिए और इसे दीर्घ अवधि कृषि कर्ज़ों तक भी बढ़ाया जा सकता है। (GOI, NABARD)

१०. कर्ज में बढ़ोतरी के अनुपात में उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए और निवेश कर्ज व फसल कर्ज में स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों की कृषि कर्ज़ नीतियों की समीक्षा की जानी जरूरी है। (MoA, MoF)

११. लघु अवधि कर्ज़ संरचना पुनरुद्धार पैकेज के तहत राज्य सहकारी समितियां कानून में प्रस्तावित संशोधनों को दीर्घ अवधि कर्ज़ संरचना पर भी लागू करने के बारे में राज्य सरकारें सोच सकती हैं, ताकि दीर्घ अवधि कर्ज़ संरचना पुनरुद्धार योजना को लागू करने के लिए फिर से वही कवायद न करनी पड़े। (State Govts)

१२. महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सहकारी ग्रामीण कर्ज़ संस्थानों में कर्ज़ के लिए एक विशेष पंक्ति उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को दिए जाने वाले कर्ज़ की दर ४ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। (GOI, NABARD)

१३. पीएसीएस और पीसीएआरडीबी के कर्मचारियों और निदेशकों को प्रशिक्षण देने के इंतजाम भी किए जाने चाहिए। (Cooperative Banks, NABARD, State Govts)

१४. एआरडीबी के लिए नाबार्ड की पुनर्वित्तीय प्रबंध नीति के संदर्भ में संगोष्ठी में निम्नलिखित सिफारिशें की गईं: (नाबार्ड)

- एआरडीबी को राशि देने के लिए ऋण पत्रों की बजाय कर्ज प्रणाली शुरू करनी चाहिए।
- वैद्यनाथन टास्क फोर्स की सिफारिशों में वर्णित रेटिंग के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुए नुकसान के चलते एसटी को एमटी में बदलने के लिए एआरडीबी और सहकारी बैंकों में सरकारी गारंटी को विस्थापित करना (पुनर्वित्तीय प्रबंध के मामले में)

institutions capable of meeting the credit and other financial services needs of their members. The Conference requested RBI to evolve appropriate norms for conversion of ARDBs into banks. (MoF, RBI)

8. GOI may consider restoring the income tax exemption to cooperative banks under section 80P as retaining the surpluses is the only means for cooperative banks to fulfill the capital adequacy norms. (MoF)

9. The Conference while welcoming the policy of GOI to extend crop loan upto Rs.3.00 lacs @ 7% interest with effect from 1.4.2006 felt that the rate of interest on agricultural credit for both short term and long term purposes needs to be brought down to the affordable rate of 4%. The interest subvention given by GOI for crop loans should be increased accordingly and the same may be extended to long term agricultural loans also. (GOI, NABARD)

10. The farm credit policies of Central and State Govts need to be reviewed so as to maintain a healthy balance between crop loan and investment credit in order to ensure enhanced productivity and production in proportion to the increase in credit flow. (MoA, MoF)

11. The State Govts may consider making the proposed amendments in the State Cooperative Societies Act under the revival package for short term credit structure applicable to long term credit structure as well to avoid carrying out the same exercise once again for implementing the revival scheme for long term credit structure. (State Govts)

12. A special line of credit may be extended to cooperative rural credit institutions to finance women entrepreneurs in rural areas at interest rates not exceeding 4% for ensuring economic self dependence of women. (GOI, NABARD)

13. Arrangements may be made to extend training to directors and staff of PACS and PCARDBs. (Cooperative Banks, NABARD, State Govts)

14. The Conference made the following recommendations with regard to the refinance policy of NABARD in respect of ARDBs. (NABARD)

    (i) Switch over to loan system instead of debentures for giving funds to ARDBs.

    (ii) Replacing government guarantee in case of both ARDBs and Cooperative Banks (in case of refinance for conversion of ST to MT due to damage to crop because of natural calamities with rating as recommended by Vaidyanathan Task Force.

- एआरडीबी को मंजूर पुनर्वित्तीय प्रबंध में राज्य और केन्द्र सरकार के हिस्से की आवश्यकताओं को देना।
- एआरडीबी को पुनर्वित्तीय सहायता देने के लिए वर्तमान में लागू उगाही संबंधी पात्रता नियमों को बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा २००८ में घोषित DWDR योजना के बाद कर्ज उगाही में आई भारी कमी को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- बैंकों द्वारा पहले से कम ब्याज दरों पर जारी कर्ज के पुनर्वित्तीय प्रबंधन पर संशोधित दरें लागू करने की प्रवृत्ति से छुटकारा देना।
- नाबार्ड द्वारा री फायनेंस पर वसूली जाने वाली ब्याज दर वर्तमान बाजार परिदृश्य में बहुत ज्यादा है। नाबार्ड को बाजार के अनुसार री फायनेंस पर वसूले जाने वाले ब्याज की दर कम करनी चाहिए।
- नाबार्ड के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के आबंटन में सहकारी बैंकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि यह संसाधन सीधे किसानों को उधार दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाणिज्यिक बैंकों को संसाधन देने का कोई लाभ नहीं क्योंकि अक्सर वे अपने संसाधनों से भी कृषि क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते।

१५. एससीबी और डीसीसीबी द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और खासकर आईओसी व अन्य तेल कंपनियों द्वारा स्वीकार करने से इनकार करना एक गम्भीर मसला है, जो कि बीआर कानून के प्रावधानों की सरासर अवज्ञा है। भारत सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस दिशा में तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि डीसीसीबी और एसएसीबी द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट यह कंपनियां स्वीकार करने शुरू कर दें। (GOI/RBI)

१६. भारत सरकार को यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के दूतावासों से बातचीत करनी चाहिए, ताकि पढ़ाई के लिए विदेष जाने वाले छात्रों को वीजा जारी करने के लिए सहकारी बैंकों में जमा राशि और इन बैंकों द्वारा जारी शिक्षा ऋण को वे छात्र की वित्तीय स्थिति का प्रमाण मानें। (GOI, RBI)

१७. वैद्यनाथन टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर एआरडीबी को आम जनता से पैसे जमा करवाने की अनुमति दी जानी चाहिए। (RBI, NABARD)

१८. संगोष्ठी में केन्द्र सरकार को सिफारिश की गई कि एआरडीबी में पैसे जमा करवाने वालों को भी आयकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह जमा राशि पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी निर्माण के लिए इस्तेमाल होती है। (MoF)

१९. सरकारी गारंटी देने में राज्य सरकारें एआरडीबी को प्राथमिकता दे सकती हैं। (राज्य सरकारें)

(iii) Dispensing with the requirement of State and Central Govt contributions in the refinance sanctioned to ARDBs.

(iv) The recovery linked eligibility norms for extending refinance to ARDBs, in force at present, needs to be revised taking into account the severe set-back to loan recovery in the aftermath of announcement of ADWDR Scheme 2008 by Government of India.

(v) Dispensing with the practice of applying revised interest rates to refinance against loans already issued by banks at lower interest rate.

(vi) The interest rate charged by NABARD on refinance for investment credit is quite high in the present market scenario. NABARD should reduce the rate of interest charged on its refinance in tune with the market trend.

(vii) Priority should be given to cooperative banks, in allocating the limited resources available with NABARD, as these resources are used for direct lending to farmers as against disbursements made to commercial banks which do not generally achieve the target for agricultural lending from their own resources.

15. Non acceptance of demand drafts issued by SCBs and DCCBs by public sector undertakings especially by IOC and other oil companies is a serious issue amounting to disregard to the provisions of BR Act. The Government of India/RBI may take required steps in this regard so that the DDs issued by DCCBs and SCBs are accepted by these companies. (GOI/RBI)

16. Government of India may take up with the Embassies of USA, Canada, Australia etc. so that the deposits with cooperative banks as well as education loans sanctioned by cooperative banks are also recognized by them as proof of financial standing of students going for studies in these countries for the purpose of issuing visa. (GOI, RBI)

17. ARDBs may be given permission to collect deposits from public based on the recommendations of Vaidyanathan Task Force. (RBI, NABARD)

18. The Conference recommended Central Govt to extend income tax incentives to the depositors of ARDBs as such deposits are entirely used for capital formation in rural sector. (MoF)

19. State Govts may give priority to ARDBs in issuing government guarantee. (State Govts)

२०. संगोष्ठी में राज्य सरकारों को सिफारिश की गई कि एआरडीबी से गारंटी फीस वसूलने की प्रवृत्ति को समीक्षा करके खत्म किया जाए, क्योंकि उनके द्वारा ली गई उधार पूरी तरह राज्य के कृषि व गैर कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए इस्तेमाल होती है, जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। (राज्य सरकारें)

२१. एआरडीबी को दी जाने वाली सरकारी गारंटियां एनसीडीसी से राशि प्राप्त करने के लिए भी दी जानी चाहिए। (राज्य सरकारें)

२२. जिन राज्यों में गिरवी पंजीकरण के लिए गहण प्रणाली लागू नहीं है, राज्य सरकारें वहां इसे लागू कर सकती हैं। (राज्य सरकारें)

२३. संरचना में सर्वोत्तम प्रवृत्तियों के आधार पर सरल कर्ज और कागजी कार्यवाही लागू करने के लिए राज्य सरकारें एआरडीबी को अनुमति दे सकती हैं। ;राज्य सरकारें – NCARDBF)

२४. तकलीफों के बावजूद समय पर कर्ज़ का भुगतान करने वाले किसान, जो कि । DWDR २००८ योजना के तहत किसी भी लाभ के अपात्र बन गए, उनके लिए भारत सरकार को पुनर्भुगतान से जुड़ी ब्याज प्रोत्साहन योजना और विषेष राहत पैकेज लाने चाहिए। (राज्य सरकारें)

IV. वर्ष २००७–०८ के दौरान सदस्य बैंकों के कार्य अभियान

क. २००७–०८ के दौरान एससीएआरडीबी के उधार

वर्ष २००७–०८ के दौरान, १९ एससीएआरडीबी और आन्ध्र प्रदेश एससीबी द्वारा पिछले वर्ष के २७०३.३८ करोड़ की तुलना में कुल २३७६.८८ करोड़ रू० की औसत धनराशि उधार ली गई जिससे इसमें ३२६.५० करोड़ रू० अर्थात १३.७ प्रतिशत की कमी आई। एससीएआरडीबी द्वारा ली गई कुल धनराशि में से नाबार्ड के पुनर्वित्त का हिस्सा १९३३.६६ करोड़ रू० रहा जो पिछले वर्ष के ८४ प्रतिशत की तुलना में ली गई कुल धनराशि का ८१.३५ प्रतिशत था। जहां पंजाब (९१.५ प्रतिशत), पं०बंगाल (३७.२ प्रतिशत) और केरल (०.४ प्रतिशत) ने ज्यादा संसाधनों का इस्तेमाल किया, वहीं कर्नाटक (५८ प्रतिशत), गुजरात (४९.७ प्रतिशत), हरियाणा (२६.२ प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (७.३ प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (५.५ प्रतिशत) के मामलों में इसमें काफी कमी आई। हालांकि एनसीडीसी ने अल्पावधि उदेश्यों हेतु वित्तीय सहायता के लिए ए लाइन ऑफ क्रेडिट की शुरूआत की है लेकिन अपवाद के तौर पर केरल एससीएआरडीबी के अलावा, किसी भी अन्य एससीएआरडीबी ने अपने संसाधनों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया। (देखें सारणी १)

20. The Conference recommended the State Govts to review and dispense with the practice of charging of guarantee fee from ARDBs as their borrowings are completely used for investments in the farm and non farm sectors in the State with high employment potential. (State Govts)

21. The government guarantee given to ARDBs needs to be extended for drawing funds from NCDC also. (State Govts)

22. State Govts may implement Gehan system of mortgage registration in all States wherever it is not implemented. (State Govts)

23. State Govts may issue permission to ARDBs to implement a simplified loan and documentation procedure based on best practices in the structure. (State Govts, NCARDBF)

24. Govt of India may bring in repayment linked interest incentive schemes and special relief packages for farmers who repaid loans in spite of distress and became ineligible for any kind of relief under the ADWDR Scheme 2008. (State Govts)

IV. REVIEW OF MEMBER BANKS' OPERATIONS DURING 2008-09

A. Borrowings of SCARDBs during 2008-09

The aggregate borrowings raised by 19 SCARDBs during 2008-09 amounted to Rs. 2343.19 crores, as against Rs. 2764.45 crores during the previous year resulting in decrease by Rs. 421.26 crores i.e. by 15.2%. The share of NABARD refinance in the total amount raised by SCARDBs amounted to Rs. 1954.76 crores which formed 83.4% of the total amount raised as against 84% in the previous year. While Haryana (54%) and Tamil Nadu (100%) raised more resources, there was substantial decrease in the case of Gujarat (92%), Madhya Pradesh (66%), Karnataka (49%) and Punjab (33%). Though NCDC has opened a line of credit for financing short term purposes, with the exception of Kerala, Gujarat, Tamil Nadu and West Bengal SCARDBs, none of the other SCARDBs have taken advantage of this facility to enhance their resource mobilization (refer table 1).

३१ मार्च, २००८ को २० एससीएआरडीबी (जिसमें एपी एससीबी अर्थात १९१ शामिल है) का बकाया उधार पिछले वर्ष के १८३१८.७९ करोड़ रू० की तुलना में १५७०२.३५ करोड़ रू० था, जिसके फलस्वरूप १४.३ प्रतिशत (२६१६.४४ करोड़ रू०) की कमी दर्ज की गई। जहां ज्यादातर एससीएआरडीबी के संबंध में ऋणों की बकाया धनराशि में कमी हुई वहीं पंजाब (१०.१ प्रतिशत), कर्नाटक (९.४ प्रतिशत) और राजस्थान (०.२७ प्रतिशत) के संदर्भ में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। आन्ध्र प्रदेश सीओबी के बकाया ऋणों में (४५१ करोड़ रू०) काफी कमी आई। (देखें सारणी २)

ख. जमा राशि प्रचालन

कुल १९ एससीएआरडीबी में से सिर्फ ७ एससीएआरडीबी (गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पांडिचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश) ने प्रचालन जमा राशियों के प्रचालन द्वारा संसाधन जुटाए। पिछले वर्ष के दौरान १२ एससीएआरडीबी द्वारा प्रचालित १८६.०६ करोड़ रू० की तुलना में वर्ष २००७–०८ के दौरान, इन बैंकों द्वारा कुल २०२.६१ करोड़ रू० की जमा राशियों का प्रचालन किया गया। उत्तर प्रदेश एससीएआरडीबी ने (वर्ष २००६–०७ के १.४४ करोड़ रू० की तुलना में २००७–०८ में २२ करोड़ रू०) जमा प्रचालन में सर्वाधिक वश्द्धि दर्ज की। ३१ मार्च, २००७ के ४५४.४० करोड़ रू० की तुलना में ३१ मार्च, २००८ को कुल बकाया जमा राशियां ४०९.६५ करोड़ रू० थीं। (देखें सारणी ३)

✗ २००७–०८ के दौरान एससीएआरडीबी द्वारा दिये गये ऋण

आन्ध्र प्रदेश एससीबी सहित एससीएआरडीबी द्वारा दिये गये अग्रिमों की कुल धनराशि पिछले वर्ष के २५८४.७७ करोड़ रू. के मुकाबले २००७–०८ के दौरान २०२५.७१ करोड़ रू० थी। परिणामस्वरूप कुल ५५९.०६ करोड़ रू० की ध नराशि की कमी हुई जो पिछले वर्ष के मुकाबले २१.६ प्रतिशत रही। आन्ध्र प्रदेश एससीबी (४८ प्रतिशत), पंजाब (२६.४ प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (२०.७ प्रतिशत), कर्नाटक (१६ प्रतिशत), राजस्थान (१४ प्रतिशत) और केरल एससीएआरडीबी (८ प्रतिशत) द्वारा ऋण देने में काफी कमी आई। गुजरात, मध्य प्रदेश और पं. बंगाल एससीएआरडीबी के संदर्भ में ऋण देने के मामले में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। ऋण देने में कमी की मुख्य वजह आन्ध्र प्रदेश एससीबी और उत्तर प्रदेश एससीएआरडीबी द्वारा पुनवित्त प्राप्त करने की सीमित पात्रता ही रही। संयोग से, हरियाणा एससीएआरडीबी अपने खातों के विवरणों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण वर्ष २००७–०८ के लिए ऋण देने संबंधी आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर पाया है। इसी प्रकार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा एससीएआरडीबी भी खातों को अंतिम रूप दिये जाने में देरी के कारण आंकड़ें प्रस्तुत नहीं कर पाए। अंतिम रूप से ऋण

The Borrowing Outstandings of 19 SCARDBs as on 31 March 2009 amounted to Rs. 12019.50 crores against Rs. 15789.30 crores in the previous year registering a decrease of 24% (Rs. 3769.80 crores). While there was decrease in the loans outstanding in respect of most of the SCARDBs, it increased in respect of Haryana (2.5%), Karnataka (12.6%) and Kerala (0.45%). The substantial decrease in loans outstanding was in respect of Punjab SCARDB (1715.28 crores) (refer table 2)

B. Deposit Mobilisation

Of the 19 SCARDBs, only 8 SCARDBs, raised resources by mobilizing deposits (Assam, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Pondicherry, Punjab, Uttar Pradesh and West Bengal). The total deposits mobilized by these banks amounted Rs. 132.47crores during 2008-09 as against Rs. 231.48 crores mobilized by 8 SCARDBs during the last year. Gujarat SCARDB accounted for most of the increase in the deposit mobilization (Rs. 81.19 crores in 2008-09 as against Rs. 34.91 crores in 2007-08). The outstanding deposits as on 31 March 2009 amounted to Rs. 396.16 crores as against Rs. 401.79 crores as on 31 March 2008 (refer Table 3).

C. Loans advanced by SCARDBs during 2008-09

The total amount advanced by SCARDBs during 2008-09 amounted to Rs.2494.45 crores as against Rs. 2021.10 crores advanced during the previous year. The resultant increase amounted to Rs. 473.35 crores which formed 23% over the previous year. The increase in lending was accounted for by, Punjab (27%), Haryana (25%) and Uttar Pradesh (25%). The decrease in lending was noticed in respect of Gujarat (28%) and Karnataka (16%) SCARDBs. The main reason for decrease in lending was on account of restricted eligibility as well as non receipt of State Govt. guarantees for drawal from NABARD. Incidentally 7 SCARDBs (Bihar, Chattisgarh, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu and Tripura have not furnished the data on lending for the year 2008-09.The outstanding loans as on 31 March 2009 at Ultimate Borrowers level stood at Rs. 10184.77 crores as against Rs. 17271.74 crores as on 31 March 2008 registering a decline of Rs. 7086.97 crores which amounted to

लेने वालों के स्तर पर ३१ मार्च, २००८ को बकाया ऋण ११८७६.८९ करोड़ रू० थे जो ३१ मार्च, २००७ को १९८४९.३१ करोड़ रू० था। इस तरह से इस वर्ष ७९७२.४२ करोड़ रू० की कमी दर्ज की गई है जो पिछले वर्ष के मुकाबले ४०.२ प्रतिशत थी। २१५.५८ करोड़ रू० (७.६ प्रतिशत) की सर्वाधिक कमी आन्ध्र प्रदेश एससीबी के संदर्भ में दर्ज की गई। आठ एससीएआरडीबी अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल एससीएआरडीबी ३१ मार्च, २००८ को बकाया ऋण आंकड़ें प्रस्तुत नहीं कर पायीं। (देखें सारणी ४)

घ. २००७—०८ के दौरान एससीएआरडीबी का वित्तीय निष्पादन

कुल १९ एससीएआरडीबी में से १२ एससीएआरडीबी अर्थात हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पं. बंगाल ने वर्ष २००७—०८ के लिए लाभ—हानि खाते के संदर्भ में आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। असम, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब एससीएआरडीबी ने वर्ष २००७—०८ के लिए लाभ दर्शाया है जबकि बिहार, छत्तीसगढ़ और पांडिचेरी एससीएआरडीबी ने वर्ष २००७—०८ के लिए हानि का विवरण दिया है। पिछले वर्ष २००६—०७ के दौरान, १९ एससीएआरडीबी में से, ९ एससीएआरडीबी (गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल) लाभ में रहे। (देखें सारणी ५)

च. वसूली निष्पादन

चूंकि वसूली निष्पादन का मूल्यांकन ३० जून को किया जाता है, ३० जून, २००८ के आंकड़े पीसीएआरडीबी स्तर पर प्रत्येक वर्ष जुलाई—अगस्त तक ही उपलब्ध होंगे। इसलिए निष्पादन का मूल्याकंन ३० जून, २००७ और ३० जून, २००६ को किया जाता है। अंतिम रूप से ऋण लेने वालों के स्तर पर कुल वसूलियां ३० जून, २००६ के ४३.३१ प्रतिशत के मुकाबले ३० जून, २००७ को ४५.१७ प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ लगभग समान स्तर पर ही रहीं। चार एससीएआरडीबी यानि असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ने ३० जून, २००७ के मुताबिक आंकड़ों का विवरण नही दिया है। हरियाणा, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश एससीएआरडीबी के बीच २००६—०७ के दौरान वसूलियों में (१० प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि) महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गयी जबकि जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एससीएआरडीबी के बीच इतना ही ह्रास दर्ज किया गया। (देखें सारणी ६)

41% over the previous year. The main decrease was in respect of Tamil Nadu and Rajasthan SCARDB. Seven SCARDBs, Viz. Bihar, Chattisgarh, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Tripura, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have not furnished the loan outstanding data as on 31 March 2009 (refer table 4)

D. Financial performance of SCARDBs during 2008-09

Of the 19 SCARDBS, 11 SCARDBs viz., Bihar, Chattisgarh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh have not furnished the data in respect of Profit and Loss Account for the year 2008-09. The Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Pondicherry, Punjab and West Bengal SCARDBs have reported profit for the year 2008-09 whereas Assam SCARDB has reported losses for the year 2008-09. During the previous year 2007-08 , of the 19 SCARDBs, 8 SCARDBs (Gujarat, Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and West Bengal) were in profit (refer Table No 5).

E. Recovery Performance

As the recovery performance is assessed as on 30th June, the data as on 30th June 2009 will be available only by August / September every year at PCARDB level. Hence, the performance is assessed on 30 June 2008 vis-à-vis 30 June 2007. Aggregate recoveries at the Ultimate Borrowers' level deteriorated to 44.6% as on 30.06.08 from 47.7% as on 30.06.07. Four SCARDBs viz. Bihar, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir and Tripura have not reported the data as on 30 June 2008. Substantial decrease in recoveries during 2007-08 were noticed among Gujarat , Haryana, Karnataka, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh SCARDBs whereas the same improved among Himachal Pradesh, Kerala and Maharashtra SCARDBs (refer Table 6).

गैर–निष्पादित परिसम्पत्तियों के मामले में, १९ में से १० एससीएआरडीबी (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पं० बंगाल) ने ३१ मार्च, २००८ को आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये क्योंकि उन्होंने परिसम्पत्तियों को वर्गीकृत नहीं किया है, संभवत: इस मामले में लेखा परीक्षकों के प्रमाणपत्र की आवश्यकता के कारण। शेष ९ एससीएआरडीबी के एनपीए की धनराशि ३१ मार्च, २००८ को १०५६.८९ करोड़ थी जो बकाया ऋणों की कुल धनराशि ६४३६.७० करोड़ का १६.४२ प्रतिशत है। पिछले वर्ष ३१ मार्च, २००७ को १९ एससीएआरडीबी से संबंधित कुल बकाया ऋणों का यह ३२.५६ प्रतिशत थी। (देखें सारणी ७) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, २००८ के कार्यान्वयन के कारण, ३० जून, २००८ के अनुसार डीसीबी और ३१ मार्च, २००९ के अनुसार एनपीए में काफी बदलाव किये जाएंगे।

छ. सामान्य जानकारी

३१ मार्च, २००८ को १९ एससीएआरडीबी थे जिनमें से ७ का ऐकिक ढांचा (शाखाएं) और १२ एससीएआरडीबी का संघीय ढांचा (पीसीएआरडीबी) हैं। १२ एससीएआरडीबी में से २ एससीएआरडीबी जैसे हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल का मिश्रित (शाखाएं और पीसीएआरडीबी) ढांचा हैं। ऐकिक ढांचे की कुल ७३५ शाखाएं थीं (हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं)। संघीय ढांचे में ६५० पीसीएआरडीबी थीं (हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने अपने आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये थे)। ३१ मार्च, २००८ को पीसीएआरडीबी शाखाओं की संख्या १०७६ थी। ८ एससीएआरडीबी की कुल सदस्यता (छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पं०बंगाल एससीएआरडीबी से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं) ९३.७६ लाख थी जिनमें ३१ मार्च, २००८ को ऋण लेने वाले सदस्य ६६.७१ लाख थे। ३१ मार्च, २००८ को सात एससीएआरडीबी का चयनित बोर्ड था, जबकि १० एससीएआरडीबी का चयनित बोर्ड नहीं था (हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं)। पीसीएआरडीबी के संदर्भ में, ६५० पीसीएआरडीबी में से सिर्फ ३४४ ने बोर्ड का चयन किया था (हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पं०बंगाल से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं) (देखें सारणी ८) इस संदर्भ में, संक्षिप्त आंकड़े नीचे दिये गये हैं–

As regards Non-performing Assets, out of 19 SCARDBs, 8 SCARDBs (Bihar, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal) have not furnished the data as on 31 March 2009 as they have not classified the assets, probably for want of auditors certificate in that respect. The NPAs of remaining 11 SCARDBs amounted to Rs. 1757.28 crores as on 31 March 2009 which formed 18.9 % of the loans outstanding at Rs. 9297.15 crores. In the previous year as on 31 March 2008, it formed 35.3% of total loans outstanding in respect of 13 SCARDBs (refer table 7).

F. General Information

As on 31 March 2009, there were 19 SCARDBs, of which 7 are having unitary structure(branches) (Assam , Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Pondicherry, Tripura and Uttar Pradesh) and 12 SCARDBs are having federal Structure(PCARDBs). Of the 12 SCARDBs, two SCARDBs viz. Himachal Pradesh and West Bengal are having mixed structure (branches & PCARDBs). The unitary structure had 590 branches(no data from Bihar, Jammu and Kashmir and Tripura). The Federal structure had 655 PCARDBs(Chattisgarh, Himachal Pradesh, Maharashtra had not submitted data). The number of PCARDBs branches as on 31 March 2009 was 768 (no data from chattisgarh, Himachal Pradesh, Maharashtra , Punjab & Orissa). The total membership of 8 SCARDBs(No data from Chattisgarh, Bihar, Jammu & Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh) were at 38.02 lakhs, of which the borrowing members were 24.26 lakhs as on 31 March 2009. Nine SCARDBs had elected board as on 31 March 2009, while 4 SCARDBs (Orissa, Tamil Nadu, Rajasthan & Uttar Pradesh did not have an elected board(no data from Bihar, Chattisgarh, Jammu &Kashmir, Madhya Pradesh, Maharahstra and Tripura). As regards PCARDBs, only 353 PCARDBs had elected board out of 655(no data from Chattisgarh, Madhya Pradesh, Maharshtra and Tripura).(refere table 8). The data in brief in this regard is as under:-

सं.	विवरण	२००८–०९	२००७–०८	टिप्पणी
०१	एससीएआरडीबी की संख्या(संघीय)	१२	१२	
०२	एससीएआरडीबी की संख्या(ऐकिक)	७	७	
०३	एससीएआरडीबी शाखाओं कीसंख्या (ऐकिक)	५९०	७३५	बिहार, जम्मू–कश्मीर व त्रिपुरा से कोई आंकड़े नहीं
०४	पीसीएआरडीबी की संख्या(संघीय)	६५५	६५०	छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश व महाराष्ट्र से कोई आंकड़े नहीं
०५	पीसीएआरडीबी शाखाओंकी संख्या (संघीय)	७६८	१०७६	छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व पंजाब से कोई आंकड़े नहीं
०६	कुल सदस्यता (लाख में)	३८.०२	१४३.१८	बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश से कोई आंकड़ें नहीं
०७	मद ६ के, ऋण लेने वाले सदस्य (लाख में)	२४.२६	९५.१६	बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश से कोई आंकड़ें नहीं
०८	चयनित बोर्डो वालेएससीएआरडीबी की संख्या	९	७	बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा और एससीएआरडीबी से कोई आंकड़ें नहीं

No.	Particulars	2008-09	2007-08	Remarks
1	Number of SCARDBs (Federal)	12	12	
2	Number of SCARDBs (unitary	7	7	
3	Number of Branches of SCARDBs (unitary)	590	735	No data from Bihar, Jammu& Kashmir and Tripura
4	Number of PCARDBs (Federal)	655	650	No data from Chattisgarh, Himachal Pradesh andMaharashtra .
5	Number of Branches of PCARDBs (federal)	768	1076	No data from Chattisgarh,Himachal Pradesh,Maharashtra, Orissa, and Punjab
6	Total Membership (in lakhs)	38.02	143.18	No data from Bihar,Chattisgarh, Jammu& Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh
7	Of item 6, Borrowing members(in lakhs)	24.26	95.16	No data from Bihar,Chattisgarh, Jammu& Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura and Uttar Pradesh
8	Number of SCARDBs havingElected board	9	7	No data from Bihar, Chattisgarh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Tripura SCARDB

सं.	विवरण	२००८–०९	२००७–०८	टिप्पणी
०९	चयनित बोर्डो वालेपीसीएआरडीबी की संख्या	३५३	३४४	छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा से कोई आंकड़े नहीं
१०	एससीएआरडीबी में कर्मचारी(संख्या)	६१७६	७६२८	बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और त्रिपुरा से कोई आंकड़े नहीं
११	पीसीएआरडीबी में कर्मचारी (संख्या)	५१०२	७९६८	छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से कोई आंकड़े नहीं

V. आयोजना, अनुसंधान और विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ के गतिविधि कार्यक्रम

फेडरेशन में आयोजना अनुसंधान और विकास (पीआरडी) प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष १९७३ में की गई ताकि कशषि मंत्रालय, भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त वित्तीय सहायता से विशिष्ट अनुसंधान और विकास गतिविधि ायां प्रारंभ की जा सकें। पीआरडी प्रकोष्ठ ने चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां प्रारंभ की हैं।

(अ) सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशाला

½ ऋण माफी योजना और दीर्घावधि कर्ज संरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज पर सम्मेलन

SCARDBs के मुख्य कार्यकारियों और वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए ऋण माफी योजना और दीर्घावधि कर्जसंरचना के लिए पुनरुद्धार पैकेज पर सम्मेलन ११–१२ अप्रैल, २००८ को गुजरात के दिव में आयोजित हुई थी।

संगोष्ठी में महसूस किया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा क्वॅक्त योजना की घोषणा से कृषि ऋणों की वसूली को भारी झटका लगा है। समय पर भुगतान करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए संगोष्ठी में केन्द्र और राज्य सरकारों से ब्याज में छूट आधारित योजना लागू करने की सिफारिश की। सम्मेलन में यह मजबूती से महसूस किया गया कि दीर्घावधि कर्ज संरचना को निवेष कर्ज़ पर ध्यान केन्द्रित रखते हुए अपने निवेश कर्ज उधार लेने वालों की लघु अवधि कर्ज आवश्यकताओं

No.	Particulars	2008-09	2007-08	Remarks
9	Number of PCARDBS having elected board	353	344	No data from chattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Tripura
10	Staff in SCARDBs (Number)	6176	7628	No data from Bihar, Chattisgarh, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra and Tripura
11	Staff in PCARDBs (Number)	5102	7968	No data from Chattisgarh, Himachal Pradesh, Kerala, Maharashtra, Madhya Pradesh, Rajasthan and Tripura

V. PROGRAMME OF ACTIVITES OF THE PLANNING, RESEARCH AND DEVELOPMENT (PRD) CELL

The Planning, Research and Development (PRD) Cell was established in 1973 in the Federation to undertake specific research and development activities with financial support by way of grant-in-aid from the Ministry of Agriculture, Government of India. The PRD Cell has undertaken the following activities during the current year.

(A) Conferences / Seminars /Workshops

1) Conference on Debt Waiver Scheme and Revival Package for Long-term Credit Structure

The Conference on Debt Waiver Scheme and Revival Package for Long-term Credit Structure was held on 11-12 April 2008 at Diu, Gujarat, for Chief Executives and Senior Executives of SCARDBs.

The Conference observed that the announcement of ADWDR Scheme by the Govt has resulted in severe set back to recovery of agricultural loans. The Conference recommended Govt of India and State Govts to implement interest rebate scheme to reward prompt repayers. The Conference strongly felt that the Long term cooperative credit structure while retaining its focus on investment credit also

को भी पूरा करे, जैसा कि विद्यनाथन टास्क फोर्स की सिफारिष है। साथ ही वित्त मंत्रालय से आग्रह किया गया कि कृषि कर्ज देने के लिए एआरडीबी पर लगी पाबंदियां हटा ली जाएं, जैसा कि ड्राफ्ट योजना में भी वर्णित है।

२. एससीएआरबीडी SCARDB के मुख्य कार्यकारियों और वित्त प्रबंधकों की सम्मेलन

एससीएआरबीडी SCARDB के मुख्य कार्यकारियों और वित्त प्रबंधकों के लिए यह संगोष्ठी २९–३० सितंबर, २००८ को पुणे स्थित VAMNICOM में आयोजित हुई। इसमें कर्ज उगाही के ज्वलंत मुद्दे और सदस्य बैंकों के समक्ष मौजूद रिसोर्स मोबिलाइजेषन पर विमर्श किया गया। साथ ही एआरडीबी के संसाधनों में बढ़ोतरी और उगाही को सुधारने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन की सिफारिशें चैप्टर ए में दी गई हैं।

३. ग्रामीण सहकारी कर्ज संरचना का पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय सम्मेलन

ग्रामीण सहकारी कर्ज संरचना का पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ९–१० फरवरी, २००९ को चंडीगढ़ में किया गया। इसका आयोजन पंजाब सरकार और पंजाब SCADB के संरक्षण में हुआ था। इस सम्मेलन में ६५ प्रतिभागी उपस्थित हुए, जिनमें सहकारिता मंत्री, सहकारिता सचिव, जीओआई, एनसीडीसी, एनसीयूआई, नाबार्ड, आरबीआई आदि के प्रतिनिधि और सदस्य बैंकों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी शामिल थे।

सम्मेलन का उद्धाटन अंतराश्ट्रीय सहकारी गठबंधन, जेनेवा के अध्यक्ष, श्री आइवानो बारबेरिनी और अतिथि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल द्वारा किया गया।

सम्मेलन की संगोष्ठी सत्र में ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचा के लिये पुररुद्धार योजनाओं के प्रमुख पहलुओं पर पैनल चर्चा, अंतराष्ट्रीय और दीर्घ कालिक सहकारी ऋण ढांचा के कार्यरूप का ढांचा, माननीय सहाकरिता मंत्री की टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया।

सम्मेलन में सम्मिलित की गई सिफारिशों की एक विषेष विस्तश्त रिपोर्ट को अध्याया दो में पूरा किया गया।

(बी) प्रदर्शित/अध्ययन हेतु दौरे

१) केरल के लिये दौरा

केरल के लिये एक्सपोजर दौरा ३१ दिसम्बर २००८ से ४ जनवरी २००९ तक डॉ. बी सी गुप्ता, वित्त आयुक्त (सहकारी) की अगुआई में एस.सी.ए.आर.डी.बी. पंजाब की उच्च स्तरीय टीम द्वारा किया गया।

to meet the short term credit needs of their investment credit borrowers as recommended by VTF and requested Ministry of Finance to remove the restrictions in giving crop loans by ARDBs, mentioned in the Draft Scheme.

2) Conference of CEOs and Finance Managers of SCARDBs

The Conference of CEOs and Finance Managers of SCARDBs was held on 29-30 September 2008 at VAMNICOM, Pune for Chief Executive Officers and Finance Managers of SCARBDs. The Conference deliberated on current issues in loan recovery and resource mobilization faced by member banks and also strategies to improve recovery and augment own resources of ARDBs. Recommendations of the Conference are furnished in Chapter II.

3) National Conference on Revival of Rural Cooperative Credit Structure

The National Conference on Revival of Rural Cooperative Credit Structure was held on 9-10 February 2009 at Chandigarh, Punjab with the collaborative support and patronage of Govt. of Punjab and Punjab SCADB. The Conference was attended by 65 participants consisting of Ministers of Cooperation, Secretaries of Cooperation, representatives of GOI, NCDC, NCUI, NABARD, RBI etc. as well as Chairmen and Chief Executives of member banks.

The Conference was inaugurated by Mr. Ivano Barberini, President, International Cooperative Alliance, Geneva and Guest of Honour Shri Pawan Kumar Bansal, Hon'ble Minister of State for Finance, Govt. of India.

The seminar sessions of the Conference included panel discussions on salient aspects of Revival Schemes for Rural Cooperative Credit Structure, Institutional and Functional Restructuring of Long Term Cooperative Credit Structure, comments by Hon'ble Ministers of Cooperation.

A detailed report on the Conference including recommendations are furnished in Chapter II.

(B) EXPOSURE/STUDY VISITS

1) Exposure Visit to Kerala

Exposure visit to Kerala undertaken by high level team from Punjab SCADB led by Dr. B.C. Gupta, Financial Commissioner (Coopn.) from 31st December 2008 to 4th January 2009.

अध्ययन टीम ने केरल पी.सी.ए.आर.डी.बी. द्वारा प्रस्तुत नवीन ऋण कार्यक्रमों के विवरणों को अध्ययन किया।

२) वित्तीय साझा देयता समूह (जे एल जी) पर अध्ययन

वित्तीय साझा देयता समूह (जे एल जी) पर अध्ययन २५ – ३१ जनवरी २००९ के मध्य इरिनजालसकुडा पी.सी.ए. आर.डी.बी. (केरल राज्य) में वरिश्ठ सलाहाकार, एन.सी.ए.आर.डी.बी फेडेरशन द्वारा किया गया।

इरिनजालाकुडा पी.सी.ए.आर.डी.बी., इरिनजालाकुडा (केरल राज्य) के ढांचे में एक मात्र पी.सी.ए.आर.डी.बी. हैं, जो जे एल जी के माध्यम से छोटे ग्रामीण ऋण लेने वालों को वित्तीयन कर रहा है। इस बैंक ने पहली बार जून २००४ में इस प्रकार के वित्तीयन आरम्भ किया। चूंकि पी.सी.ए.आर.डी.बी. सफलता पूर्वक जे एल समूह को वित्तीय सहायता दे सकती थी, फेडेरषन ने योजना की स्थल पर अध्ययन करने का निर्णय लिया ताकि देश भर में इस प्रकार के वित्तीय नमूने लेने हेतु अन्य एस.सी.ए.आर.डी.बी./ पी.सी.ए.आर.डी.बी. यों को सुविधा हो सके।

(ख) प्रकाशन

(क) एआरडीबी की मासिक प्रगति रिपोर्ट फेडरेशन प्रमुख प्रचालानात्मक क्षेत्रों के संबंध में मासिक आधार पर आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है ताकि बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की जा सके तथा भारत सरकार, योजना आयोग आदि को क्रेडिट फ्लो तथा अन्य संबंधित पक्षों के संबंध में जानकारी दी जा सके। वर्ष २००८–०९ के दौरान ११ समेकित मासिक रिपोर्टें प्रकाशित की गईं।

(ख) एआरडीबी (२००७–०८) की सांख्यिकीय हैंडबुक सांख्यिकीय हैंडबुक, जो वार्षिक प्रकाशन है, में एआरडीबी से संबंधित प्रचालानात्मक और वित्तीय आंकड़ों का शीघ्र संकलन किया जाता है और इसे वित्त वर्ष समाप्त होने के ६ से ८ माह के भीतर प्रकाशित किया जाता है।

(ग) वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन में लेखा परीक्षित वित्तीय स्थिति, एससीएआरडीबी से जुड़े संरचनात्मक पक्ष और प्रचालनात्मक ब्यौरे तथा एससीएआरडीबी से संबंधितं पीएडीबी के बारे में विस्तश्त सूचनाएं होती हैं। वर्ष २००५–०६ से संबंधित वार्षिक सांख्यिकीय बुलेटिन वर्ष के दौरान आ गई थी और २००६–०७ की सांख्यिकीय बुलेटिन मुद्रणाधीन है। सांख्यिकी बुलेटिन अब संदर्भ के उद्देश्य से कांपैक्ट डेस्क (सीडी) के रूप में आ रही है। वर्ष २००७–०८ का डेटा संयोजन प्रगति पर है।

(घ) <u>लैंड बैंक पत्रिका का प्रकाशन</u> लैंड बैंक पत्रिका, ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में फेडरेशन के सबसे पुराने प्रकाशनों

The study team studied the details of innovative lending programmes introduced by Kerala SCARDB.

2) Study on Financing Joint Liability Group(JLG)

The study on Financing Joint Liability Group was undertaken by Senior Consultant, NCARDB Federation, from 25th – 31st January 2009 at Irinjalakuda PCARDB (Kerala State).

The Irinjalakuda PCARDB, Irinjalakuda (Kerala State) is the only PCARDB in LT structure, which is financing small rural borrowers through JLG. This bank first commenced this type of financing in June 2004. As the PCARDB could successfully finance the JLGroup, NCARDB Federation decided to make an on-the-spot study of the scheme so as to facilitate other SCARDBs/PCARDBs across the country to take up such financing model.

(C) Publications

(a) Monthly Progress Report of ARDBs The Federation compiles and publishes data relating to key operational areas on a monthly basis to review the working of banks and to furnish information on credit flow and other related aspects to Govt. of India, Planning Commission etc. 11 consolidated monthly reports were brought out during the year 2008-09.

(b) Statistical Handbook of ARDBs (2007-08) Statistical Handbook, which is an annual publication, incorporates a quick compilation of operational and financial data relating to ARDBs, which is usually brought out within 6 to 8 months of the close of financial year.

(c) Annual Statistical Bulletin contains comprehensive information about the audited financial position, structural aspects and operational details relating to SCARDBs as well as PADBs affiliated to SCARDBs. The Bulletin for the year 2005-06 was brought out during the year and the bulletin for the year 2006-07 is under print. The Statistical Bulletins are now brought out in a Compact Disc (CD) for reference purposes. The compilation of data for 2007-08 is in progress.

(d) Publication of Land Bank Journal : The Land Bank Journal is one of the oldest publications of

में से एक है जिसे फेडरेशन द्वारा त्रैमासिक आधार पर पिछले ४७ वर्षों से प्रकाशित किया जा रहा है। इस पत्रिका में कशषि और ग्रामीण कर्ज, सहयोग आदि से जुड़े शोध लेख तथा सफलता की कहानियों के साथ इसमें कशषि तथा इस सेक्टर से जुड़ी अन्य गतिविधियों तथा सामान्य रूचि से जुड़े ग्रामीण कर्ज से संबंधित समाचार और रिपोर्टें भी प्रकाशित की जाती हैं। वर्ष के दौरान, २ त्रैमासिक अंक **(जून २००८ से सितम्बर २००८ तक)** प्रकाशित किए गए हैं तथा दिसम्बर २००८ अंक मुद्रणाधीन है।

(घ) सदस्य बैंकों को कम्प्यूटर सेवाएं

१ डेटाबेस तथा अन्य सूचनाओं की पहुंच।

२ जमा सूचनाएं।

३ सामान्य साफ्टवेयर का विकास।

४ वेबसाइट का स्तरोन्नयन तथा समय–समय पर अद्यतन करना।

५ सदस्य बैंकों में कम्प्यूटरीकश्त डेटा बैंक तथा एमआईएम की स्थापना करने में परामर्शी सेवाएं।

the Federation in rural finance, which is published by the Federation on quarterly basis for the last 47 years. The Journal apart from publishing research articles and success stories relating to agriculture and rural credit, cooperation, etc., is also covering news and reports on agriculture and other related activities in the sector as also on general areas of interest relating rural credit. During the year, 2 quarterly issues (June 2008 to September 2008) have been published and the December 2008 issue is under print.

(D) Computer Services to member banks

i) Access of database and other information.

ii) Credit information.

iii) Development of common software.

iv) Website up gradation and periodical updating.

v) Consultancy services in setting up computerized data bank and MIS in member banks.

VI. f S k o j R

वर्ष २००८–०९ के लेखा परीक्षित खातों की परिसम्पत्तियों और देयताओं तथा आय एवं व्यय की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है:

v i a , k r ; s

dz- la-	rsjrqyk	Rd		dz- la-	rsjrqyk	Rd	
		31-3-09	31-3-08			31-3-09	31-3-08
१	आरक्षित निधि और अन्य निधियां	९७२.२०	९१९.९६	१	न्कद और बैंक जमा	१७.३५	१४.०३
२	सुरक्षित ऋण	२३५.३९	३३३.७७	२	निवेश	१३६६.६३	९३३.७६
३	अन्य देयताएं और प्रावधान	४९.४२	५४.०८	३	ऋण और अग्रिम	१२.०७	१२.८०
४	आय और व्यय खाता (अधिशेष)	४६६.४४	८.२९	४	विविध देनदार और प्राप्तियां	४९.४४	६१.७६
				५	निश्चित परिसम्पत्तियां	२७४.५३	२८१.५१
				६	विविध जमा और पूर्व जमा व्यय	१.३१	३.९५
				७	नए परिसरों के अधिग्रहण के लिए अग्रिम और व्यय	०.००	६.८०
				८	टग्रिम एफबीटी संदत्त	२.१२	१.४९
	dqy	1723-45	1316-10		dqy	1723-45	1 0

VI. FINANCE AND ACCOUNTS

The summary of Assets and Liabilities and Income & Expenditure as per audited accounts for the year 2008-09 are given below :

ASSETS AND LIABILITIES

Sr. No.	LIABILITIES	As on 31.03.09	As on 31.03.08	Sr. No.	ASSETS	As on 31.03.09	As on 31.03.08
1.	Reserve Fund & Other Funds	972.20	919.96	1.	Cash & Bank Balances	17.35	14.03
2.	Secured Loans	235.39	333.77	2.	Investments	1366.63	933.76
3.	Other Liabilities & Provisions	49.42	54.08	3.	Fixed Assets	274.53	281.51
4.	Surplus from Income & Exp. A/c.	466.44	8.29	4.	Sundry Debtors & Receivables	49.44	61.76
				5.	Loans & Advances	12.07	12.80
				6.	Sundry Deposits & Prepaid Exps.	1.31	3.95
				7	Advances for New Guest House Premises	0.00	6.80
				8.	Advance FBT paid	2.12	1.49
	TOTAL	**1723.45**	**1316.10**		**TOTAL**	**1723.45**	**1316.10**

; k vj S k v; ; 0

dz-la-	:fooj.k ¼ -	j y ½	
	vk;	2008-09	2007&08
१	वार्षिक सदस्य चंदा	५६.५०	५७.९०
२	वेतन में संशोधन के लिए प्रावधान	४५.४५	१७.३३
३	बैंक खातों, चिन्हित स्मारक निधियों तथा चिन्हित न की गई जमा राशियों पर ब्याज	०.१५	०.१५
४	शेयरों पर लाभांश	९.००	१३.५९
५	सदस्य बैंकों से अतिरिक्त अंशदान	०.४२	०.९७
६	गेस्ट हाऊस, विविध, आय/सेवा प्रभार	१५.८०	२०.००
७	सहायता अनुदान	४५७.५८	——
८	दादर की परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	५.८७	०.२०
९	विविध आय	०.०७	
	d ½ ¼	s 590-84	110-14
	O;;		
१	वेतन और भत्ते, पीएफ और एलएफसी	४२.२९	३८.६५
२	वेतन में संशोधन के लिए प्रावधान	२.३४	१.३०
३	सेमिनार/सम्मेलन/प्रशिक्षण कार्यक्रम	१२.३७	११.०९
४	यात्रा/मार्ग व्यय	५.४२	९.४१
५	चूककर्ता सदस्य बैंकों से मांग के लिए प्रावधान (एएमएस तथा अतिरिक्त अंशदान)	——	१.४४
६	स्थिर परिसम्पत्तियों (पुराने और नए कार्यालयों) पर मूल्यह्रास	११.३८	९.५२
७	छुट्टी भुनाने का प्रावधान	८.९७	२.९१
८	जर्नल गतिविधियों में घाटा		०.२९
९	व्यय पूरा करना	१.५९	१.७१
१०	किराया/बीमा, प्रकाश और कर	६.६९	५.९३
११	सदस्यता शुल्क/प्रतिनिधि शुल्क	४.८८	४.२३
१२	टेलीफोन/टेलीग्राम/डाक/इंटरनेट	२.२०	२.२२
१३	गेस्ट हाऊस का रखरखाव	२.७६	२.१५

INCOME AND EXPENDITURE

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)	
	INCOME	**31.03.09**	**31.03.08**
1.	Annual Membership Subscription	56.50	57.90
2.	Interest on Bank A/cs, Earmarked Memorial Funds & Deposits not earmarked.	45.45	17.33
3.	Dividend on Shares	0.15	0.15
4.	Additional contributions from member banks	9.00	13.59
5.	Guest House Misc. Income/service charges	0.42	0.97
6.	Grant-in-Aid	15.80	20.00
7.	Profit on sale of Asset (G.H.)	457.58	—
8.	Miscellaneous Income/Amt. recd. from previous year's provision/Excess Provision of FBT	5.87	0.20
9.	Surplus in Journal Activities	0.07	—
	TOTAL (1 to 9)	**590.84**	**110.14**
	EXPENDITURE		
1.	Salaries & Allowances, P.F.	42.29	38.65
2.	Seminars/Conferences/Training Programmes	2.34	1.30
3.	Travelling/Conveyance Expenses/L.F.C.	12.37	11.09
4.	Provision against demand from defaulted member banks(AMS & Addl. Contributions)	5.42	9.41
5.	Provision for BDDR	—	1.44
6.	Depreciation on Fixed Assets	11.38	9.52
7.	Provision for Leave Encashment	8.97	2.91
8.	Deficit in Journal Activities	—	0.29
9.	Meeting Expenses	1.59	1.71
10.	Rent/Insurance, Lighting & Taxes	6.69	5.93
11.	Membership Fees & delegation fees	4.88	4.23
12.	Telephones/Telegrams/Postage/Internet	2.20	2.22
13.	Guest House Expenses	2.76	2.15

dz-la-	:fooj.k ¼ - j y ½		
	vk;	2008-09	2007&08
१४	अवधि पूर्व मद खाता	०.७८	०.१२
१५	कर्मचारियों को उपदान (ग्रैच्युटी) के लिए प्रावधान	११.२७	२.५२
१६	मरम्मत और रखरखाव	२.०६	१.८५
१७	लेखन सामग्री, मुद्रण और प्रचार	२.०३	२.१७
१८	दलाली और कमीशन	२.६७	
१९	वापस लिए गए अतिरिक्त प्रावधान	००.००	१.५०
२०	अन्य संस्थापना लागतें/विविध व्यय	३.५४	२.४५
२१	आयकर और एफबीटी	१.१६	०.३९
	d ¼ s ½ q 1	124-40	101-85 y
	vfrfjDr	466-44	8-29
	आमसभा द्वारा अधिशेष की स्थापना		
	(१) **आरक्षित निधि** (उप–विधि सं.३७(i) (क) के अनुसार अधिशेष का २५ प्रतिशत)	–	(२.०७)
	(२) **आकस्मिक आरक्षित निधि** (उप–विधि सं.३७(i) (ग) के अनुसार (न्यूनतम १० प्रतिशत)	–	(१.११)
	(३) **एनसीयूआई की सहकारी शिक्षा निधि** (अधिशेष का १ प्रतिशत)	–	(०.०८)
	(४) **फेडरेशन की शिक्षा निधि** (अधिशेष का १ प्रतिशत)	–	(०.०८)
	(५) **कर्मचारी कल्याण निधि**	–	(२.००)
	(६) **कर्मचारियों को अनुग्रह राशि** (कर्मचारी विनियमों के अनुसार)	–	(०.५०)
	(७) **विकास निधि**	–	(२.४४)
		466-44	8-29

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वित्त वर्ष २००७–०८ से संबंधित है)

फेडरेशन की उप–विधि संख्या ३७ के अनुसार अधिशेष का विनियोजन आमसभा द्वारा वार्षिक आम बैठक में किया जाएगा।

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)	
		2008-2009	**2007-08**
14.	Prior Period Item A/c.	0.78	0.12
15.	Provision for staff gratuity	11.27	2.52
16.	Repairs & Maintenance	2.06	1.85
17.	Stationery, Printing & Publicity	2.03	2.17
18.	Legal & Professional charges	2.67	—
19.	Excess provision written off	0.00	1.50
20.	Other establishment costs/Sundry Expenses	3.54	2.45
21.	Income Tax & FBT	1.16	0.39
	Total (1 to 21)	**124.40**	**101.85**
	Surplus	**466.44**	**8.29**
	Apportionment of Surplus by General Body		
	(1) **Reserve Fund**	—	(2.07)
	(2) **Contingency Reserve Fund**	—	(1.11)
	(3) **Cooperative Education Fund of NCUI**	—	(0.88)
	(4) **Education Fund of Federation**	—	(0.08)
	(5) **Development Fund**	—	(2.00)
	(6) **Staff Welfare Fund**	—	(0.50)
	(7) **Exgratia to Staff**	—	(2.44)
		466.44	**(8.29)**

(figures shown in bracket pertain to Financial Year 2006-07)

As per Byelaw No.37 of the Federation, the appropriation of surplus shall be made by the General Body in the Annual general Meeting.

i h a k k / ; a k c / a f l

आय

dz-la-	fooj.k k	j ½	
		2008&09	2007&08
१	पत्रिका अभिदान (चंदा)	४१५२०.००	४१४००.००
२	विज्ञापन प्रभार	९७०००.००	८८७५०.००
३	प्रकाशनों की बिक्री	६०.००	२४०
४	वापस लिए गए अतिरिक्त प्रावधान	६४९४.००	४९३.००
५	पूर्व वर्ष के प्रावधानों से प्राप्त की गई राशि	२६६६०.००	२०००००.००
	कुल	१७१७३४.००	१५०८८३.००

व्यय

१	मुद्रण प्रभार	१४५०३७.००	१४५९४३.००
२	डाक, टेलीग्राम और टेलीग्राफ	१०९७१.००	१८३००.८२
३	विज्ञापन एकत्र करने के प्रभारों की प्रतिपूर्ति	११४७.००	——
४	योगदानकर्ताओं/लेखकों को मानदेय/अन्य व्यय	७७००.००	७८००.००
५	विविध व्यय	——	१८५०.००
६	बीडीडीआर	——	६१२०.००
	dqy	164855-82	180013-82
3 u	f h0 e d -	¼8 0	¼ 0 2- 9

JOURNAL ACTIVITIES

Income

Sr. No.	Particulars	Amount (Rs.) 2007-08	2006-07
1.	Journal Subscription	41520.00	41400.00
2.	Advertisement charges	97000.00	88750.00
3.	Sale of Publications	60.00	240.00
4.	Excess provision written back	6494.00	493.00
5.	Amount received from previous Year's provision	26660.00	20000.00
	TOTAL	**171734.00**	**150883.00**

Expenditure

1.	Printing charges	145037.00	145943.00
2.	Postage, Tel. & Telegrams	10971.00	18300.82
3.	Reimbursement of advt. Collection charges	1147.00	—
4.	Honorarium to Contributors/ Authors/other expenses	7700.00	7800.00
5.	Miscellaneous Expenses	—	1850.00
6.	Provision for BDDR	—	6120.00
	TOTAL	**164855.00**	**180013.82**
	Net Surplus/Net Deficit	(+) 6879.00	(-)29130.82

V I I .lk;Uof ak;k/fuf

३१ मार्च, २००८ को विभिन्न विन्यास निधियों की स्थिति संक्षेप में नीचे दी जा रही है:

k// f u fk d ekk u s	31-03-2009 skd k"sk'	fk ua f
१. बी. वेंकटरमन स्मारक निधि	७७,८६१.९९	कोटि–। के सर्वोत्तम एआरडीबी को प्रति वर्ष बी. वी. स्मारक ट्राफी प्रदान की जाती है।
२. उदयमानसिंहजी स्मारक निधि	१,२४,४७३.४२	(i) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद द्वारा देश में चलाए जा रहे सहकारी प्रबंधन संस्थानों में भूमि विकास बैंकिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के मेधावी प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कार प्रदान करना।(ii) उदयभानसिंहजी स्मारक ट्राफी कोटि–। को प्रति वर्ष दी जाती है।
३. दत्तात्रायालू स्मारक निधि	५९,६४७.५०	दत्तात्रायालू ट्राफी कोटि–।।। के सर्वोत्तम बैंक को प्रति वर्ष प्रदान की जाती है।
४. केरल एससीएआरडीबी के लिए स्थापित एम.एन. नाम्बियर स्मारक निधि	५२,५७०.८६	एम.एन. नाम्बियार ट्राफी एआरडीबी द्वारा प्रति वर्ष देनदारी में सर्वोत्तम निष्पादक को दी जाती है।
५. पंजाब एससीएआरडीबी द्वारा स्थापित पंजाब मुख्यमंत्री ट्राफी निधि	४६,३३१.००	पंजाब मुख्यमंत्री ट्राफी एआरडीबी द्वारा प्रति वर्ष सर्वाधिक वसूली करने वाले को दी जाती है।
६. रजत जयंती निधि	३,२७,४०५.१०	इस ट्राफी के अंतर्गत फेडरेशन किसी सदस्य बैंक के प्रत्येक एक या किसी सदस्य को वीएएमएनआईसीओएम, पुणे द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर व्यापार प्रबंधन डिप्लोमा करने वाले को २५,००० रू. की अध्येतावश्त्ति देता है।
७. फेडरेशन द्वारा स्थापित एशियन रैफिएशन केंद्रीय निधि	१,४२,६३२.१८	––

VIII. ENDOWMENT FUNDS

The position of various endowment funds as on 31st March 2008 are briefly enumerated below :

Name of the Fund	Balance as on 31.3.2009	Activities under the Fund
1. B. Venkatratnam Memorial Fund	77,861.99	B.V. Memorial Trophy is awarded for the best ARDB in Category-I every year.
2. Udaybhansinhji Memorial Fund	124,473.42	(i) Awarding prizes to the meritorious trainees of Diploma Course in Land Development Banking at the Institutes of Coop. Management in the country run by the National Council for Coop. Training. (ii) Udaybhansinhji Memorial Trophy awarded to category-I every year.
3. Dattatrayalu Memorial Fund	59,647.50	The Dattatrayalu Trophy for the best bank in Category-III is awarded every year.
4. M.N. Nambiar Memorial Fund constituted for Kerala SCARDB	52,570.86	M.N. Nambiar Trophy is awarded for the best performance in lending by ARDBs every year.
5. Punjab Chief Minister's Trophy Fund Constituted by Punjab SCARDB	46,331.00	Punjab Chief Minister's Trophy is awarded for best performance in Recovery by ARDBs every year.
6. Silver Jubilee Fund	3,27,405.10	Under this Trophy, Federation is giving Fellowship of Rs.25,000/- to one every or any member of any member bank for doing the Post Graduates Business Management Diploma Course conducted by VAMNICOM, Pune.
7. Asian Raiffeisen Center Fund constituted by Federation.	1,42,632.18	—

VIII. सामान्य निकाय, बोर्ड एवं कार्यपालक समितीः

सामान्य निकायः

सामान्य निकाय में फेडरेशन के सदस्य, संबंधित बैंक के निर्देशाक मण्डल व्दारा नामांकित प्रतिनिधियों व्दारा प्रतिनिधित्व शामिल हैं।

फेडरेशन के सदस्यों सूची निम्नवत् हैं।

१. आन्ध्रप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, हैद्राबाद.

२. आसाम राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, गुवाहाटी.

३. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, पटना.

४. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर.

५. गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अहमदाबाद.

६. हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, पंचकुला.

७. हिमाचल प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, शिमला.

८. जम्मू एवं कश्मीर राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, श्रीनगर.

९. कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बैंगलोर

१०. केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, तिरुवनंतपुरम.

११. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल.

१२. महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामिण बहुउद्देश्यीय विकास बैंक मर्यादित, मुंबई.

१३. उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भुवनेश्वर.

१४. पॉडिचेरी सहकारी केन्दीय भूमि विकास बैंक मर्यादित, पॉडिचेरी.

१५. पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक मर्यादित, चंडीगढ़.

१६. राज्यस्थान राज्य सहकारी भूमी विकास बैंक मर्यादित, जयपुर.

१७. तमिलनाडु सहकारी राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, चेन्नई.

VIII. GENERAL BODY, BOARD AND EXECUTIVE COMMITTEEE

General Body

The General Body consists of members of the Federation, represented by the Delegates nominated by the Board of Directors of the respective bank.

Following is the list of members of the Federation.

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.
2. Assam State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Guwahati.
3. Bihar State Co-operative Land Development Bank Ltd., Patna.
4. Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Maryadit, Raipur.
5. Gujarat State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Ahmedabad.
6. Haryana State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Panchkula.
7. Himachal Pradesh State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Shimla.
8. Jammu & Kashmir State Co-operative Agriculture & RuralDevelopment Bank Ltd., Srinagar.
9. Karnataka State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Bangalore.
10. Kerala State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Thiruvananthapuram.
11. Madhya Pradesh Rajaya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas BankLtd., Bhopal.
12. Maharashtra State Co-operative Agriculture Rural Multipurpose Development Bank Ltd., Mumbai.
13. Orissa State Co-operative Agricultural & Rural Development Bank Ltd., Bhubaneshwar.
14. Pondicherry Co-operative Central Land Development Bank Ltd., Pondicherry.
15. Punjab State Co-operative Agricultural Development Bank Ltd., Chandigarh.
16. Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd., Jaipur.
17. Tamil Nadu Co-operative State Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Chennai.

१८. त्रिपुरा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अगरतला.

१९. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक मर्यादित, लखनऊ.

२०. पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कोलकाता.

२१. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नई दिल्ली.

२२. गोवा राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, पणजी.

२३. मेघालय सहकारी अपेक्स बैंक मर्यादित, शिलाँग.

प्रबन्धन बोर्ड

विधान के अनुसार, संघ के प्रबन्धन बोर्ड में सामान्य सभा द्वारा चुने गए २० निदेशक होते हैं, १ निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है, २ निदेशक बोर्ड की सहमति से चुने जाते हैं प्रबन्ध निदेशक को छोड़कर, जो संघ का भूतपूर्व अधिकारी होता है।

प्रबन्धन बोर्ड में दिनांक ३१.३.२००९ तक निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित थे:—

a ds s d;sk- d;sz Ldane lk ui S ; c L

१	श्री के शिवदासन नायर, MLA, अध्यक्ष	केरल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैक लि.
२	श्री गोबिन्दा रॉय, उपाध्यक्ष	पश्चिमी बंगाल राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
३	श्री बी एच जडेजा, MLA, उपाध्यक्ष	गुजरात राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
४	श्री वसंता नागेश्वर राव, उपाध्यक्ष	आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि.
५	श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, उपाध्यक्ष	पंजाब राज्य सहकारी कृषि वकास बैंक लि.
६	श्री बिजय कुमार सिंह	बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित
७	श्री देबेन्द्र कुमार पांडे	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लि.
८	श्री आर एस दहिया	दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि.
९	श्री आर जी एन मुले	गोवा राज्य सहकारी बैंक लि.
१०	श्री दलीप सिंह यादव	हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.

18. Tripura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Agartala.
19. Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd., Lucknow.
20. West Bengal State Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd., Kolkata.
21. Delhi State Cooperative Bank Ltd., New Delhi.
22. Goa State Co-operative Bank Ltd., Panaji.
23. Meghalaya Co-operative Apex Bank Ltd., Shillong.

Board of Management

As per Byelaws No.20(iii), the Board of Management of the Federation consists of 20 Directors elected by the General Body, 1 Director being nominated by the Central Govt., 2 Directors co-opted by the Board apart from Managing Director, who is ex-officio member of the Federation.

The Board of Management as on 31.3.2009 consisted of the following persons:-

1.	Shri K. Sivadasan Nair, MLAChairman	Kerala State Coop. Agri. & Rural Development Bank Ltd.
2.	Shri Gobinda RoyVice Chairman	West Bengal State Coop. Agri. & Rural Development Bank Ltd.
3.	Shri B.H. Jadeja, MLAVice Chairman	Gujarat State Cooperative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
4.	Shri Vasanta Nageswara RaoVice Chairman	Andhra Pradesh State Coop. Bank Ltd.
5.	Shri Sukhdarshan Singh MrarVice Chairman	Punjab State Coop. Agricultural Development Bank Ltd.
6.	Shri Bijay Kumar Singh	Bihar Rajya Sahakari Bhumi Vikas Bank Simit
7.	Shri Devendra Kumar Pandey	Chhattisgarh Rajya Sahakari Krishi Aur Gramin Vikas Bank Ltd.
8.	Shri R.S. Dahiya	Delhi State Cooperative Bank Ltd.
9.	Shri R.G.N. Mule	Goa State Cooperative Bank Ltd.
10.	Shri Dalip Singh Yadav	Haryana State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.

११	श्री ब्रिज लाल	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
१२	श्री बी एस विश्वनाथन	कर्नाटक राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
१३	श्री किशन सिंह भतोल	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
१४	श्री एस के सोनी	महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बहुउद्देश्यीय विकास बैंक लि.
१५	सुश्री रोशन वारिजी	मेघालय सहकारी एपेक्स बैंक लि.
१६	श्री सुभाष पाणिग्रही	उड़ीसा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
१७	श्री जे सेकर	पांडेचेरी सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
१८	श्री ओ पी मीना	राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि.
१९	श्री ए शंकरालिंगम	तमिलनाडु राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
२०	श्री सुकुमार बर्मन	त्रिपुरा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लि.
२१	श्री नवल किशोर	उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.
२२	श्री के के रविन्द्रन	एक्स ऑफिसियो

कार्यकारी समिति

१. श्री के. शिवदासन नायर, अध्यक्ष

२. श्री बी.एच. जड़ेजा, अध्यक्ष, गुजरात एससीएआरडीबी.

३. श्री गोबिन्दा रॉय, अध्यक्ष, प. बंगाल एससीएआरडीबी.

४. श्री सुखदर्शन सिंह म्रार, अध्यक्ष, पंजाब एससीएडीबी.

५. श्री वसंत नागेश्वर राव, अध्यक्ष, आन्ध्र प्रदेश एससीबी.

६. श्री दलीप सिंह यादव, निदेशक, हरियाणा एससीएआरडीबी.

७. श्री जे. सेकर , अध्यक्ष, पांडीचेरी सीसीएलडीबी.

८. श्री किशन सिंह भटोल, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश एससीएआरडीबी.

९. श्री आर.जी.एन. मुले, अध्यक्ष, गोवा एससीबी.

11.	Shri Brij Lal	Himachal Pradesh State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
12.	Shri B.S. Vishwanathan	Karnataka State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
13.	Shri Kishan Singh Bhatol	Madhya Pradesh State Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
14.	Shri S.K. Soni	Maharashtra State Coop. Agriculture & Rural Multipurpose Development Bank Ltd.
15.	Ms. Roshan Warjri	Meghalaya Cooperative Apex Bank Ltd.
16.	Shri Subash Panigrahi	Orissa State Coop. Agricultural & Rural Development Bank Ltd.
17.	Shri J. Sekar	Pondicherry Cooperative Central Land Development Bank Ltd.
18.	Shri O.P. Meena	Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd.
19.	Shri A. Sankaralingam	Tamil Nadu Coop. State Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
20.	Shri Sukumar Barman	Tripura Coop. Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
21.	Shri Nawal Kishore	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.
22.	Shri K.K. Ravindran	Ex-officio

Executive Committee

1.	Shri K. Sivadasan Nair,	Chairman.	
2.	Shri B.H. Jadeja,	Chairman,	Gujarat SCARDB.
3.	Shri Gobinda Roy,	Chairman,	West Bengal SCARDB.
4.	Shri Sukhdarshan Singh Mrar,	Chairman,	Punjab SCADB.
5.	Shri Vasanta Nageswara Rao,	President,	Andhra Pradesh SCB.
6.	Shri Dalip Singh Yadav,	Director,	Haryana SCARDB.
7.	Shri J. Sekhar,	Chairman,	Pondicherry CCLDB.
8.	Shri Kishan Singh Bhatol,	Chairman,	Madhya Pradesh SCARDB.
9.	Shri R.G.N. Mule,	Chairman,	Goa SCB.

१०.	श्री बिजय कुमार सिंह,	अध्यक्ष,	बिहार आरएसबीवीबी.
११.	श्रीमती रोशन वर्जरी,	अध्यक्षा,	मेघालय सीएबी.
१२.	श्री के.के. रविन्द्रन,	प्रबन्ध निदेशक.	

प्रशासकीय समिति

१.	श्री के. शिवदासन नायर,	अध्यक्ष
२.	श्री बी.एच. जड़ेजा,	उपाध्यक्ष
३.	श्री गोबिन्दा रॉय,	उपाध्यक्ष
४.	श्री सुखदर्शन सिंह म्रार,	उपाध्यक्ष
५.	श्री वसंत नागेश्वर राव,	उपाध्यक्ष
६.	श्री के.के. रविन्द्रन,	प्रबन्ध निदेशक.

आम सभा, विशेष आम सभा की बैठक, मंडल व कार्यकारी समिति वित्तीय वर्ष २००८—०९ के दौरान

आम सभा, प्रशासकीय समिति व कार्यकारी समिति की बैठकें साल के दौरान रिपोर्ट के तहत दिनांक व स्थानों के साथ नीचे सूचीबद्ध हैं:

	बैठकें	**स्थान**	**दिनांक**
(क)	**आम सभा की ४८ वीं बैठक**	हैदराबाद (आं.प्र.)	२८ जुलाई २००८
(ख)	**विशेष आम सभा की बैठक**	अलेप्पी (केरल)	११ अक्टूबर २००८

(ग) **प्रबन्धक मंडल**

१२२वां मंडल	दीव (गुजरात)	१२ अप्रेल २००८
१२३वां मंडल	हैदराबाद (आं.प्र.)	२८ जुलाई २००८
१२४वां मंडल	अलेप्पी (केरल)	११ अक्टूबर २००८
१२५वां मंडल	चंडीगढ़ (पंजाब)	१० फरवरी २००९

10. Shri Bijay Kumar Singh, Chairman, Bihar RSBVB.
11. Smt. Roshan Warjri, Chairperson, Meghalaya CAB.
12. Shri K.K. Ravindran, Managing Director.

Administrative Committee

1. Shri K. Sivadasan Nair, Chairman.
2. Shri B.H. Jadeja, Vice Chairman.
3. Shri Gobinda Roy, Vice Chairman.
4. Shri Sukhdarshan Singh Mrar, Vice Chairman.
5. Shri Vasanta Nageswara Rao, Vice Chairman.
6. Shri K.K. Ravindran, Managing Director.

Meeting of General Body, Special General Body, Board and Executive Committee during the financial year 2008-09

The Meetings of the General Body, Administrative Committee and Executive Committee during the year under report with dates and venues are listed below :

(a)	General Body 48th Meeting	Hyderabad (A.P.)	28 July 2008
(b)	Special General Body Meeting	Alleppey (Kerala)	11 Oct. 2008
(c)	Board of Management		
	122nd Board	Diu (Gujarat)	12 April 2008
	123rd Board	Hyderabad (A.P.)	28 July 2008
	124th Board	Alleppey (Kerala)	11 Oct. 2008
	125th Board	Chandigarh(Punjab)	10 Feb. 2009

(घ) कार्यकारी समिति की बैठकें

२००८	नई दिल्ली	२५ सितम्बर
२००८	वाशी (नवी मुंबई)	१२ दिसम्बर
	मुंबई	१५ मार्च २००९

मंडल की बैठकें सदस्य बैंकों की समीक्षा के अलावा ग्रामीण कर्ज के संबंध में नीति व संचालन के मामलों पर चर्चा का मुख्य मंच बनी हुई हैं।

रिपोर्ट के तहत, साल के दौरान, मंडल, सदस्य बैंकों के व्यावसायिक संचालन से संबंधित नियमित चर्चा व डिबेंचर फ्लोटेशन्स, अग्रिम, वसूली आदि की कार्यकुशलता की सावधिक समीक्षा के अलावा इन बैठकों में निम्नलिखित विषयों पर भी सोचा गया व चर्चा हुई।

१) यूनियन बजट २००८–०९ विशिष्टतायें।

२) ऋण माफी और राहत योजना ।

३) पुनरुत्थान पैकेज और दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचा।

४) एआडीबी यों की सामान्य नकद ऋण योजना – दिशानिर्देश।

५) पुन: वित्तीयन पर ब्याज की दर में संशोधन और बकायादारी पर पैनल ब्याज दर ।

६) बकायादरी पर ब्याज दर।

७) कृषक साथी योजना (केएसएस) ।

८) अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु संसदीय कमेटी द्वारा संस्तुतियां और अवलोकन ।

९) मुर्गी और डेयरी संस्थानों हेतु उद्यम पूंजी निधि ।

१०) पिछले तीन वर्षो (२००५–०६ से २००७–०८ तक) के दौरान नाबार्ड से एस.सी.ए.आर.डी.बी. यों द्वारा पुनर्वित्तीयन ग्रहण करना ।

११) वर्ष २००७–०८ (जनवरी २००८ तक) के लिये कार्यशील बैंक सदस्यों पर पुनर्विचार ।

१२) कृषि ऋण और ऋण माफी योजना २००८ को लागू करना ।

१३) कृषि ऋण और ऋण माफी योजना २००८ को लागू करने पर दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे पर उठे मुद्दे।

१४) एस.सी.ए.आर.डी.बी. यों के सीईओ की सोलहवीं बैठक ।

(d) Executive Committee Meeting

New Delhi	25 Sept. 2008
Vashi(Navi Mumbai)	12 Dec. 2008
Mumbai	15 March 2009

The Board Meetings continued to be the main forum for discussing the policy and operational issues related to rural credit apart from reviewing the operations of member banks.

During the year under report, the Board, besides discussing the regular items related to business operations of member banks and periodical review of performance under debenture floatations, advances, recovery etc., also considered and discussed the following subjects in its meetings.

1) Union Budget 2008-09 – Highlights
2) Debt Waiver and Relief Scheme
3) Revival Package for Long Term Cooperative Credit structure.
4) General Cash Credit Scheme of ARDBs – Guidelines.
5) Revision of rate of interest on refinance and penal interest rate on default.
6) Rate of interest on default.
7) Krishak Saathi Scheme (KSS)
8) Recommendations / observations made by the Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
9) Venture Capital Fund for Poultry & Dairy Sector
10) Drawal of refinance by SCARDBs from NABARD during the last three years (2005-06 to 2007-08)
11) Review of performance of member banks for the year 2007-08 (upto January 2008)
12) Implementation of Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008
13) Issues in the Long-Term Cooperative Credit Structure arising out of implementation of Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008.
14) XVI Meeting of CEOs of SCARDBs

१५) योजनात्मक ऋण – २००८–०९ की नीति के अंतर्गत नाबार्ड से पुनवित्तीयन ग्रहण करने हेतु योग्यता के मापदंड।

१६) वित्तीय समावेशन – वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन तकनीकी निधि।

१७) २१ और २२ जनवरी २००८ को नई दिल्ली में आयोजित १५वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस की संस्तुतियां।

१८) एस.सी.ए.आर.डी.बी. यों का ऋणपत्र कार्यक्रम – केन्द्रीय सरकार के योगदान का प्रारूप।

१९) डेयरी वैन्चर पूँजी निधि ।

२०) देश के कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों में कुंये खोद कर भूमिगत जल स्तर को कशत्रिम तरीके से पूरा करने की योजना।

२१) एल.टी.सी.सी.एस. में वर्तमान महत्वपूर्ण मुद्दे ।

२२) भारत सरकार द्वारा एल.टी.सी.सी.एस. हेतु पुनरुत्थान पैकेज को अंतिम रूप देने में हुई प्रगति पर पुनर्विचार करना और संस्थान में विशिष्ट मुद्दे।

२३) पुनर्वित्तीयन पर ब्याज की दर।

२४) कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, २००८ – आय, सम्पत्ति वर्गीकरण और प्रारूपण की पहचान करने में विवेकपूर्ण मानदंड।

२५) सौर ऊर्जा गृह प्रकाश प्रणाली के संस्थापन की योजना।

२६) मुख्य संचालन क्षेत्रों में सदस्य बैकों की कार्यविधि।

२७) एआरडीआर योजना २००८ के अंतर्गत दावों की अदायगी।

२८) नाबार्ड को एस.सी.ए.आर.डी.बी. यों की प्रमुख देनदारियों का स्थगन।

३०) स्वस्थ जलवायुं की पुनः प्राप्ति करना।

३१) एआडीबी यों द्वारा जमा संग्रहण।

३२) देनदारी के संग्रहण हेतु मॉडल नीति और सिक्यूरिटी को फिर से पाना।

३३) कार्बन क्रेडिट पर कार्यकारी समूह की रिपोर्ट।

३४) मुख्य संचालित क्षेत्रों में बैंक सदस्यों की कार्यविधि।

15) Eligibility criteria for drawal of refinance from NABARD under schematic lending – Policy for 2008-09.

16) Financial Inclusion – Financial Inclusion Fund and Financial Inclusion Technology Fund.

17) Recommendations of 15th Indian Cooperative Congress held on 21st & 22nd January 2008 at New Delhi.

18) Debenture programme of SCARDBs – Outlay for Central Govt's contribution.

19) Dairy Venture Capital Fund.

20) Scheme on Artificial Recharge of Groundwater through Dugwells in hard Rock Areas of the country.

21) Important current issues in the LTCCS

22) Review of progress of finalizing Revitalisation Package for LTCCS by Government of India and other outstanding issues in the sector.

23) Rate of interest on refinance.

24) Agriculture Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008-Prudential norms in income recognition, asset classification and provisioning.

25) Scheme for installation of Solar Energy Home Lighting System.

26) Performance of member banks in key operational areas.

27) Reimbursement of claims under ARDR Scheme 2008.

28) Postponement of principal dues of SCARDBs to NABARD.

29) Rate of interest on refinance.

30) Restoring healthy recovery climate.

31) Deposit mobilization by ARDBS.

32) Model policy for collection of dues and repossession of security.

33) Report of the Working Group on Carbon credit.

34) Performance of member banks in key operational areas

o IX jj Z , r dk L Rj j kr r j; j , kr k i o L ″k Z j a r V ″ j ª V kh ª

राष्ट्रीय स्तर पर, फेडरेशन की सदस्यता निम्न के साथ सतत है –

१. राष्ट्रीय सहकारी युनियन ऑफ इंडिया (एन.सी.यू.आई)

२. भारतीय वाणिज्य चेम्बर (आई.एम.सी.)

३. भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.)

४. कृषि बैंकिग (सीआईसीटीएबी) में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र और

५. सहकारिता के अध्ययन के लिए भारतीय समाज.

d Q f ; % k b s k u r & e Z h E k

१. राष्ट्रीय फिल्म एवं फाइन आर्टस् सहकारी लि. (एनएएफएफएसी), नई दिल्ली.

२. भारतीय पर्यटन सहकारी लि. (आई.टी.सी.),नई दिल्ली.

३. को–ऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (सी.ओ.बी.आई) नई दिल्ली.

[k d l a d s ç e a ç k g A

१. अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी समझौता (आय.सी.ए.), जेनेवा

२. अन्तर्राष्ट्रीय रायफेसन यूनियन (आई.आर.यू.), बॉन एवं.

३. एशिया एवं पेसिफिक क्षेत्रीय कृषि उधार संघ (एपीआरएसीए), बैंकॉक.

इन अन्तराष्ट्रीय निकायों से सम्बद्धता की वजह से फेडरेशन एवं सदस्य बैंको को क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तरपर संगी सदस्यों के साथ सामान्य हित के विषयों पर विचार–विमर्श करने का अवसर प्रदान हुआ।

v e d q l o [a k Z f i d k k f y d f /r k F g k k o k j k k ‘f&L ÿ r k j ;

रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान, फेडरेशन ने विभिन्न अभिकरणों जिसमें केन्द्रिय एवं राज्य सरकारें, नाबार्ड, आरबीआई इत्यादि शामिल हैं, के साथ सतत नजदीकी सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

फेडरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, एनसीयूआई, सीओबीआई इत्यादि

IX. REPRESENTATION AT NATIONAL AND INTERNATIONAL LEVELS

Membership at National and International Levels At the national level, the Federation continued its membership with the

1) National Co-operative Union of India (NCUI)

2) Indian Merchants' Chamber (IMC)

3) Indian Banks' Association (IBA)

4) Centre for International Co-operation and Training in Agricultural Banking (CICTAB) and

5) Indian Society for Studies in Cooperation.

The Federation is also holding membership as shareholder of the

1) National Film and Fine Arts Cooperatives Ltd. (NAFFAC), New Delhi.

2) Indian Tourism Cooperative Ltd. (ITC), New Delhi.

3) Co-operative Bank of India (COBI), New Delhi.

The Federation is represented on the management of some of these institutions. At international level, the Federation continued to be affiliated to the

1) International Cooperative Alliance (ICA), Geneva.

2) International Raiffeisen Union (IRU), Bonn and

3) Asia and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA), Bangkok.

Affiliation to these international bodies gave the Federation and member banks opportunity to interact with fellow members at regional and global levels on matters of common interest.

Representation and participation of Chairman and Chief Executive – National Level

The Federation continued close liaison with various agencies including Central and State Governments, NABARD, RBI etc., during the year under report.

The Chairman and Managing Director of the Federation were either nominated or continued to

द्वारा गठित समितियों में तथा अन्य विभिन्न निमायों में या तो नामित किए गए हैं या प्रतिनिधित्व करना जारी रखा है। उन्होने विभिन्न स्तरों पर आयोजित सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन इत्यादि में भाग लेने के अलावा अनेक बोर्ड / समितियों की बैठकों में उपस्थित हुए ।

रिपोर्ट आधीन वर्ष के दौरान, फेडरेशन के अध्यक्ष को निम्नलिखित समितियों / बोर्ड के सदस्य के रुप में नामित प्रतिनिधत्व किया।

१. एनसीयूआई की आम सभा एवं संचालक परिषद ।
२. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकिंग में प्रबंधन विकास के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के बोर्ड के न्यासी ।
३. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सामान्य परिषद ।
४. एन.सी.यू.आई. द्वारा गठित सहकारी शिक्षा के लिए समिति में सदस्य ।
५. एन.ए.एफ.एफ.ए.सी. के निदेशक मण्डल के सदस्य ।
६. सदस्य, सहकारी प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद ।
७. सदस्य, आई.सी.ए. का सामान्य निकाय ।
८. सदस्य, आई.सी.ए. (आर.ओ.ए.पी.) का सामान्य निकाय ।
९. सदस्य, आय.आर.यू. का सामान्य निकाय ।

वर्ष के दौरान प्रबन्ध निदेशक को नामित किया गया था एवं निम्नलिखित समिति/ बोर्डो के लिए फेडरेशन का निरन्तर प्रतिनिधित्व करना जारी रहा है।

१. सदस्य, ए.पी.आर.ए.सी.ए. की सामान्य परिषद ।
२. एशिया एवं पेसिफिक के लिए मानव संसाधन विकास पर आई.सी.ए. समिति।
३. सदस्य, भारत का सहकारी बैंक ।
४. सदस्य, संचालक परिषद, सहकारिता में अध्ययन के लिए भारतीय समाज।
५. सामान्य परिषद के सदस्य एवं सी.आई.सी.टी.ए.बी. के निदेशकों की समिति।

xjkeh.k jkstxkj

अपने ढांचे को सुदृढ़ बनाने और सदस्य बैंकों के कार्यों को विस्तार देने के अपने प्रयासों के तहत, फेडरेशन केंद्र और

represent on various bodies as also on committees constituted by the Govt. of India, Reserve Bank of India, NABARD, NCUI, COBI etc. They attended the meetings on various Boards/Committees besides participating in the Seminar, Workshop, Conference etc., convened at different levels.

During the year under report, the Chairman of the Federation was nominated/represented as a member of the following committees/Board.

(i) General Body and Governing Council of NCUI.

(ii) Board of Trustees of the National Institute for Rural Banking.

(iii) General Council of the National Cooperative Development Corporation.

(iv) Member on the Committee for Cooperative Education constituted by NCUI.

(v) Member of the Board of Directors, NAFFAC.

(vi) Member, National Council for Cooperative Training.

(vii) Member, General Body of ICA.

(viii) Member, General Body of ICA (ROAP).

(ix) Member, General Body of IRU.

The Managing Director was also nominated and continued to represent the Federation on the following Committee/Boards during the year.

(i) Member, General Council, APRACA.

(ii) ICA Committee on Human Resource Development for Asia and the Pacific.

(iii) Member, Cooperative Bank of India.

(iv) Member, Governing Council, Indian Society for Studies in Cooperation.

(v) Member of General Council and Committee of Directors of CICTAB.

X. ACKNOWLEDGEMENT

The Federation continues to maintain close contacts and liaison with Central and State Govts., NABARD, RBI, NCDC, NCUI and various other agencies and institutions in its endeavour to strengthen the structure and expand the operations of member banks. The Board of Management places on

राज्य सरकारों, नाबार्ड, रिजर्व बैंक, एनसीडीसी, एनसीयूआई और विभिन्न अन्य एजेंसियों और संस्थाओं के साथ अपने निकट संबंध और संपर्क निरंतर बनाए हुए है। प्रबंध मंडल इन सभी एजेंसियों और संस्थाओं द्वारा फेडरेशन को दिए गए उनके सहयोग और समर्थन के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

फेडरेशन एआरडीबी को सुदृढ़ करने, एससीएआरडीबी को पुनर्वित्त सहयोग प्रदान करने और कुछ सदस्य बैंकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को सुलझाने में मदद हेतु नीति में छूट देने के लिए की गई पहल और दिशानिर्देश के लिए नाबार्ड के प्रबंधन और उसके अधिकारियों के प्रति आभारी है। बोर्ड श्री यू.सी. सारंगी, अध्यक्ष, डा. के.जी.करमाकर, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशकों और अन्य कार्यकारी अधिकारियों एवं नाबार्ड के अधिकारियों से मिले सहयोग और दिशानिर्देश के लिए भी उनका आभारी है।

एससीएआरडीबी को वित्तीय सहयोग प्रदान करने में एनसीडीसी ने बहुत ज्यादा मदद की है जिससे उन्हें अपने सदस्यों की ऋण जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायता मिली। हम एनसीडीसी के बोर्ड के प्रति और खासतौर पर श्री पी.उमाशंकर एवं श्री राजीव अग्रवाल, क्रमशः पूर्व प्रबंध निदेशक और वर्तमान प्रबंधन निदेशक के प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

VTF II की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकारों की परामर्श से दीर्घकालीन सहकारी ऋण ढांचे के लिये एक पैकेज को भारत सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। केन्द्रीय मंत्रालय ने इस पैकेज को २६ फरवरी, २००९ को अपना अनुमोदन प्रदान किया। इस मामले में बोर्ड ने वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम, सचिव (वित्तीय सैक्टर) श्री अरुण रामानाथन और संयुक्त सचिव (वित्तीय सेक्टर) श्री अमिताभ वर्मा को उनके मूल्यवान योगदानों हेतु आभार व्यक्त किया।

बोर्ड श्री के.के.रवींद्रन, प्रबंध निदेशक की सेवाओं की भी सराहना करता है जिन्होंने पूरे समर्पण भाव के साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दायित्वों का भली भांति निर्वहन किया। प्रबंध मंडल वर्ष के दौरान अपने अधिकारियों और स्टाफ की सेवाओं की भी सराहना करता है।

ky /M aa cah zedj i s k vs l
ukrok'f-sd]j;ku]y;e,
v/;{k

record its gratitude to all these agencies and institutions for the support and cooperation extended to the Federation.

The Federation is grateful to the management of NABARD and its officers for their initiatives and guidance in strengthening ARDBs, their refinance support to SCARDBs as also policy relaxations to help solving the problems faced by some of the member banks. The Board places on record the support and guidance received from Shri U.C. Sarangi, Chairman, Dr. K.G. Karmakar, Managing Director, Executive Directors and other Executives and Officers of NABARD.

NCDC has come in a big way to provide funding support to SCARDBs which helped them to meet the credit needs of their members better. We acknowledge our gratitude to the Board of NCDC and more particularly Shri Rajiv Agarwal, Managing Director respectively, for the same.

Government of India, Ministry of Finance has finalized in consultations with State Governments a package for reviving long term cooperative credit structure based on the recommendations of VTF II. The Union Cabinet accorded its approval to the package on February 26, 2009. The Board places on record its gratitude to Financial Minister Shri P. Chidambaram, Secretary (Financial Sector) Shri Arun Ramanathan and Joint Secretary (Financial Sector) Shri Amitabh Verma for their valuable contributions in this regard.

The Board appreciates the services of Shri K.K. Ravindran, Managing Director, who ably discharged the responsibilities of Chief Executive with dedication. The Management also appreciates the services of its officers and staff during the year.

On behalf of the Board of Management

K. Sivadasan Nair, MLA

Chairman

यह बोर्ड श्री शरद पवार माननीय कृषि मंत्री को श्रेत्र के लिए बहुमूल्य सहायता

The Board places on record its appreciation and gratitude to Shri Sharad Pawar, Hon'ble Minister for Agriculture for the valuable support extended to the sector and to Secretary (Agri. & Coopn.) Shri T. Nanda Kumar and Joint Secretary & Central Registrar of Cooperative Societies Shri Rajendra Kumar Tiwari and other officers of the Ministry for the support and guidance given to the Federation.

The NCUI has been providing active support to the Federation in its activities. The Federation places on record its appreciation and gratitude to Shri G.H. Amin, President and Shri Bhagwati Prasad, Chief Executive.

The Federation continued to receive financial and other supports as well as active cooperation from its member banks during the year under report. We acknowledge our deep debt of gratitude to the management and staff of all our member banks particularly to the Chairmen and Chief Executives of SCARDBs. The Board of Management also places on record the dynamic leadership of Shri K. Sivadasan Nair, MLA, Chairman with the able support of Vice Chairpersons Shri Gobinda Roy, Shri Vasanta Nageswara Rao, Shri Sukhdarshan Singh Mrar and Shri B.H. Jadeja, MLA, to the Federation and the LT credit sector during an extremely challenging period.

सारणी 1 – लिए गए डिबेंचर / उधार

(लाख रुपयेमें)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2008-09 के दौरान लिए गए				समग्र योग	
		नाबार्ड से (एचएसजी समेत)	केंद्र सरकार से	राज्य सरकार से	अन्यों से (एनसीडीसी/ हुडको/एनएचबी)	(2008-09) (3+4+5+6)	(2007-08)
1	2	3	4	5	6	7	8
१	असम	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
२	बिहार	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	९८७.३५
३	छत्तीसगढ़	1,418.00	-	40.26	-	1,458.26	एन.आर
४	गुजरात	एन.आर	एन.आर	एन.आर	500.00	500.00	6,491.45
५	हरियाणा	34,880.91	-	2,575.79	-	37,456.70	24,372.72
६	हिमाचल प्रदेश	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
७	जम्मू व कश्मीर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
८	कर्नाटक	17,288.39	-	1,750.22	-	19,038.61	37,209.54
९	केरल	33,558.91	-	617.16	25,000.00	59,176.07	72,135.50
१०	मध्य प्रदेश	6,800.00	-	429.36	-	7,229.36	21,172.17
११	महाराष्ट्र	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	कोई नहीं
१२	उड़ीसा	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	1,249.97
१३	पांडिचेरी	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	कोई नहीं
१४	पंजाब	30,018.33	-	-	-	30,018.33	45,000.00
१५	राजस्थान	21,524.03	-	-	-	21,524.03	24,528.27
१६	तमिलनाडु	-	-	-	3,610.16	3,610.16	कोई नहीं
१७	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
१८	उत्तर प्रदेश	36,991.93	-	3,307.43	-	40,299.36	43,297.94
१९	पश्चिमी बंगाल	12,995.30	-	506.24	506.24	14,007.78	एन.आर
	कुल	**195,475.80**	**-**	**9,226.46**	**29,616.40**	**234,318.66**	**276,444.91**

’ स्त्रोत : मासिक प्रगति रिपोर्ट – मार्च २००९

नोट : एन.आर. नॉट रिपोर्टिड

TABLE 1 - DEBENTURES / BORROWINGS RAISED

(Rs. Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	RAISED DURING 2008-09				GRAND TOTAL	
		From NABARD (incl. Hsg)	Central Govt.	State Govt.	Others (NCDC/ HUDCO/ NHB)	(3+4+5+6) (2008-09)	(2007-08)
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Assam	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
2)	Bihar	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	987.35
3)	Chhattisgarh	1,418.00	-	40.26	-	1,458.26	N.R.
4)	Gujarat *	N.R.	N.R.	N.R	500.00	500.00	6,491.45
5)	Haryana	34,880.91	-	2,575.79	-	37,456.70	24,372.72
6)	Himachal Pradesh	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
7)	Jammu & Kashmir	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
8)	Karnataka	17,288.39	-	1,750.22	-	19,038.61	37,209.54
9)	Kerala	33,558.91	-	617.16	25,000.00	59,176.07	72,135.50
10)	Madhya Pradesh	6,800.00	-	429.36	-	7,229.36	21,172.17
11)	Maharashtra	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	NIL
12)	Orissa	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	1,249.97
13)	Pondicherry	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	NIL
14)	Punjab	30,018.33	-	-	-	30,018.33	45,000.00
15)	Rajasthan	21,524.03	-	-	-	21,524.03	24,528.27
16)	Tamil Nadu	-	-	-	3,610.16	3,610.16	NIL
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	36,991.93	-	3,307.43	-	40,299.36	43,297.94
19)	West Bengal	12,995.30	-	506.24	506.24	14,007.78	N.R.
	TOTAL	**195,475.80**	**-**	**9,226.46**	**29,616.40**	**234,318.66**	**276,444.91**

* Source : Monthly Progress Report - March 2009

Note : 'N.R.' - 'Not Reported'

सारणी 2 – 31 मार्च को बकाया डिबेंचर / उधार

(लाख रुपयेमें)

क्र. सं.	बैंक का नाम	31 मार्च को बकाया					समग्र योग	
		साधारण डिबेंसर कार्यक्रम	नाबार्ड से (एचएसजी समेत)	केंद्र सरकार से	राज्य सरकार से	अन्यों से (एनसीडीसी/ हुड को/एन एचबी	(31 मार्च 2009) (3 से 7)	(31 मार्च 2008)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	असम	एन.आर	कोई नहीं	एन.आर	एन.आर	2,955.17	2,955.17	एन.आर
2	बिहार	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	10,420.38
3	छत्तीसगढ़	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
4	गुजरात '	कोई नहीं	23,959.03	एन.आर	एन.आर	3,098.11	27,057.14	46,990.13
5	हरियाणा	कोई नहीं	176,598.64	-	-	12,340.42	188,939.06	184,371.93
6	हिमाचल प्रदेश	-	2,689.16	-	-	194.50	2,883.66	एन.आर
7	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	-	-	-	एन.आर.
8	कर्नाटक	-	131,165.73	-	-	15,343.22	156,507.95	136,716.52
9	केरल	240.00	151,262.36	एन.आर	5,789.70	34,972.01	192,264.07	191,386.10
10	मध्य प्रदेश	एन.आर	127,944.08	एन.आर	एन.आर	एन.आर	127,944.08	143,842.31
11	महाराष्ट्र	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	107,729.76
12	उड़ीसा	एन.आर	3,311.85	एन.आर	एन.आर	6,176.26	9,488.11	13,031.84
13	पांडिचेरी	एन.आर	41.47	-	-	346.90	388.37	454.09
14	पंजाब	एन.आर	30,018.33	-	-	-	30,018.33	201,546.43
15	राजस्थान	एन.आर	127,638.36	-	-	7,886.82	135,525.18	146,170.08
16	तमिलनाडु	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	44,943.45
17	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
18	उत्तर प्रदेश	एन.आर	240,261.00	-	-	18,258.0	258,519.00	281,347.69
19	पश्चिमी बंगाल	एन.आर	61,937.59	-	-	10,477.63	72,415.22	69,978.85
	कुल योग	**240.00**	**1,076,827.60**	**-**	**5,789.70**	**109,093.87**	**1,201,950.17**	**1,578,929.56**

नोट : (1) एन.आर. – नॉट रिपोर्टिड

TABLE 2 - DEBENTURES / BORROWINGS OUTSTANDING AS ON 31 MARCH

(Rs.lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	OUTSTANDING AS ON 31 MARCH 2009					GRAND TOTAL	
		Ordinary Deb.Prog.	From NABARD (incl.Hsg)	Central Govt.	State Govt.	Other (NCDC/ HUDCO/ NHB)	(3 TO 7) (31st MARCH 2009)	(31st MARCH 2008)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1)	Assam	N.R.	Nil	N.R.	N.R	2,955.17	2,955.17	N.R.
2)	Bihar	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R	10,420.38
3)	Chhattisgarh	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4)	Gujarat	NIL	23,959.03	N.R.	N.R	3,098.11	27,057.14	46,990.13
5)	Haryana	NIL	176,598.64	-	-	12,340.42	188,939.06	184,371.93
6)	Himachal Pradesh	-	2,689.16	-	-	194.50	2,883.66	N.R.
7)	Jammu & Kashmir	-	-	-	-	-	-	N.R.
8)	Karnataka	-	131,165.73	-	-	15,343.22	156,507.95	136,716.52
9)	Kerala	240.00	151,262.36	N.R	5,789.70	34,972.01	192,264.07	191,386.10
10)	Madhya Pradesh	N.R.	127,944.08	N.R.	N.R.	N.R	127,944.08	143,842.31
11)	Maharashtra	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	107,729.76
12)	Orissa	N.R.	3,311.85	N.R.	N.R	6,176.26	9,488.11	13,031.84
13)	Pondicherry	N.R.	41.47	-	-	346.90	388.37	454.09
14)	Punjab	N.R.	30,018.33	-	-	-	30,018.33	201,546.43
15)	Rajasthan	N.R.	127,638.36	-	-	7,886.82	135,525.18	146,170.08
16)	Tamil Nadu	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	44,943.45
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	N.R.	240,261.00	-	-	18,258.00	258,519.00	281,347.69
19)	West Bengal	N.R.	61,937.59	-	-	10,477.63	72,415.22	69,978.85
	TOTAL	**240.00**	**1,076,827.60**	**-**	**5,789.70**	**109,093.87**	**1,201,950.17**	**1,578,929.56**

Note : 'N.R.' - 'Not Reported'

सारणी 3 – जमा प्रचालन कार्यक्रम

(लाख रुपयेमें)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2008-09	2007-08	31.03.2009	31.03.2008
		के दौरान जमा राशि		को बकाया जमाराशि	
1	2	3	4	5	6
1	असम	25.03	एन.आर	48.67	एन.आर.
2	बिहार	एन.आर	.	एन.आर.	58.00
3	छत्तीसगढ़	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
4	गुजरात	8,118.82	3,491.45	10,434.79	6,443.53
5	हरियाणा	-	-	-	-
6	हिमाचल प्रदेश	211.10	एन.आर	900.25	एन.आर
7	जम्मू व कश्मीर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
8	कर्नाटक	680.97	3,547.72	1,629.47	2,260.85
9	केरल	-	-	-	-
10	मध्य प्रदेश	-	10,333.35	12,742.58	14,846.16
11	महाराष्ट्र	एन.आर	.	एन.आर	-
12	उड़ीसा	-	-	-	-
13	पांडिचेरी	429.24	2.74	780.73	764.89
14	पंजाब	1,339.96	4,011.70	4,856.51	4,801.71
15	राजस्थान	कोई नहीं	103.97	172.93	156.95
16	तमिलनाडु	एन.आर		. एन.आर	4,000.14
17	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
18	उत्तर प्रदेश	2,048.00	1,549.59	2,358.00	1,548.14
19	पश्चिमी बंगाल	393.72	107.84	5,692.36	5,298.64
	कुल	**13,246.84**	**23,148.36**	**39,616.29**	**40,179.01**

नोट : एन.आर. – नॉट रिपोर्टिड

TABLE 3 - DEPOSIT MOBILISATION PROGRAMME

(Rs. lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	Deposits Raised During		Deposits Outstanding as on	
		2008-09	2007-08	31.03.2009	31.03.2008
1	2	3	4	5	6
1)	Assam	25.03	N.R.	48.67	N.R.
2)	Bihar	N.R.	-	N.R.	58.00
3)	Chhattisgarh	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4)	Gujarat	8,118.82	3,491.45	10,434.79	6,443.53
5)	Haryana	-	-	-	-
6)	Himachal Pradesh	211.10	N.R.	900.25	N.R.
7)	Jammu & Kashmir	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
8)	Karnataka	680.97	3,547.72	1,629.47	2,260.85
9)	Kerala	-	-	-	-
10)	Madhya Pradesh	-	10,333.35	12,742.58	14,846.16
11)	Maharashtra	N.R.	-	N.R.	-
12)	Orissa	-	-	-	-
13)	Pondicherry	429.24	2.74	780.73	764.89
14)	Punjab	1,339.96	4,011.70	4,856.51	4,801.71
15)	Rajasthan	NIL	103.97	172.93	156.95
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	2,048.00	1,549.59	2,358.00	1,548.14
19)	West Bengal	393.72	107.84	5,692.36	5,298.64
	TOTAL	**13,246.84**	**23,148.36**	**39,616.29**	**36,178.87**

Note : 'N.R.' - 'Not Reported'

सारणी 4 – वर्ष के दौरान वितरित ऋण / अग्रिम और 31 मार्च को बकाया

(लाख रुपयेमें)

क्र. सं.	बैंक का नाम	2008-09 के दौरान वितरित		समग्र योग		31 मार्ग, 2009 को बकाया		समग्र योग	
		कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र (आरएचएस/ एस.टी./ऋण अन्य सहित)	(2008-09) (3 + 4)	(2007-08)	कृषि क्षेत्र	गैर कृषि क्षेत्र (आरएचएस/ एस.टी./ऋण अन्य सहित)	(2008-09) (7 + 8)	(2007-08)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	असम	1.29	10.24	11.53	एन.आर	360.67	667.77	1,028.44	एन.आर.
2	बिहार	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	8ए602ण70
3	छत्तीसगढ़	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
4	गुजरात	2,662.30	7,881.51	10,543.81	14,720.25	57,685.50	3,671.61	61,357.11	66,459.26
5	हरियाणा	20,388.66	12,676.21	33,064.87	26,464.75	162,238.75	12,128.35	174,367.10	170,790.83
6	हिमाचल प्रदेश	2,648.09	1,016.63	3,664.72	,u-vkj	14,462.92	11,681.55	26,144.47	एन.आर
7	जम्मू व कश्मीर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
8	कर्नाटक	17,189.54	574.85	17,764.39	21,149.83	118,799.85	8,900.42	127,700.27	129,826.21
9	केरल	16,192.31	40,141.41	56,333. 72	47,076.91	59,269.23	119,771.07	179,040.30	176,916.92
10	मध्य प्रदेश	6,187.22	1,777.98	7,965.20	7,655.64	एन.आर	एन.आर	एन.आर	148,340.60
11	महाराष्ट्र	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	129,473.46
12	उड़ीसा	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	11,045.48	-	11,045.48	17,861.50
13	पांडिचेरी	4.09	891.79	895.88	एन.आर	16.95	1,100.12	1,117.07	एन.आर
14	पंजाब	18,378.86	13,913.66	32,292.52	25,345.94	121,213.24	80,782.93	201,996.17	198,271.84
15	राजस्थान	17,708.43	5,424.25	23,132.68	20,299.52	123,962.45	20,709.77	144,672.22	154,892.72
16	तमिलनाडु	एन.आर	एन.आर	एन.आर	508.40	2,315.00	22,461.00	24,776.00	121,278.40
17	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
18	उत्तर प्रदेश	43,892.00	4,954.00	48,846.00	38,889.08	एन.आर	एन.आर	एन.आर	404,459.31
19	पश्चिमी बंगाल	10,511.96	4,417.48	14,929.44	एन.आर	48,092.72	17,139.33	65,232.05	एन.आर
	कुल योग	**155,764.75**	**93,680.01**	**249,444.76**	**202,110.32**	**719,462.76**	**299,013.92**	**1,018,476.68**	**1,727,173.75**

नोट : (1) एन.आर. – नॉट रिपोर्टिड

TABLE 4 - LOANS / ADVANCES DISBURSED DURING THE YEAR AND OUTSTANDING AS ON 31 MARCH

(Rs.lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	DISBURSED DURING 2008-09		GRAND TOTAL		OUTSTANDING AS ON 31 MARCH 2009		GRAND TOTAL	
		FARM SECTOR	NON-FARM SECTOR (incl.of RHS/ S.T.Loans/ Others)	(3 + 4) (2008-09)	(2007-08)	FARM SECTOR	NON-FARM SECTOR (incl.of RHS/ S.T.Loans/ Others)	(7 + 8) (2008-09)	(2007-08)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Assam	1.29	10.24	11.53	N.R	360.67	667.77	1,028.44	N.R.
2)	Bihar	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	8,602.70
3)	Chhattisgarh	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4)	Gujarat	2,662.30	7,881.51	10,543.81	14,720.25	57,685.50	3,671.61	61,357.11	66,459.26
5)	Haryana	20,388.66	12,676.21	33,064.87	26,464.75	162,238.75	12,128.35	174,367.10	170,790.83
6)	Himachal Pradesh	2,648.09	1,016.63	3,664.72	N.R.	14,462.92	11,681.55	26,144.47	N.R.
7)	Jammu & Kashmir	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
8)	Karnataka	17,189.54	574.85	17,764.39	21,149.83	118,799.85	8,900.42	127,700.27	129,826.21
9)	Kerala	16,192.31	40,141.41	56,333.72	47,076.91	59,269.23	119,771.07	179,040.30	176,916.92
10)	Madhya Pradesh	6,187.22	1,777.98	7,965.20	7,655.64	N.R.	N.R.	N.R.	148,340.60
11)	Maharashtra	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	129,473.46
12)	Orissa	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	11,045.48	-	11,045.48	17,861.50
13)	Pondicherry	4.09	891.79	895.88	N.R.	16.95	1,100.12	1,117.07	N.R.
14)	Punjab	18,378.86	13,913.66	32,292.52	25,345.94	121,213.24	80,782.93	201,996.17	198,271.84
15)	Rajasthan	17,708.43	5,424.25	23,132.68	20,299.52	123,962.45	20,709.77	144,672.22	154,892.72
16)	Tamil Nadu	N.R.	N.R.	N.R.	508.40	2,315.00	22,461.00	24,776.00	121,278.40
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	43,892.00	4,954.00	48,846.00	38,889.08	N.R.	N.R.	N.R.	404,459.31
19)	West Bengal	10,511.96	4,417.48	14,929.44	N.R	48,092.72	17,139.33	65,232.05	N.R.
	TOTAL	**155,764.75**	**93,680.01**	**249,444.76**	**202,110.32**	**719,462.76**	**299,013.92**	**1,018,476.68**	**1,727,173.75**

Note: (1) 'N.R.' - 'Not Reported'

सारणी 5 – 31 मार्च को लाभ/नुकसान

क्र. सं.	बैंक का नाम	एससीएआरडीबी स्तर पर लाभ/नुकसान (धनराशि लाखों में)	
		2008-09	2007-08
1	2	3	4
1	असम	(253.48)	एन.आर
2	बिहार	एन.आर	(2,325.87)
3	छत्तीसगढ़	एन.आर	एन.आर
4	गुजरात '	2,578.51	1,930.57
5	हरियाणा	1,306.77	2,765.57
6	हिमाचल प्रदेश	1,121.20	एन.आर
7	जम्मू व कश्मीर	एन.आर	एन.आर
8	कर्नाटक	एन.आर	(1,476.06)
9	केरल	1,653.50	1,619.69
10	मध्य प्रदेश	एन.आर	23.16
11	महाराष्ट्र	एन.आर	(20,281.40)
12	उड़ीसा	एन.आर	(310.79)
13	पांडिचेरी	204.34	(21.79)
14	पंजाब	2,466.32	2,921.91
15	राजस्थान	एन.आर	1,610.82
16	तमिलनाडु	एन.आर	4,101.55
17	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर
18	उत्तर प्रदेश	एन.आर	(16,054.25)
19	पश्चिमी बंगाल	900.00	16.54
	कुल योग	**9,977.16**	**(25,480.35)**

' कोष्ठक में दिये गये अंक हानि को इंगित करते हैं

TABLE 5 - PROFIT / LOSS AS ON 31 March

Sr. No.	Name of the Bank	Profit / Loss at SCARDB Level (Amt.in Rs.lakh)	
		2008-09	2007-08
1	2	3	4
1)	Assam	(253.48)	N.R.
2)	Bihar	N.R.	(2,325.87)
3)	Chhattisgarh	N.R.	N.R.
4)	Gujarat	2,578.51	1,930.57
5)	Haryana	1,306.77	2,765.57
6)	Himachal Pradesh	1,121.20	N.R.
7)	Jammu & Kashmir	N.R.	N.R.
8)	Karnataka	N.R.	(1,476.06)
9)	Kerala	1,653.50	1,619.69
10)	Madhya Pradesh	N.R.	23.16
11)	Maharashtra	N.R.	(20,281.40)
12)	Orissa	N.R.	(310.79)
13)	Pondicherry	204.34	(21.79)
14)	Punjab	2,466.32	2,921.91
15)	Rajasthan	N.R.	1,610.82
16)	Tamil Nadu	N.R.	4,101.55
17)	Tripura	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	N.R.	(16,054.25)
19)	West Bengal	900.00	16.54
	TOTAL	**9,977.16**	**(25,480.35)**

* Figures in Brackets indicate loss

सारणी 6 – जमीनी स्तर पर वसूली निष्पादन

(लाख रुपयेमें)

क्र. सं.	बैंक का नाम	30 जून 2008 को			30 जून 2007 को		
		मांग	जमा राशि	जमा राशि (%) का	मांग	जमा राशि	जमा राशि (%) का
1	2	3	4	5	6	7	8
1	असम	335.25	294.64	87.9	2,409.00	300.73	12.5
2	बिहार	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
3	छत्तीसगढ़	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
4	गुजरात '	53,099.51	13,474.02	25.4	53,275.59	22,826.43	42.8
5	हरियाणा	46,811.97	35,034.38	74.8	136,272.34	94,044.29	69.0
6	हिमाचल प्रदेश	12317.11	7367.88	59.8	2,605.23	1,639.64	62.9
7	जम्मू व कश्मीर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	1,839.58	293.49	16.0
8	कर्नाटक	53,588.10	12,164.56	22.7	104,839.32	66,481.32	63.4
9	केरल	54,896.90	42,350.33	77.1	62,030.55	31,539.09	50.8
10	मध्य प्रदेश	64,692.48	45,566.37	70.4	एन.आर	एन.आर	एन.आर
11	महाराष्ट्र	79,033.14	18,774.01	23.8	43,318.45	6,346.94	14.6
12	उड़ीसा	15,646.68	14,074.92	89.9	एन.आर	एन.आर	एन.आर
13	पांडिचेरी	1,367.54	1,147.68	83.9	1,248.17	937.48	75.1
14	पंजाब	56,896.06	45,404.58	79.8	99,428.21	57,881.88	58.2
15	राजस्थान	68,718.24	20,594.79	30.0	83,027.87	35,792.83	43.1
16	तमिलनाडु	25,631.45	6,348.33	24.8	37,884.82	19,761.84	51.2
17	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
18	उत्तर प्रदेश	158,365.00	49,296.00	31.1	241,839.38	76,851.96	31.8
19	पश्चिमी बंगाल	31,286.70	10,366.12	33.1	26,284.73	12,574.28	47.8
	कुल योग	**722,686.13**	**322,258.61**	**44.6**	**896,303.24**	**427,272.20**	**47.7**

स्त्रोतः स्टैटिस्टिकल बुलैटिन – 2007–08

नोट : एन.आर. – नॉट रिपोर्टिड

TABLE 6 - RECOVERY PERFORMANCE AT GROUND LEVEL

(Rs. Lakh)

Sr. No.	Name of the Bank	As on 30 June 2008			As on 30 June 2007		
		Demand	Collection	% of Collection	Demand	Collection	% of Collection
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Assam	335.25	294.64	87.9	2,409.00	300.73	12.5
2)	Bihar	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
3)	Chhattisgarh	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4)	Gujarat *	53,099.51	13,474.02	25.4	53,275.59	22,826.43	42.8
5)	Haryana	46,811.97	35,034.38	74.8	136,272.34	94,044.29	69.0
6)	Himachal Pradesh	12317.11	7367.88	59.8	2,605.23	1,639.64	62.9
7)	Jammu & Kashmir	N.R.	N.R.	N.R.	1,839.58	293.49	16.0
8)	Karnataka	53,588.10	12,164.56	22.7	104,839.32	66,481.32	63.4
9)	Kerala	54,896.90	42,350.33	77.1	62,030.55	31,539.09	50.8
10)	Madhya Pradesh	64,692.48	45,566.37	70.4	N.R.	N.R.	N.R.
11)	Maharashtra *	79,033.14	18,774.01	23.8	43,318.45	6,346.94	14.6
12)	Orissa	15,646.68	14,074.92	89.9	N.R.	N.R.	N.R.
13)	Pondicherry	1,367.54	1,147.68	83.9	1,248.17	937.48	75.1
14)	Punjab	56,896.06	45,404.58	79.8	99,428.21	57,881.88	58.2
15)	Rajasthan	68,718.24	20,594.79	30.0	83,027.87	35,792.83	43.1
16)	Tamil Nadu *	25,631.45	6,348.33	24.8	37,884.82	19,761.84	51.2
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	158,365.00	49,296.00	31.1	241,839.38	76,851.96	31.8
19)	West Bengal	31,286.70	10,366.12	33.1	26,284.73	12,574.28	47.8
	TOTAL	**722,686.13**	**322,258.61**	**44.6**	**896,303.24**	**427,272.20**	**47.7**

* Source: Statistical Bulletin - 2007-08

Note: 'N.R.' - 'Not Reported'

सारणी 7 – नॉन परफॉर्मिंग सम्पत्तियां (एनपीए)

		एनपीए - 31 मार्च 2009 तक			एनपीए - 31 मार्च 2008 तक		
क्र. सं.	बैंक का नाम	(31.03.09) को कुल बकाया ऋण (लाख रुपए में)	आइटम 3 कुल ऋणों में		(31.03.08) को कुल बकाया ऋण (लाख रुपए में)	आइटम 6 कुल ऋणों में	
			एनपीए (लाख रुपए में)	31.03.09 को बकाया कुल ऋणों के एनपीए का %		एनपीए (लाख रुपए में)	31.03.08 को बकाया कुल ऋणों के एनपीए का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	असम	1028.44	587.1	57.09	एन.आर	एन.आर	एन.आर
2	बिहार	एन.आर	एन.आर	एन.आर	8,602.70	7,897.92	91.8
3	छत्तीसगढ़	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
4	गुजरात	61,357.11	37,048.01	61.0	66,459.25	35,768.04	53.8
5	हरियाणा	174,367.10	23,165.55	13.3	170,790.83	17,340.45	10.2
6	हिमाचल प्रदेश	2614.45	942.75	36.06	एन.आर	एन.आर	एन.आर
7	जम्मू व कश्मीर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
8	कर्नाटक	127,700.27	32,002.96	25.1	129,826.21	34,081.76	26.3
9	केरल	179,040.30	11,163.88	6.2	176,916.95	16,111.84	9.1
10	मध्य प्रदेश	एन.आर	एन.आर	एन.आर	48,340.60	25,159.76	17.0
11	महाराष्ट्र	एन.आर	एन.आर	एन.आर	129,476.46	113,159.57	87.4
12	उड़ीसा	11,045.48	11,045.48	100.0	17,861.50	17,861.50	100.0
13	पांडिचेरी	1,117.07	31.36	2.8	1,287.05	213.47	16.6
14	पंजाब	201,996.17	72.11	0.03	198,271.84	एन.आर	एन.आर
15	राजस्थान	144,672.22	41,874.28	28.9	154,892.72	42,745.34	27.6
16	तमिलनाडु	24,776.00	17,795.00	71.8	121,278.40	41,890.75	34.5
17	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
18	उत्तर प्रदेश	एन.आर	एन.आर	एन.आर	324,854.92	241,930.25	74.5
19	पश्चिमी बंगाल	एन.आर	एन.आर	एन.आर	70,783.20	18,965.66	26.8
	कुल योग	**929,714.61**	**175,728.48**	**18.9**	**1,719,642.63**	**613,126.31**	**35.7**

नोट : एन.आर. – नॉट रिपोर्टिड

TABLE 7 - NON-PERFORMING ASSETS (NPA)

Sr. No.	Name of the Bank	NPA - AS ON 31 MARCH 2009			NPA - AS ON 31 MARCH 2008		
		Total Loans Outstanding (31.03.09) (Rs.lakh)	Of the item 3		Total Loans Outstanding (31.03.08) (Rs.lakh)	Of the item 6	
			NPAs (Rs.lakh)	% of NPA to Total Loans Outstanding as on 31.03.09		NPAs (Rs.lakh)	% of NPA to Total Loans Outstanding as on 31.03.08
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	Assam	1028.44	587.1	57.09	N.R.	N.R.	N.R.
2)	Bihar	N.R.	N.R.	N.R.	8,602.70	7,897.92	91.8
3)	Chhattisgarh	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4)	Gujarat	61,357.11	37,048.01	61.0	66,459.25	35,768.04	53.8
5)	Haryana	174,367.10	23,165.55	13.3	170,790.83	17,340.45	10.2
6)	Himachal Pradesh	2614.45	942.75	36.06	N.R.	N.R.	N.R.
7)	Jammu & Kashmir	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
8)	Karnataka	127,700.27	32,002.96	25.1	129,826.21	34,081.76	26.3
9)	Kerala	179,040.30	11,163.88	6.2	176,916.95	16,111.84	9.1
10)	Madhya Pradesh	N.R.	N.R.	N.R.	148,340.60	25,159.76	17.0
11)	Maharashtra	N.R.	N.R.	N.R.	129,476.46	113,159.57	87.4
12)	Orissa	11,045.48	11,045.48	100.0	17,861.50	17,861.50	100.0
13)	Pondicherry	1,117.07	31.36	2.8	1,287.05	213.47	16.6
14)	Punjab	201,996.17	72.11	0.03	198,271.84	N.R.	N.R.
15)	Rajasthan	144,672.22	41,874.28	28.9	154,892.72	42,745.34	27.6
16)	Tamil Nadu	24,776.00	17,795.00	71.8	121,278.40	41,890.75	34.5
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	N.R.	N.R.	N.R.	324,854.92	241,930.25	74.5
19)	West Bengal	N.R.	N.R.	N.R.	70,783.20	18,965.66	26.8
	TOTAL	**929,714.61**	**175,728.48**	**18.9**	**1,719,642.63**	**613,126.31**	**35.7**

Note: (1) 'N.R.' - 'Not Reported'

सारणी 8 – सामान्य ॲडमिनिस्ट्रीटीव डाटा

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या (ऐकिक/मिलाजुला ढांचा)		पीसीएआरडीबी की संख्या (संघीय/ मिलाजुला ढांचा)		पीसीएआरडीबी की संख्या (संघीय ढांचा)		कुल सदस्य	
		31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	असम	30	32	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	34390	एन.आर
2	बिहार	एन.आर	131	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	एन.आर	696703
3	छत्तीसगढ़	कोई नहीं	कोई नहीं	एन.आर	12	एन.आर	84	एन.आर	एन.आर
4	गुजरात	181	181	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	677547	679851
5	हरियाणा	कोई नहीं	कोई नहीं	19	19	87	87	729172	704299
6	हिमाचल प्रदेश	33	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	73591	एन.आर
7	जम्मू व कश्मीर	N.R.	45	N.A	कोई नहीं	N.A	कोई नहीं	एन.आर	एन.आर
8	कर्नाटक	कोई नहीं	कोई नहीं	177	177	.	2	1099879	1088866
9	केरल	कोई नहीं	कोई नहीं	46	46	120	116	एन.आर	928623
10	मध्य प्रदेश	कोई नहीं	कोई नहीं	38	38	361	364	एन.आर	एन.आर
11	महाराष्ट्र	कोई नहीं	कोई नहीं	एन.आर	29	एन.आर	292	एन.आर	1133064
12	उड़ीसा	कोई नहीं	कोई नहीं	46	एन.आर	एन.आर	0	एन.आर	393796
13	पांडिचेरी	1	1	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	14498	10358
14	पंजाब	कोई नहीं	कोई नहीं	89	89	एन.आर	0	824102	856307
15	राजस्थान	कोई नहीं	कोई नहीं	36	36	131	131	एन.आर	1230292
16	तमिलनाडु	कोई नहीं	कोई नहीं	180	180	0	0	एन.आर	2106516
17	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	एन.आर	एन.आर
18	उत्तर प्रदेश	342	342	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	एन.आर	4163490
19	पश्चिमी बंगाल	3	3	24	24	69	एन.आर	349227	326215
	कुल योग	**590**	**735**	**655**	**650**	**768**	**1076**	**3802406**	**14318380**

नोट : (1) एन.आर. – नॉट रिपोर्टिड

(2) एन.ए. – लागू नहीं

. . . . . Cont'd on Page No. 144

TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA

Sr. No.	Name of the Bank	Number of Branches (Unitary / Mixed Structure)		Number of PCARDBs (Federal / Mixed Structure)		Number of Branches of PCARDBs (Federal Structure)		Total Membership	
		31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1)	Assam	30	32	N.A.	NA	N.A.	N.A.	34390	N.R.
2)	Bihar	N.R.	131	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	696703
3)	Chhattisgarh	N.A.	N.A.	N.R.	12	N.R.	84	N.R.	N.R.
4)	Gujarat	181	181	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	677547	679851
5)	Haryana	N.A.	N.A.	19	19	87	87	729172	704299
6)	Himachal Pradesh	33	N.R.	N.R.	NR	N.R.	N.R.	73591	N.R.
7)	Jammu & Kashmir	N.R.	45	N.A	N.A.	N.A	N.A.	N.R.	N.R.
8)	Karnataka	N.A.	N.A.	177	177	-	2	1099879	1088866
9)	Kerala	N.A.	N.A.	46	46	120	116	N.R.	928623
10)	Madhya Pradesh	N.A.	N.A.	38	38	361	364	N.R.	N.R.
11)	Maharashtra	N.A.	N.A.	N.R.	29	N.R.	292	N.R.	1133064
12)	Orissa	N.A.	N.A.	46	N.R.	N.R.	0	N.R.	393796
13)	Pondicherry	1	1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	14498	10358
14)	Punjab	N.A.	N.A.	89	89	N.R.	0	824102	856307
15)	Rajasthan	N.A.	N.A.	36	36	131	131	N.R.	1230292
16)	Tamil Nadu	N.A.	N.A.	180	180	0	0	N.R.	2106516
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	N.R.
18)	Uttar Pradesh	342	342	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.R.	4163490
19)	West Bengal	3	3	24	24	69	N.R.	349227	326215
	TOTAL	**590**	**735**	**655**	**650**	**768**	**1076**	**3802406**	**14318380**

. . . . . Cont'd on Page No. 145

सारणी 8 – सामान्य ॲडमिनिस्ट्रीटीव डाटा (जारी)

क्र. सं.	बैंक का नाम	उधार लेने वाले सदस्य		एसएआरडीबी में चयनित बोर्ड (हां/ना)		पीसीएआरडीबी की संख्या जिधर नामित बोर्ड		एसएआरडीबी में कर्मचारी (संख्या)		पीसीएआरडीबी में कर्मचारी (संख्या)	
		31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	असम	2547	एन.आर	हाँ	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	262	एन.आर	कोई नहीं	कोई नहीं
2	बिहार	एन.आर	472437	एन.आर	हाँ	कोई नहीं	कोई नहीं	एन.आर	954	कोई नहीं	कोई नहीं
3	छत्तीसगढ़	एन.आर	एन.आर	एन.आर	नहीं	एन.आर	11	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर
4	गुजरात	677547	679851	हाँ	हाँ	कोई नहीं	कोई नहीं	433	441	कोई नहीं	कोई नहीं
5	हरियाणा	388348	400798	हाँ	नहीं	19	19	164	164	1519	1484
6	हिमाचल प्रदेश	45598	एन.आर	हाँ	एन.आर	1	एन.आर	149	एन.आर	एन.आर	64
7	जम्मू व कश्मीर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	एन.आर	एन.आर	कोई नहीं	कोई नहीं
8	कर्नाटक	684590	667019	हाँ	हाँ	175	174	436	461	1150	982
9	केरल	एन.आर	663112	हाँ	हाँ	46	46	357	378	एन.आर	1130
10	मध्य प्रदेश	एन.आर	एन.आर	एन.आर	नहीं	एन.आर	एन.आर	एन.आर	359	एन.आर	एन.आर
11	महाराष्ट्र	एन.आर	1130614	एन.आर	नहीं	एन.आर	10	एन.आर	214	एन.आर	1941
12	उड़ीसा	एन.आर	120960	नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	101	103	217	एन.आर
13	पांडिचेरी	7850	6148	हाँ	हाँ	कोई नहीं	कोई नहीं	28	एन.आर	कोई नहीं	कोई नहीं
14	पंजाब	272620	337634	हाँ	हाँ	76	84	276	293	742	777
15	राजस्थान	एन.आर	730428	नहीं	नहीं	13	0	141	150	एन.आर	एन.आर
16	तमिलनाडु	एन.आर	306942	नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	188	210	791	866
17	त्रिपुरा	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	एन.आर	कोई नहीं	एन.आर	एन.आर	एन.आर	कोई नहीं
18	उत्तर प्रदेश	एन.आर	3747145	नहीं	नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	3507	3764	कोई नहीं	कोई नहीं
19	पश्चिमी बंगाल	347158	252574	हाँ	हाँ	23	एन.आर	134	137	683	724
	कुल योग	**2426258**	**9515662**			**353**	**344**	**6176**	**7628**	**5102**	**7968**

नोट :(1) एन.आर. – नॉट रिपोर्टिड

(2) एन.ए. – लागू नहीं

TABLE 8 - GENERAL ADMINISTRATIVE DATA *(Contd.)*

Sr.	Name of the Bank	Borrowing Members		Whether SCARDB has elected Board (Yes/No)		Number of PCARDBs having elected Board		Staff of SCARDBs (number)		Staff of PCARDBs (number)	
		31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08	31.3.09	31.3.08
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	Assam	2547	N.R.	Yes	No	N.A.	N.A.	262	N.R.	N.A.	N.A.
2)	Bihar	N.R.	472437	N.R.	Yes	N.A.	N.A.	N.R.	954	N.A.	N.A.
3)	Chhattisgarh	N.R.	N.R.	N.R.	No	N.R.	11	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.
4)	Gujarat	677547	679851	Yes	Yes	N.A.	N.A.	433	441	N.A.	N.A.
5)	Haryana	388348	400798	Yes	No	19	19	164	164	1519	1484
6)	Himachal Pradesh	45598	N.R.	Yes	N.R.	1	N.R.	149	N.R.	N.R.	64
7)	Jammu & Kashmir	N.R.	N.R.	N.R.	No	N.A.	N.A.	N.R.	N.R.	N.A.	N.A.
8)	Karnataka	684590	667019	Yes	Yes	175	174	436	461	1150	982
9)	Kerala	N.R.	663112	Yes	Yes	46	46	357	378	N.R.	1130
10)	Madhya Pradesh	N.R.	N.R.	N.R.	No	N.R.	N.R.	N.R.	359	N.R.	N.R.
11)	Maharashtra	N.R.	1130614	N.R.	No	N.R.	10	N.R.	214	N.R.	1941
12)	Orissa	N.R.	120960	No	No	None	None	101	103	217	N.R.
13)	Pondicherry	7850	6148	Yes	Yes	N.A.	N.A.	28	N.R.	N.A.	N.A.
14)	Punjab	272620	337634	Yes	Yes	76	84	276	293	742	777
15)	Rajasthan	N.R.	730428	No	No	13	0	141	150	N.R.	N.R.
16)	Tamil Nadu	N.R.	306942	No	No	None	None	188	210	791	866
17)	Tripura	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.A.	N.R.	N.R.	N.R.	N.A.
18)	Uttar Pradesh	N.R.	3747145	No	No	N.A.	N.A.	3507	3764	N.A.	N.A.
19)	West Bengal	347158	252574	Yes	Yes	23	N.R.	134	137	683	724
	TOTAL	**2426258**	**9515662**			**353**	**344**	**6176**	**7628**	**5102**	**7968**

Note: (1) 'N.R.' - 'Not Reported'
(2) 'N.A.' - 'Not Applicable'

Notes